भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2013 की सं. 15

13 अगस्त 2013
AUG
..... को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर रखी गई

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
क. मुख्य बातें	iii-v
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-20
○ संघ सरकार के संसाधन	1
○ प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	1-2
○ प्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं रचना	2-6
○ प्रत्यक्ष कर की बजटिंग	7-8
○ प्रतिदायों पर ब्याज का गलत लेखांकन	8
○ कर व्यय	9-10
○ कर आधार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	11-13
○ कर ऋण - असंग्रहित मांग	13-14
○ संवीक्षा निर्धारणों का निपटान	15
○ विवादित मांग	16-17
○ आयकर विभाग की आईटी पहल	18
○ आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	18-20
अध्याय II : लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	21-27
○ प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	21
○ वैधानिक प्रभाव	23
○ लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली	23
○ त्रुटियों की घटना	23-24
○ लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	24-25
○ लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन	26
○ कालबाधित उपचारात्मक कार्रवाई	26-27
○ अभिलेखों को उपलब्ध न कराना	27
अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण	29-43
○ निर्धारणों की गुणवत्ता	30-35
○ कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	35-39
○ चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	40-42
○ कर/ब्याज का अधिप्रभार	43

अध्याय IV: आयकर और धनकर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण	**45-53**
◎ निर्धारणों की गुणवत्ता	45-47
◎ कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	48-49
◎ चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	50-51
◎ कर/ब्याज का अधिप्रभार	52
◎ धनकर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण	53
परिशिष्ट	**55-104**

प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ - प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियों जिनमें निगम कर, आयकर और धनकर शामिल हैं, की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गये हैं और इसे निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किया गया है:-

(i) अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन;

(ii) अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव;

(iii) अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण; और

(iv) अध्याय IV: भाग क में आयकर और भाग ख में धनकर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गये मामले 2011-12 के दौरान और पूर्व वर्षों में की गई लेखापरीक्षा के परिणाम हैं जो पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके।

मुख्य बातें

इस प्रतिवेदन में वित्त लेखाओं, विभागीय लेखाओं, विभागीय एमआईएस, आर्थिक सर्वेक्षण तथा अनुपालन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों से लिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है।

कुल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 03 में 38.42 *प्रतिशत* (₹ 0.83 लाख करोड़) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 55.56 *प्रतिशत* (₹ 4.94 लाख करोड़) हो गया जो प्रगतिशील कर प्रणाली को दर्शाता है।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात निगम कर वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 46,172 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 322,816 करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 36,866 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 164,525 करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कॉरपोरेट (84 से 79 *प्रतिशत)* और गैर-कॉरपोरेट (94 से 90 *प्रतिशत*) निर्धारितियों के लिए स्वैच्छिक अनुपालन घट गया। उसी अवधि के दौरान, कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के आधार की औसत वार्षिक वृद्धि क्रमशः 6.7 *प्रतिशत* और 3.0 *प्रतिशत* थी।

हमने देखा कि प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वित्तीय वर्ष 03, 05, 06, 09 तथा 12 को छोड़कर बजट प्राक्कलनों से बढ़ गया। बजट प्राक्कलनों से बढ़ा हुआ वास्तविक संग्रहण वित्तीय वर्ष 10 में 2.0 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 08 में 16.7 प्रतिशत के बीच था। तथापि संशोधित प्राक्कलन यथार्थ पाए गए थे।

कर छूट के कारण छोड़ा गया राजस्व पिछले वर्षों (वित्तीय वर्ष 11 को छोड़कर) की तुलना में निरपवाद रूप से कर बढ़ रहा है, परन्तु जीडीपी और प्रत्यक्ष कर की *प्रतिशतता* के रूप में कर व्यय वित्तीय वर्ष 08 के बाद से घट रहा है।

असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 08 में ₹ 124,274 करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 408,418 करोड़ हो गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष 12 में 94 *प्रतिशत* की वसूली करना कठिन था।

निपटान हेतु लम्बित संवीक्षा निर्धारण वित्तीय वर्ष 11 में 3.92 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 4.05 लाख हो गए। कुल 7.75 लाख संवीक्षा निर्धारण मामलों में से, विभाग ने वित्तीय वर्ष 12 में 3.7 लाख (47.7 *प्रतिशत*) मामलों का निपटान किया था।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 08 में 1.30 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 2.31 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) द्वारा वित्तीय वर्ष 12 में केवल 75,518 अपीलों (24.7 *प्रतिशत*) का निपटान किया गया था। सीआईटी (अपील) के पास वित्तीय वर्ष 12 में अपील मामलों में अवरूद्ध राशि ₹ 2.42 लाख करोड़ थी।

हमने देखा कि लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों की संख्या वित्तीय वर्ष 08 में 8.3 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 12.5 लाख हो गई।

आयकर विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने वित्तीय वर्ष 12 में 61.8 *प्रतिशत* लक्षित लेखापरीक्षाएं पूरी की।

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताई गई निर्धारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से पिछले पांच वर्षों में ₹ 2680.97 करोड़ (वित्तीय वर्ष 12 के ₹ 1,538 करोड़ सहित) की वसूली की।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 12 में 5.50 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिनमें से हमने 2.96 लाख मामलों की जांच की। लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में गलतियाँ 0.18 लाख थी जो औसतन छः *प्रतिशत* थी।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 455 उच्च मूल्य और महत्त्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। इनमें से मंत्रालय ने 311 मामले (68 *प्रतिशत*) स्वीकार कर लिए। 31 मामलों में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। 113 मामलों में, हमें अभी मई 2013 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

हर वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर में लम्बित मामलों के संचय के परिणामस्वरूप 66,819 मामले इक्ट्ठे हो गए जिनमें 31 मार्च 2012 तक ₹ 49,887 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

वित्तीय वर्ष 12 के दौरान, ₹ 1,083 करोड़ के कर प्रभाव के 3907 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए।

हमने निगम कर से संबंधित 325 उच्च मूल्य मामले बताए जिनमें ₹ 2,271.32 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जैसे निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 486.02 करोड़ का कर प्रभाव (88 मामले) शामिल था, कर रियायत/छूट/कटौती का प्रशासन जिसमें ₹ 1,412.72 करोड़ का कर प्रभाव (162 मामले) शामिल था, चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें

₹ 337.52 करोड़ का कर प्रभाव (66 मामले) शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 35.06 करोड़ (नौ मामले) शामिल थे।

हमने आयकर से संबंधित 115 उच्च मूल्य मामले बताए जिनमें ₹ 593.30 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जैसे निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 516.47 करोड़ का कर प्रभाव (40 मामले) शामिल था, कर रियायत/छूट/कटौती का प्रशासन जिसमें ₹ 53.90 करोड़ का कर प्रभाव (41मामले) शामिल था, चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 18.94 करोड़ का कर प्रभाव (27 मामले) शामिल था तथा कर/ब्याज का अधिप्रभार जिसमें ₹ 3.99 करोड़ (सात मामले) शामिल थे। इसके अतिरिक्त, हमने धनकर के 15 मामले भी बताए जिनमें ₹ 35.19 लाख का कर प्रभाव शामिल था।

अध्याय II

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सारांश प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 12 के लिए ₹ 52,83,774 करोड़[1] है। संघ सरकार की स्वयं की प्राप्तियाँ ₹ 8,89,118 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 12,20,597 करोड़ थीं। यह कुल प्राप्तियों का केवल 23.10 *प्रतिशत* था। शेष 76.90 *प्रतिशत* प्राप्तियाँ उधारी के माध्यम से हुई।

करोड़ ₹

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

क. कुल राजस्व प्राप्तियां	11,65,691
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	*4,93,987*
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	*3,95,131*
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहितगैस-कर प्राप्तियाँ	*2,76,573*
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	18,088
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	36,818
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	40,63,177
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**52,83,774**

टिप्पणीः कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों का ₹ 2,55,414 करोड़ का हिस्सा शामिल है।

1.1.2 राजस्व प्राप्तियाँ कर तथा गैर-कर दोनों स्रोतों से होती हैं। कर राजस्व में करों की आय तथा संघ सरकार द्वारा वसूले गए शुल्क शामिल हैं, अर्थात् आय एवं व्यय पर कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क इत्यादि।

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उद्ग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं:

- कम्पनियों तथा व्यापारी संगठनों की आय पर उद्ग्रहीत **निगम कर**

[1] स्रोतः संघ वित्त लेखा का वित्तीय वर्ष 12

- व्यक्तियों, कम्पनियों के अतिरिक्त, नामतः व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), फर्मों, सहकारी समितियों, न्यासों, व्यष्टियों के निकायों, व्यक्ति संघों तथा किसी की आवासीय स्थिति के आधार पर प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति पर उद्ग्रहीत **आयकर।**

- धनकर[2], प्रतिभूति लेनदेन कर[3] आदि सहित अन्य प्रत्यक्ष कर। **अन्य प्रत्यक्ष करों** में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, बैंकिग नकद लेनदेन कर, व्यय कर, ब्याज कर, होटल प्राप्तियां कर तथा सम्पदा शुल्क भी शामिल हैं; जो सभी अब समाप्त कर दिए गए हैं।

1.3 विभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 प्रत्यक्ष करों के प्रशासन का समग्र उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (डीओआर) का है, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)/आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से कार्य करता है। *परिशिष्ट-1* में डीओआर/सीबीडीटी के प्रमुख कार्यों, भूमिका और उत्तरदायित्वों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है।

1.3.2 आईटीडी की कुल कर्मचारी संख्या 57,793 है। आयकर विभाग के अधिकारियों[4] की स्वीकृत तथा कार्यरत संख्या 31 मार्च 2012 को क्रमशः 8,638 तथा 7,251 थी। सीबीडीटी का संगठनात्मक ढांचा *परिशिष्ट-2* में दर्शाया गया है।

1.4 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं रचना

1.4.1 निम्न तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष कर (डीटी) की सापेक्षिक वृद्धि दर्शाती है। हमने पाया कि जीटीआर के प्रति प्रत्यक्ष करों का हिस्सा इस अवधि के दौरान 38.42 *प्रतिशत* (₹ 0.83 लाख करोड़) से बढ़कर 55.56 *प्रतिशत* (₹ 4.94 लाख करोड़) हो गया। इसी अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद[5] (जीडीपी) 15.20 प्रतिशत और जीटीआर 17.07 *प्रतिशत* बढ़ गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष करों ने एक प्रभावी स्थिति बनाए रखी जो देश में एक मजबूत प्रतीक तथा प्रगतिशील कर प्रणाली का सूचक है।

---

[2] निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं।

[3] भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई करयोग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। तथापि, निर्धारण वर्ष 10 से धारा 88ई के अन्तर्गत कोई छूट अनुमत नहीं है।

[4] सीसीआईटी/डीजीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अतिरिक्त सीआईटी/जेसीआईटी, डीसीआईटी/ एसीआईटी तथा आईटीओज।

[5] जीडीपी आधार वर्ष 2004-05 के साथ वर्तमान बाज़ार मूल्यों पर आधारित है, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा जनवरी 2013 में बताया गया और 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर की वृद्धि करोड़ ₹

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीटीआर	जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर
वि.व 03	83,089	25,30,663	3.28	216,266	38.42
वि.व 04	105,089	28,37,900	3.70	254,348	41.32
वि.व 05	132,771	32,42,209	4.10	304,958	43.54
वि.व 06	165,216	36,93,369	4.47	366,152	45.12
वि.व 07	230,195	42,94,706	5.36	473,512	48.61
वि.व 08	312,217	49,87,090	6.26	593,147	52.64
वि.व 09	333,857	56,30,063	5.93	605,298	55.16
वि.व 10	377,594	64,77,827	5.83	624,527	60.46
वि.व 11	445,995	77,95,313	5.72	793,307	56.22
वि.व 12	493,987	89,74,947	5.50	889,118	55.56

1.4.2 निम्न तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निरपवाद रूप से निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी)[6] और जीडीपी की तुलना में वृद्धि को दर्शाती है। सीटी 24.60 *प्रतिशत* तक और आईटी 19.02 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। इसी अवधि के दौरान, कॉरपोरेट निर्धारिती आधार 2.35 *प्रतिशत* था तथा गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती आधार 2.87 *प्रतिशत* था।

तालिका 1.3: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की और इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि

करोड़ ₹

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की *प्रतिशत* वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष की *प्रतिशत* वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की *प्रतिशत* वृद्धि
वि.व 03	83,089	-	46,172	-	36,866	-
वि.व 04	105,089	26.48	63,562	37.66	41,387	12.26
वि.व 05	132,771	26.34	82,680	30.08	49,268	19.04
वि.व 06	165,216	24.44	101,277	22.49	55,985	13.63
वि.व 07	230,195	39.33	144,318	42.50	75,093	34.13
वि.व 08	312,217	35.63	192,911	33.67	102,659	36.71
वि.व 09	333,857	6.93	213,395	10.62	106,075	3.33
वि.व 10	377,594	13.10	244,725	14.68	122,417	15.41
वि.व 11	445,995	18.12	298,688	22.05	139,102	13.63
वि.व 12	493,987	10.76	322,816	8.08	164,525	18.28

[6] *परिशिट-3* निर्धारण वर्ष 03 से निर्धारण वर्ष 12 के लिए कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के लिए कर की दरें दर्शाता है।

जीडीपी *प्रतिशतता* के अनुसार

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	सीटी	आईटी
वि.व 03	3.28	1.82	1.46
वि.व 04	3.70	2.24	1.46
वि.व 05	4.10	2.55	1.52
वि.व 06	4.47	2.74	1.52
वि.व 07	5.36	3.36	1.75
वि.व 08	6.26	3.87	2.06
वि.व 09	5.93	3.79	1.88
वि.व 10	5.83	3.78	1.89
वि.व 11	5.72	3.83	1.77
वि.व 12	5.50	3.60	1.83

1.4.3 नीचे तालिका 1.4 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में विभिन्न तरीकों {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर्शाती है। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है।

1.4.4 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कॉरपोरेट (84 से 79 *प्रतिशत*) और गैर- कॉरपोरेट (94 से 90 *प्रतिशत*) निर्धारिती के लिए स्वैच्छिक अनुपालन में कमी आई। इसी अवधि के दौरान कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के आधार की औसत वार्षिक वृद्धि क्रमशः 6.7 *प्रतिशत* और 3.0 *प्रतिशत* थी।

1.4.5 निम्न तालिका 1.4 दर्शाती है कि अग्रिम कर वित्तीय वर्ष 11 में कुल कॉरपोरेट संग्रहण के 51.87 *प्रतिशत* से थोड़ा सा बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 52.47 *प्रतिशत* हो गया। नियमित कर वित्तीय वर्ष 11 में कुल कॉरपोरेट संग्रहण के 11.80 *प्रतिशत* से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 10.05 *प्रतिशत* हो गया।

तालिका 1.4: कॉरपोरेट निर्धारिती संग्रहण

₹ करोड़

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	संग्रहण
वि.व 03	8,961	40,625	3,026	8,926	62,950
वि.व 04	11,934	49,004	5,184	13,477	82,231
वि.व 05	14,654	73,934	4,815	2,888	1,05,189
वि.व 06	26,908	68,013	5,549	18,624	1,24,837
वि.व 07	29,048	96,568	6,954	24,725	1,74,935
वि.व 08	44,148	128,105	11,455	18,518	2,23,941
वि.व 09	60,088	122,697	18,451	12,633	2,42,304
वि.व 10	60,850	148,791	20,159	24,995	2,88,162
वि.व 11	68,313	184,263	23,056	41,916	3,55,266
वि.व 12	91,974	208,886	13,632	40,030	3,98,116

टिप्पणीः उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ों में अधिभार और उपकर सहित अन्य प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

कुल संग्रहण के *प्रतिशत* के अनुसार

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर
वि.व 03	14.24	64.54	4.81	14.18
वि.व 04	14.51	59.59	6.30	16.39
वि.व 05	13.93	70.29	4.58	2.75
वि.व 06	21.55	54.48	4.44	14.92
वि.व 07	16.61	55.20	3.98	14.13
वि.व 08	19.71	57.20	5.12	8.27
वि.व 09	24.80	50.64	7.61	5.21
वि.व 10	21.12	51.63	7.00	8.67
वि.व 11	19.23	51.87	6.49	11.80
वि.व 12	23.10	52.47	3.42	10.05

1.4.6 निम्न तालिका 1.5 दर्शाती है कि टीडीएस संग्रहण वित्तीय वर्ष 11 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 63.26 *प्रतिशत* से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 58.83 *प्रतिशत* हो गया। अग्रिम कर वित्तीय वर्ष 11 में कुल गैर-कॉरपोरेट संग्रहण के 17.82 *प्रतिशत* से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 12 में 23.51 *प्रतिशत* हो गया।

तालिका 1.5: गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण

करोड़ ₹

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारित कर	नियमित निर्धारित कर	संग्रहण
वि.व. 03	27,607	8,533	3,388	1,819	42,119
वि.व. 04	31,021	9,709	4,668	2,538	48,454
वि.व. 05	29,319	16,100	5,229	3,118	55,273
वि.व. 06	31,698	19,071	6,069	3,488	62,457
वि.व. 07	41,641	24,659	6,871	5,671	81,697
वि.व. 08	60,593	30,015	9,670	7,202	112,910
वि.व.09	68,142	20,635	12,328	8,704	116,225
वि.व. 10	84,885	24,626	12,349	8,279	136,551
वि.व. 11	100,356	28,275	13,831	9,922	158,632
वि.व. 12	106,705	42,640	14,016	11,482	181,383

नोटः उपरोक्त आंकडे संबंधित वर्ष के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त किये गये थे। संग्रहण के आंकडों में अधिभार और कर सहित अन्य प्राप्तियां भी शामिल हैं।

कुल संग्रहण के *प्रतिशत* के अनुसार

वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्वनिर्धारित कर	नियमित निर्धारित कर
वि.व. 03	65.55	20.26	8.04	4.32
वि.व. 04	64.02	20.04	9.63	5.24
वि.व. 05	53.04	29.13	9.46	5.64
वि.व. 06	50.75	30.53	9.72	5.58
वि.व. 07	50.97	30.18	8.41	6.94
वि.व. 08	53.66	26.58	8.56	6.38
वि.व. 09	58.63	17.75	10.61	7.49
वि.व.10	62.16	18.03	9.04	6.06
वि.व.11	63.26	17.82	8.72	6.25
वि.व. 12	58.83	23.51	7.73	6.33

1.4.7 *सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि यह नहीं माना जा सका कि अग्रिम कर, स्वनिर्धारण कर और टीडीएस के माध्यम से संग्रहण मोटे तौर पर स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है और वह टीडीएस के प्रावधानों को सुनिश्चित करने और कर दायरे में अधिक करदाताओं को लाने के लिए तेज़ी से कार्रवाई कर रहा था।*

1.5 प्रत्यक्ष कर की बजटिंग

1.5.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं अभिप्राय को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट प्राक्कलनों की तदनुरूपी वास्तविक संग्रहण से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का द्योतक है। निम्न चार्ट 1.1 बजट प्राक्कलनों (बीई), संशोधित प्राक्कलनों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाता है।

चार्ट 1.1: बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)

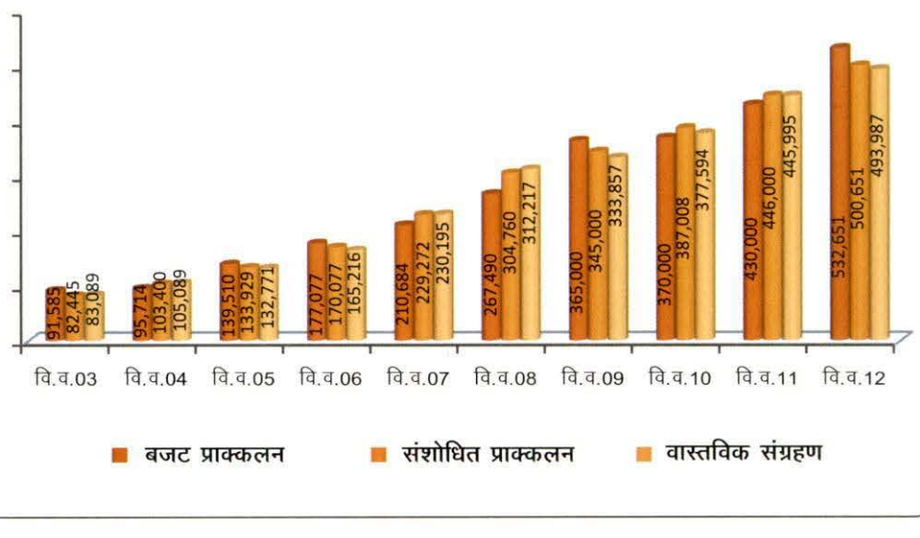

1.5.2 प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वित्तीय वर्ष 03, 05, 06, 09 तथा 12 को छोड़कर सभी वर्षों में बजट प्राक्कलनों से बढ़ गया। बजट प्राक्कलनों से बढ़े हुए संग्रहण वित्तीय वर्ष 10 में 2.0 *प्रतिशत* से लेकर वित्तीय वर्ष 08 में 16.7 *प्रतिशत* के बीच थे। संशोधित प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संशोधित प्राक्कलनों के (-) 3.23 *प्रतिशत* से 2.45 *प्रतिशत* के बीच के वास्तविक संग्रहण में अंतर के प्रति वास्तविक पाये गए। निम्न तालिका 1.6 इनका विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.6: वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन

करोड़ ₹

वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक	वास्तविक ऋण बीई	वास्तविक ऋण आरआई	बीई के प्रतिशत के रूप में अंतर	आरई के प्रतिशत के रूप में अंतर
वि.व. 03	91,585	82,445	83,089	(-) 8,496	644	(-) 9.28	0.78
वि.व. 04	95,714	103,400	105,089	9,375	1,689	9.79	1.63
वि.व. 05	139,510	133,929	132,771	(-) 6,739	(-) 1,158	(-) 4.83	(-) 0.86
वि.व. 06	177,077	170,077	165,216	(-) 11,861	(-) 4,861	(-) 6.70	(-) 2.86
वि.व. 07	210,684	229,272	230,195	19,511	923	9.26	0.40
वि.व. 08	267,490	304,760	312,217	44,727	7,457	16.72	2.45
वि.व. 09	365,000	345,000	333,857	(-) 31,143	(-) 11,143	(-) 8.53	(-) 3.23
वि.व. 10	370,000	387,008	377,594	7,594	(-) 9,414	2.05	(-) 2.43
वि.व. 11	430,000	446,000	445,995	15,995	(-) 5	3.72	0.00
वि.व. 12	532,651	500,651	493,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.26	(-) 1.33

टिप्पणी: बजट एवं संशोधित प्राक्कलनों के आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं तथा वास्तविक संग्रहण संबंधित वित्त लेखाओं के अनुसार है।

1.6 प्रतिदायों पर ब्याज का गलत लेखांकन

1.6.1 ब्याज भुगतान[7] भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार होता है और इसलिए एक समुचित बजटीय तंत्र के माध्यम से देय होता है। तद्नसार, लघु-शीर्ष "प्रतिदायों पर ब्याज" को मुख्य शीर्ष "2020-आय एवं व्यय पर करों के संग्रहण" के अंतर्गत प्रचालित करना होता है। तथापि, वित्तीय वर्ष 12 के बजट प्राक्कलनों में "प्रतिदाय पर ब्याज" के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था और प्रतिदायों के ब्याज पर ₹ 6,486 करोड़ का व्यय, राजस्व में कटौती के रूप में माना गया था। राजस्व में कटौती के रूप में प्रतिदाय पर ब्याज का लेखांकन गलत है क्योंकि यह ब्याज कभी भी संग्रहीत नहीं किया गया था। पीएसी भी पैराग्राफ[8] की जाँच करते हुए सीएजी के विचारों से सहमत हुई कि ब्याज व्यय की एक मद है और इसे सकल कर संग्रहण से नहीं घटाया जाना चाहिए।

***1.6.2** सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि मामले का पीएसी के निदेशानुसार स्पष्टीकरण देने के लिए एलडी महान्यायवादी के साथ अनुसरण किया जा रहा है ताकि समुचित नीति निर्णय शीघ्र किया जा सके।*

---

[7] हमने पहले कहा था कि सरकार 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिदाय पर दिये गये ब्याज के लिए लेखांकन की गलत प्रक्रिया का पालन कर रही है।

[8] संघ सरकार - संघ सरकार (सिविल) के लेखे 2011-12 की रिपोर्ट सं. 1 का पैराग्राफ सं. 4.1.1

1.7 कर व्यय

1.7.1 किसी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधि पूर्ति हेतु आवश्यक राजस्व की वसूली करना है। वसूल की गई राजस्व की राशि कर आधार एवं कर दरों द्वारा काफी हद तक निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियां-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियां, छूट, स्थगन और क्रेडिट जो कर के स्तर और वितरण को प्रभावित करते हैं भी कर प्रणाली का एक कार्य है। इन उपायों को "कर अधिमान" कहते हैं।

1.7.2 अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम में व्यष्टियों, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास, अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सहकारिता क्षेत्र और पूँजी निवेश के लिए वर्द्धित मूल्यह्रास द्वारा बचत के प्रोत्साहन के लिए कर अधिमान के लिए प्रावधान है। इन अधिकांश कर लाभों का कॉरपारेट और गैर कॉरपारेट दोनों करदाताओं द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।

1.7.3 राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, की आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार को जनहित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए और जहाँ तक संभव हो, अनुदान के लिए मांग और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में गोपनीयता को कम करें। 13वें वित्त आयोग ने भी कर व्यय की गणना और उसके प्रकटन में अधिक पारदर्शी प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है।

1.7.4 संघ की बजट प्राप्ति वित्तीय वर्ष 06 से कर व्यय का विवरण दर्शाती है जो केवल कुल मुख्य करों का अनुमान लगाती है। ये प्राक्कलन हाल के वर्षों में कॉरपोरेट तथा गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्नों पर आधारित हैं। कर छूटों के कारण छोड़ा गया राजस्व निर्विवाद रूप से कई वर्षों (वित्तीय वर्ष 11 को छोड़कर) से बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी की *प्रतिशतता* के रूप में कर व्यय और प्रत्यक्ष कर में वित्तीय वर्ष 08 के बाद गिरावट आ रही है जैसाकि तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: कर व्यय

करोड़ ₹

वर्ष	कुल कर व्यय	कर व्यय *प्रतिशत* के अनुसार		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
वि.व. 06	49,800	1.35	30.14	13.60
वि.व. 07	77,177	1.80	33.53	16.30
वि.व. 08	100,256	2.01	32.11	16.90
वि.व. 09	104,471	1.86	31.29	17.26
वि.व. 10	118,023	1.82	31.26	18.90
वि.व. 11	94,738	1.22	21.24	11.94
वि.व. 12	101,140	1.13	20.47	11.38

नोटः आंकडे बजट प्राप्तियों के अनुसार हैं।

1.7.5 कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में संघ प्राप्ति बजट 2013-14 में कर व्यय विवरण नवम्बर 2012 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप में फाईल की गई 4.95 लाख कॉरपोरेट रिटर्नों (वित्तीय वर्ष 12) के नमूना डॉटा के आधार पर है। नमूना 31 मार्च 2012 को कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ पंजीकृत देश में 8.0 लाख कार्यकारी कम्पनियों[9] से काफी कम है। इसी प्रकार, गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों का नमूना भी नवम्बर 2012 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाईल की गई रिटर्नों के आधार पर है।

1.7.6 प्रभावी कर दर (ईटीआर) सभी कर व्यय के उपयोग के बाद कॉरपोरेट निर्धारितियों पर पड़ती कर की दर है। कम्पनियों[10] के लिए ईटीआर 32.44 *प्रतिशत* की सांविधिक कर दर के प्रति वित्तीय वर्ष 12 में 22.85 *प्रतिशत* (वित्तीय वर्ष 11 में 24.10 *प्रतिशत* से घटकर) थी।

1.7.7 *सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि ऐसा बड़ी संख्या में घाटा उठाने वाली कम्पनियों तथा अधिभार को 7.5 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करने के कारण है।* यह स्थापित नहीं हो सका कि क्या ये ईटीआर में इतनी अधिक कमी के पर्याप्त कारण थे, और यह कॉरपोरेट क्षेत्र में बढ़ती हुई कर प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

1.8 कर व्यय के परिणाम की मॉनिटरिंग

1.8.1 कर व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता की समयानुसार जांच/आकलन करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें जोखिम निहित होता है। इन व्ययों के स्वामित्व के संबंध में स्पष्टता की भी कमी है क्योंकि वे अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के साथ कर संविधियों के अंतर्गत आते हैं परन्तु किसी निश्चित जिम्मेदारी का पालन किये बिना।

1.8.2 *लेखापरीक्षा के इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कर लाभ के प्रभाव को मॉनीटर करने के लिए ऐसा कोई समीक्षा तंत्र विद्यमान था, सीबीडीटी ने कहा (मार्च 2013) कि राजस्व विभाग ने कर प्रोत्साहनों के कारण छोड़े गए राजस्व का अनुमान लगाने के लिए एक वार्षिक प्रयोग किया जिसे छोड़े गए राजस्व विवरण में दर्शाया गया था। तथापि, उन्होंने स्वीकार किया कि किसी विशेष सेक्टर अथवा क्षेत्र पर इन प्रोत्साहनों के प्रभाव के परिणामों का मंत्रालय द्वारा मॉनीटर करना होता है जो राजस्व विभाग को नियमित फीडबैक नहीं देता।* अतः लेखापरीक्षा कि यह चिन्ता अनुचित नहीं है कि महत्त्व के इस क्षेत्र की पर्याप्त मॉनीटरिंग नहीं की जा रही जिससे कर लाभ प्रदान करने से होने वाले लाभ का आश्वासन दिया जा सके।

---

[9] स्रोतः कॉरपोरेट मामलों से सम्बन्धित मंत्रालय (आर एवं ए प्रभाग)

[10] स्रोतः बजट प्राप्तियां 2013-14

1.9 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

1.9.1 हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में, हम नियमित रूप से जांच करते हैं कि आयकर विभाग उन कर छूटों का संचालन कैसे कर रहा है, जो वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नीति अभिधारणाओं द्वारा संचालित होती हैं। हमने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयकर विभाग के क्षेत्रीय संघटकों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभभोगियों को कर छूटों का लाभ प्रदान किया जो उनके हकदार नहीं हैं। इसके ब्यौरों का वर्णन अध्याय III और IV के पैराग्राफ क्रमशः 3.3.1 और 4.3.1 में किया गया है। इन मामलों में, हमने उन कॉरपोरेट निर्धारितियों से संबंधित 162 ऐसे मामले देखे जिन्होंने ₹ 1412.72 करोड़ की राशि की अनुपयुक्त रियायतों/छूटों/कटौतियों का लाभ उठाया और 41 ऐसे मामले देखे जो गैर कॉरपोरेट निर्धारितियों से संबंधित थे जिन्होंने कुल ₹ 53.9 करोड़ का लाभ उठाया।

1.10 कर आधार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण

1.10.1 विभाग के पास निर्धारिती आधार को बढ़ाने के लिए कई तंत्र उपलब्ध थे जिनमें सर्वेक्षण, अन्य कर विभागों के साथ सूचना बांटना और वार्षिक सूचना रिटर्नों में उपलब्ध तीसरी पार्टी की जानकारी शामिल है। स्वचालन एक दूसरे को अच्छी तरह से जोड़ने[11] को सरल भी बनाता है। उनमें से अधिकतर तंत्र निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध हैं। आयकर विभाग ने पिछले एक दशक के दौरान मुख्य आईटी पहलों का उत्तरदायित्व लिया जिसे वे कर आधार के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयोग कर सकते थे।

1.10.2 निम्न तालिका 1.8 और 1.9 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कॉरपोरेट और कॉरपोरेट निर्धारितियों के विवरण दर्शाती है।

---

[11] ई-टीडीएस से टीडीएस रिटर्न के गैर दाखिलकर्ता बड़े निगमों और गैर-कॉरपोरेट कटौतीकर्ता द्वारा जमा टीडीएस के वार्षिक तुलनात्मक आंकड़ों, उनके द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु टीएएन डॉटा का मिलान करना, पैन डॉटा आधार के साथ कर रिटर्नों का मिलान और कटौतीदाता की रिटर्न के साथ टीडीएस कटौतियों पर कटौतीकर्ता द्वारा जमा रिटर्न के मिलान संबंधी जानकारी।

तालिका 1.8: गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती

आंकड़े लाख में

वर्ष	ए[12]	बी[13]	बी[14]	सी[15]	डी[16]	कुल
वि.व.03	255.25	16.94	4.95	0.88	2.98	281.00
वि.व. 04	265.46	17.99	3.68	1.05	0.12	288.30
वि.व. 05	243.63	18.30	4.66	1.22	0.14	267.95
वि.व. 06	258.98	20.74	6.48	5.62	2.13	293.95
वि.व. 07	273.30	20.91	6.96	5.79	2.00	308.96
वि.व. 08	287.90	31.38	10.09	2.18	0.10	331.65
वि.व. 09	278.36	31.15	10.93	2.67	0.12	323.23
वि.व. 10	283.72	35.64	14.58	3.11	0.12	337.17
वि.व. 11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
वित्तीय वर्ष 12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61

तालिका 1.9 कॉरपोरेट निर्धारिती

आंकड़े लाख में

वर्ष	ए[17]	बी[18]	बी[19]	सी[15]	डी[16]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्य कर रही कंपनियों की संख्या
वि.व. 03	1.83	0.84	0.45	0.39	0.14	3.65	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 04	2.00	0.81	0.44	0.44	0.03	3.72	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 05	2.05	0.76	0.43	0.54	0.02	3.80	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 06	1.99	0.78	0.46	0.68	0.02	3.93	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वि.व. 07	2.05	0.78	0.47	0.68	0.02	4.00	0.10	7.44
वि.व. 08	3.16	0.70	0.51	0.59	0.02	4.98	0.08	7.69
वि.व. 09	1.67	0.59	0.48	0.51	0.03	3.28	0.07	7.50
वि.व.10	1.84	0.65	0.61	0.56	0.02	3.68	0.09	8.40
वि.व.11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20
वि.व. 12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01

---

[12] श्रेणी 'ए' निर्धारिती- ₹ 2 लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण।

[13] श्रेणी 'बी' निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 2 लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ 5 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण

[14] श्रेणी 'बी' निर्धारिती-₹ 5 लाख से अधिक और ₹ 10 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण।

[15] श्रेणी 'सी' निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक आय/हानि का निर्धारण

[16] श्रेणी 'डी' निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण

[17] श्रेणी 'ए' निर्धारिती- ₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

[18] श्रेणी 'बी' निर्धारिती (कम आय समूह) - ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ 5.00 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण

[19] श्रेणी 'बी' निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ 5.00 लाख और अधिक परंतु ₹ 10.00 लाख से कम आय/ हानि का निर्धारण

1.10.3 गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती आधार[20] ने वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 3.03 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत वृद्धि दर्शाई जबकि कॉरपोरेट निर्धारिती आधार इस अवधि के दौरान बढ़कर 6.7 *प्रतिशत* हो गया। "ग" श्रेणी के गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती वित्तीय वर्ष 07 में 5.79 लाख से तेज़ी से घट कर वित्तीय वर्ष 08 में 2.18 लाख हो गए और वित्तीय वर्ष 12 में धीरे-धीरे बढ़कर 6.57 लाख हो गए। तथापि, ₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 11 में 0.22 लाख से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 0.14 लाख हो गई। कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या आरओसी के पास पंजीकृत कम्पनियों की संख्या से भिन्न है। विभाग अन्तर का समाधान करने में विफल रहा।

1.10.4 *सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि मिलान का कार्य प्रक्रियाधीन है।*

1.11 निर्धारण से बचने वाली आय

1.11.1 किसी भी ठोस कर प्रशासन प्रणाली का उद्देश्य निर्धारितियों द्वारा करों के अपवंचन से बचने, राजस्व के सर्वोत्तम हित में प्राप्तियोग्य कर के निर्धारण तथा कर न देने वाले अथवा कम कर देने वाले निर्धारितियों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए कर आधार को व्यापक और गहरा बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी होती है। वित्तीय वर्ष 12 के लिए हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा में, हमने ऐसे कई मामले देखे जहां विभाग के भाग पर ऐसे प्रयास नहीं किए गए थे।

1.11.2 हमने अध्याय-III में कॉरपोरेट निर्धारितियों के 66 मामले सूचित किए जिनकी आय का निर्धारण नहीं किया गया था/कम निर्धारण किया गया था जिसका कर प्रभाव ₹ 337.52 करोड़ था (पैराग्राफ 3.4.1 देखें) और गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के 27 मामले सूचित किए जिनकी आय लगभग ₹ 18.94 करोड़ कम निर्धारित की गई थी (पैराग्राफ 4.4.1 देखें)। इसके अतिरिक्त, हमने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा में टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में चूक के 803 मामले देखे जिनका कर प्रभाव ₹ 629.69 करोड़ था (पैराग्राफ 2.6.4, *परिशिष्ट-7* देखें) जिसके कारण आय के कर निर्धारण से बचने को नहीं रोका जा सका।

1.12 कर ऋण - असंग्रहित मांग

1.12.1 अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों जैसे संग्रहण और बकाया मांग[21] की वसूली अर्थात निर्धारिती की चल और अचल सम्पत्ति की कुर्की या बिक्री, निर्धारिती की सम्पत्तियों और कारावास के प्रबंधन के लिए प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के बावजूद

---

[20] स्त्रोतः आयकर (कानूनी एवं अनुसंधान) निदेशालय, अनुसंधान एवं सांख्यिकीय विंग

[21] स्रोतः सीएपी I

असंग्रहित मांग बढ रही है। अधिनियम के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के प्रयोग के बावजूद कर मांग लम्बी अवधि तक वसूली नहीं जाती। नीचे तालिका 1.10 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 की अवधि के दौरान लम्बित असंग्रहित मांग की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.10: असंग्रहित मांग की स्थिति

करोड़ ₹

वर्ष	पूर्व वर्षों के संग्रहण हेतु लम्बित मांग	चालू वर्ष के संग्रहण हेतु लम्बित मांग	कुल लम्बित मांग	मांग जिसकी वसूली कठिन है *(प्रतिशत)*
वि.व.08	86859	37415	124274	उ.न.
वि.व.09	93344	107932	201276	187575 (93.19 %)
वि.व.10	181612	47420	229032	212758 (92.89 %)
वि.व.11	202859	88770	291629	271143 (92.98 %)
वि.व.12	265040	143378	408418	387614 (94.91 %)

1.12.2 कुल लम्बित माँग में से, विभाग ने इंगित किया कि वित्तीय वर्ष 12 में 94 *प्रतिशत* से अधिक की वसूली कठिन है। विभाग ने विभिन्न कारकों की तरफ संकेत किया जैसे वसूली के लिए अपर्याप्त परिसंपत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के अन्तर्गत मामले, निर्धारितियों का पता न लगना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा माँग स्थगन इत्यादि ने माँग की वसूली कठिन बना दी थी।

1.12.3 *सीबीडीटी ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2013) कि मांग जिसकी वसूली की जानी थी अवसूली योग्य नहीं थी तथा हसन अली खां ग्रुप के एक मामले ने यह आपवादिक स्थिति उत्पन्न कर दी है।*

1.12.4 कर के भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओज़) को प्रेषित किया गया था जिन्होंने निर्धारितियों से देय बकाया राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र बनाया एवं राशि की वसूली की कार्रवाई की। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शेष असंग्रहित प्रमाणित मांग वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 0.16 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 1.14 लाख करोड़ हो गई थी।

1.12.5 *सीबीडीटी ने इसका आरोप मानवशक्ति की अत्यधिक कमी पर लगाया (अप्रैल 2013) जिसके कारण वसूली कार्रवाई के प्रभावी अनुसरण में रूकावट आ रही थी।*

1.13 आईटीडी की नीतिगत योजना (2011-15)

1.13.1 विभाग ने 2011-15 के दौरान मापयोग्य लक्ष्य एवं गतिविधियों के साथ एक नीतिगत योजना परिदृश्य 2020 तैयार की है। कार्रवाई योग्य बिन्दुओं में, अन्य बातों के साथ -साथ कर आधार का अनुमान लगाना एवं एक राजस्व पूर्वानुमान मॉडल विकसित

करना, कर निःसरण पर अध्ययन प्रारंभ करना, शोध इकाई स्थापित करना, डॉटा गोदाम एवं व्यापार बौद्धिक मॉडल विकसित करना, अन्तर्राष्ट्रीय कराधान एवं निगरानी में पहल करना शामिल है।

1.13.2 प्रधानमंत्री ने सितम्बर 2009 में भारत में सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए "निष्पादन निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के लिए एक नये तंत्र का अनुमोदन किया। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी/विभाग को एक परिणाम ढांचा दस्तावेज़ (आरएफडी) तैयार करना आवश्यक है। केन्द्रीय सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने उत्तरदायित्व केन्द्रों को आरएफडी प्रणाली के फेज III में डीओआर के अन्तर्गत सम्मिलित करने का निश्चय किया (मार्च 2011)। तदनुसार, आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 13 के लिए अपना आरएफडी तैयार किया। आयकर विभाग ने भी वित्तीय वर्ष 11 के लिए अपना आरएफडी तैयार किया था हालांकि यह अनिर्वाय नहीं था।

1.14 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.14.1 नीचे तालिका 1.11 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संवीक्षा के निर्धारण में अनिर्णय और निपटान की प्रवृत्ति बताती है। निपटान के लिये लम्बित निर्धारण वित्तीय वर्ष 11 में 3.92 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 4.05 लाख हो गए।

तालिका 1.11: संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

(संख्या)

वर्ष	निपटान के लिये बकाया निर्धारण	पूर्ण किये गये निर्धारण	लम्बित निर्धारण	लम्बित निर्धारण प्रतिशतता में
वि.व. 08	9,97,813	4,07,239	5,90,574	59.2
वि.व. 09	9,53,767	5,38,505	4,15,262	43.5
वि.व. 10	8,70,620	4,29,585	4,41,035	50.6
वि.व. 11	8,47,196	4,55,212	3,91,984	46.3
वि.व. 12	7,74,807	3,69,320	4,05,487	52.3

1.15 अपील के मामलों का निपटान

1.15.1 नीचे तालिका 1.12 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों की अपूर्णता और निपटान की प्रवृत्ति बताती है। सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 08 में 67.2 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 75.3 *प्रतिशत* हो गई। अपील के मामलों में अवरूद्ध राशि भी वित्तीय

वर्ष 09 में ₹ 1.99 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 2.42 लाख करोड़ (भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के 61.4 *प्रतिशत* के बराबर) हो गई।

तालिका 1.12: सीआईटी (अपील) द्वारा अपील के मामलों का निपटान

वर्ष	निपटान के लिए बकाया अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लम्बित अपीलें	लम्बित अपीलें *प्रतिशतता* में	अपीलों में अवरूद्ध राशि
	संख्या				करोड़ ₹.
वि.व.08	1,94,003	63,645	1,30,358	67.2	-
वि.व. 09	2,24,382	66,351	1,58,031	70.4	1,99,101
वि.व. 10	2,60,700	79,709	1,80,991	69.4	2,20,148
वि.व. 11	2,57,656	70,474	1,87,182	72.6	2,93,548
वि.व. 12	3,06,134	75,518	2,30,616	75.3	2,42,182

1.15.2 31 मार्च 2012 को 65,803 मामलों में उच्च स्तर (आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि ₹ 1.63 लाख करोड़ थी।

1.16 विवादित मांग

1.16.1 नीचे दी गई तालिका 1.13 और 1.14 उठाई गई और लम्बित मांग और अविवादित मांग के आयु- वार विश्लेषण की सूची बताती है।

तालिका 1.13: उठाई गई और लम्बित मांग

करोड़ ₹

मद	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12
वर्ष के अन्त में लम्बित मांग	2,01,276	2,29,032	2,91,629	4,08,418
संग्रहणीय मांग	13,701	16,274	20,486	20,804
विवादित मांग	53,810	66,534	1,52,996	2,08,343
अविवादित मांग	39,330	42,950	51,331	48,980

तालिका 1.14: अविवादित मांग का आयुवार विश्लेषण

करोड़ ₹

आयु	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12
1 से 2 वर्ष	14,868	18,530	26,814	20,022
2 से 5 वर्ष	12,133	12,941	12,443	11,302
5 से 10 वर्ष	10,464	9,990	10,648	14,424
10 वर्षों से अधिक	1,865	1,488	1,425	3,232
कुल	**39,330**	**42,950**	**51,331**	**48,980**

1.16.2 यद्यपि, वर्ष के अंत में लम्बित मांग दोगुनी बढ़ी, तथापि वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 12 तक विवादित मांग लगभग चार गुणा बढ़ी। इस अवधि के दौरान अविवादित मांग 1.2 गुणा बढ़ी। इसने निर्धारण अधिकारियों द्वारा संपन्न की गई संवीक्षा के निर्धारण के प्रति निर्धारितियों की कम संतुष्टि दर्शाई।

1.16.3 *सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि मांग में वृद्धि जिसमें वित्तीय वर्ष 2009 से वित्तीय वर्ष 2012 तक लगभग चार गुणा का विवाद था, संवीक्षा निर्धारणों की खराब गुणवत्ता के सूचक के रूप में नहीं ली जानी चाहिए, बल्कि यह इस तथ्य की सूचक है कि निर्धारणों के क्रम में जाँचे गए विषय या तो संख्या में अधिक थे अथवा उनमें उच्च राशि शामिल थे ताकि उन्हें किए जाने वाले निर्धारणों में शामिल किया जा सके। उसने यह भी कहा कि संवीक्षा निर्धारणों के किए गए परिवर्धन करदाताओं की सन्तुष्टि के सूचक नहीं हैं क्योंकि संवीक्षा निर्धारणों में किए गए परिवर्धनों पर सामान्यतः करदाताओं द्वारा अपील कर दी जाती है।* यह ठोस आंकड़ों से समर्थित *नहीं* है और यह निर्धारण पद्धति में बढ़ते असंतोष की ओर संकेत करता है।

1.17 प्रतिदाय दावों का निपटान

1.17.1 नीचे दी गई तालिका 1.15 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष वापसी दावों की लम्बिता और निपटान की प्रवृत्ति बताती है। निपटान के लिये लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय वित्तीय वर्ष 11 में 19.5 लाख से घट कर वित्तीय वर्ष 12 में 12.5 लाख हो गए। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

तालिका 1.15: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान

(संख्या लाख में)

वर्ष	निपटान के लिए बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय	निपटाए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लम्बित वापसियां *प्रतिशतता* में
वि. व. 08	27.1	18.8	8.3	30.6
वि. व. 09	42.2	26.7	15.5	36.7
वि. व. 10	48.0	28.6	19.4	40.4
वि. व. 11	59.9	40.4	19.5	32.6
वि. व.12	52.8	40.3	12.5	23.7

1.18 आयकर विभाग की आईटी पहल

1.18.1 आयकर विभाग (आईटीडी) ने 1980 के दशक के प्रारंभ में कम्प्यूटरीकरण की पहल की जिसने विशिष्ट कार्यात्मकताओं को लक्षित किया। 1993 तक, आयकर विभाग के पास बृहत कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम (सीसीपी) के तहत अधिक विशाल कम्प्यूटरीकरण रोड मैप है। आयकर विभाग (आईटीडी) में आईटी कार्यान्वयन के मुख्य उद्देश्य कर प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता को सुधारना तथा कर आधार को व्यापक बनाने के साथ-साथ प्रभावी योजना की विश्वसनीय और समय पर सूचना प्रबंधन को उपलब्ध कराना है।

1.18.2 विजय केलकर की अध्यक्षता में प्रत्यक्ष कर टॉस्क फोर्स (दिसम्बर 2002) ने सिफारिश की कि कर सूचना नेटवर्क (टिन) को कर निर्धारण और संग्रहण प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। टास्क फोर्स की सिफारिशों का अनुकरण करते हुए विभाग ने वर्षों से कई आईटी पहलें की थी।

1.18.3 आयकर विभाग की मौजूदा प्रणाली कई वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम है और यह लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। आयकर विभाग की विस्तृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना में निर्धारिती सूचना प्रणाली (एआईएस), निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी), ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास), इलेक्ट्रॉनिक कर कटौती प्रणाली (इ-टीडीएस), वैयक्तिक रनिंग लैजर लेखा प्रणाली (इरला), कम्प्यूटर एडिड संवीक्षा प्रणाली (सीएएसएस), और आयकर विभाग के कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए प्रवर्तन सूचना प्रणाली (इएफएस) जैसे मॉड्यूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कई अन्य आंतरिक प्रबंधन और हाऊसकीपिंग मॉड्यूल जैसे कि वेतन पत्रक प्रणाली (पीएएस), मानव शक्ति प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस), न्यायिक संदर्भ प्रणाली (जेआरएस), वित्तीय स्रोत प्रणाली (एफआरएस), सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) भी कार्यरत हैं।

1.18.4 आयकर विभाग ने समस्त भारत की ई-फाईल रिटर्न और कर्नाटक तथा गोवा की पेपर रिटर्न को संचालित करने के लिए बैंगलूरू में एक केन्द्रीय प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया। यह सीपीसी अक्तूबर 2009 में परिचालित हुआ।

1.19 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.19.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अधिनिमय की धारा के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से परिचालित किए जा रहे हैं।

1.19.2 विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और उद्देश्यात्मक सैटअप के लिए जून 2007 में एक नई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली प्रस्तुत की जबकि निर्धारण कार्य और लेखापरीक्षा कार्य विभिन्न विशेषीकृत विंग को दिए गए। प्रत्येक सीआईटी (लेखापरीक्षा) के अन्तर्गत एक अतिरिक्त सीआईटी होना चाहिए जो उच्च-स्तरीय मामलों और उप/ सहायक सीआईटी और आईटीओज़ की अध्यक्षता में आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी (आईएपी) की अध्यक्षता में विशेष लेखापरीक्षा पार्टी (एसएपी) के लेखापरीक्षा कार्य सर्वेक्षण की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक अतिरिक्त सीआईटी, एसएपी और आईएपी द्वारा एक वर्ष में लेखापरीक्षा किए गए मामलों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 50,300; और 1,300 (600 निगम मामले और 700 गैर-निगम मामले) होनी चाहिए।

1.19.3 *सीबीडीटी ने कहा (अप्रैल 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा लिया गया 1300 का आंकड़ा गलत है क्योंकि प्रत्येक आईएपी के लिये लक्ष्य या तो 600 कॉरपोरेट या 700 गैर-कॉरपोरेट मामले हैं।* यह 2007 में विभाग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा वहन नहीं किया गया है, जहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईएपी के लिये लक्ष्य 600 कॉरपोरेट मामले और 700 गैर -कॉरपोरेट मामले हैं।

1.19.4 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने विंग की कार्यक्षमता के आधार पर वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 2,91,950 मामलों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई। इनमें से, 61.8 *प्रतिशत* लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 1,80,416 मामले पूरे किए गए। तालिका 1.16 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 तक प्रत्येक वर्ष के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.16: जोड़े गए, सुलझाए गए और लम्बित लेखापरीक्षा निष्कर्ष का विवरण

करोड़ ₹

वर्ष	वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के दौरान लम्बन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि.व.08	8770	1858.97	361	484.90	15097	1786.98
वि.व.09	9068	1951.64	2866	334.47	21299	3404.15
वि.व.10	14577	1224.81	6434	657.58	29442	3971.37
वि.व.11	13494	5466.88	7996	921.85	34940	8516.4
वि.व.12	13771	1879.85	14148	1118.49	34563	9277.76

1.19.5 आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों का लम्बन पिछले पाँच वर्षों के दौरान दुगुने से अधिक है। आंतरिक लेखापरीक्षा पर विभागीय प्रतिक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 12 में निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत मुख्य निष्कर्षों[22] में ₹ 10.3 लाख करोड़ के कर प्रभाव वाले 15,811 मामलों में से ₹ 1.1 लाख करोड़ (10.7 *प्रतिशत*) के कर प्रभाव वाले केवल 3,616 मामलों (22.9 *प्रतिशत*) पर कार्रवाई की गई थी। वित्तीय वर्ष 07 में ₹ 412.9 करोड़ के कर प्रभाव वाले 6,688 मामलों में से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 9,277.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले 34,563 मामलों की कुल लम्बन वृद्धि हुई।

1.19.6 *सीबीडीटी ने अप्रैल 2013 में, इस तथ्य कि आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के लम्बन में नियमित बढ़त हो रही है को स्वीकार करते हुये, सूचित किया कि उन्होंने लेखापरीक्षा विरोधों के अधिक से अधिक वास्तविक निपटान को सुनिश्चित करने के लिये उपाय शुरू किये हैं।*

1.19.7 इसके अतिरिक्त, हमने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में की गई लेखापरीक्षा में निर्धारणों में कई लेखापरीक्षा आपत्तियों का पता लगाया। वित्तीय वर्ष 12 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित 3471 निर्धारणों में हमने गलतियों को इंगित किया जिन्हें उनके द्वारा उजागर नहीं किया गया था। यह आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।

1.19.8 इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल 455 पैराग्राफो में से आंतरिक लेखापरीक्षा ने 34 मामलों (7.5 *प्रतिशत*) की लेखापरीक्षा की लेकिन ऐसी गलतियों को नही खोजा जो आंतरिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता की तरफ संकेत करती हैं।

1.19.9 *सीबीडीटी ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2013) कि आयकर के सभी आयुक्तों (लेखापरीक्षा) को आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिये प्रयास करने को कहा गया है, लेकिन आईए का निष्पादन, सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की काफी कमी से प्रभावित है।*

---

[22] आयकर में ₹1 लाख और अन्य करो में ₹ 30,000 से अधिक पर लेखापरीक्षा आपत्ति

अध्याय III: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

2.1.1 सी एण्ड एजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु निम्नवत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है:

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जाँच

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जाँच को शामिल किया जाता है:

क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के साथ-साथ कर अपवंचन के पता लगाने और रोकने के अनुपालन को सुनिश्चित करना;

ख. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है और न ही कम किया गया है।

ग. अन्य समान मामलों की समीक्षा यदि आवश्यक हो सहित धोखे, चूक या गलती के माध्यम से राजस्व की हानि की तुरंत जाँच;

घ. शास्तियों के उद्ग्रहण और अभियोग चलाने सहित एक उपयुक्त रूप में विविकाधिकार का प्रयोग करना;

ड़. विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;

च. कोई योजना जिसे समय-समय पर सरकार द्वारा प्रारम्भ किया जाए;

छ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;

ज. राशि जो बकाया में पड़ी रही, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया में राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

झ. अन्य गौण और निर्धारण रहित कार्यों जिनमें विभाग द्वारा किया गया व्यय शामिल है;

ञ. लक्ष्यों की प्राप्ति, प्राप्तियों का लेखांकन और रिपोर्टिंग और उनका लेखा अभिलेखों के साथ प्रति सत्यापन और समाधान; प्रतिदायों, रिबेट्स, फिरतियों, छूटों और मंदी की राशियों को यह देखने के लिए कि उनका सही ढंग से निर्धारण और लेखांकन किया गया है; और

ट. कोई अन्य मामला जिसे नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्वारा अवधारित किया जाए।

2.3 लेखापरीक्षा उत्पाद

2.3.1 लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुसरण और लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के प्रावधान में, हम संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आवधिक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं। भारत के सी एण्ड एजी के पास लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली 2007 के नियम 205 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्वरूप, विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण के समय के निर्धारण का प्राधिकार है।

2.3.2 इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मंत्रालय[23] को जारी किए गए 455 उच्च मूल्य और महत्व वाले मामलों पर चर्चा की गई है। *परिशिष्ट* 4 ऐसे मामलों का ब्यौरा दर्शाता है। तालिका 2.1 ऐसे मामलों[24] का वर्गवार ब्यौरा दर्शाती है। हमने कुछ महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा अध्याय III और IV में की है।

तालिका 2.1: उच्च मूल्य वाले मामलों के गलतियों के श्रेणी-वार ब्यौरे

₹ करोड़

श्रेणी		सीटी		आईटी		जोड़	
		सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई
क.	निर्धारणों की गुणवत्ता	88	486.02	40	516.47	128	1,002.49
ख.	कर रियायत/छूट/ कटौतियों का प्रबंधन	162	1,412.72	41	53.90	203	1,466.62
ग.	चूकों के कारण निर्धारण से बची हुई आय	66	337.52	42*	19.29	108	356.81
घ.	कर/ब्याज का अधि प्रभार	9	35.06	7	3.99	16	39.05
	श्रेणी	**325**	**2,271.32**	**130***	**593.65**	**455**	**2,864.97**

* ₹ 0.35 करोड़ के टीई सहित धन के निर्धारण के अंतर्गत 15 मामलों सहित

[23] वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर कर बोर्ड

[24] उप-श्रेणी-वार ब्यौरे *परिशिष्ट-5* में हैं।

2.4 वैधानिक प्रभाव

2.4.1 हमने इंगित किया[25] कि फर्मों/व्यक्तियों के संघ (एओपीज़) केवल कंपनियों पर लागू होने वाले आयकर अधिनियम में उपलब्ध मैट[26] के संप्रत्यय के अंतर्गत कटौती या प्रोत्साहन के लाभ प्राप्त कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि फर्म/एओपीज़ के लिए धारा 115जेबी की सीमा का विस्तार किया जा सकता है।

2.4.2 सरकार ने वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा धारा 115जेसी के अंतर्गत, विशिष्ट गैर-कंपनी निर्धारितियों के लिए मैट की प्रयोज्यता का विस्तार करने के लिए आय कर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया।

2.5 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

2.5.1 आईटीडी ने हमारे द्वारा इंगित किये गये निर्धारिणों में त्रुटियों में सुधार करने की मांग को उठाने से विगत पांच वर्षों में ₹ 2,680.97 करोड़ की वसूली की। इसमें वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 1,538 करोड़ की वसूली भी शामिल है। नीचे दिया गया चार्ट 2.1 दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के बीच वसूली की राशि वैकल्पिक रूप से घटी और बढ़ी तथा वित्तीय वर्ष 12 में 393 *प्रतिशत* तक अचानक उच्चतर बढ़ोतरी हुई।

चार्ट 2.1: वसूली की प्रवृत्ति

2.6 त्रुटियों की घटना

2.6.1 आईटीडी ने वित्तीय वर्ष 12 में 5,50,018 संवीक्षा निर्धारण पूरे किये जिनमें से हमने 2,95,559 मामलों की जांच की। लेखापरीक्षा में की गई जांच में निर्धारण में 18,072 त्रुटियां थीं जो औसतन 6.1 *प्रतिशत* तक थीं (*परिशिष्ट-6*)।

2.6.2 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वित्तीय वर्ष 12 के दौरान निर्धारणों में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

---

[25] 2011-12 की प्रतिवेदन सं. 12 बिजनैस ऑफ सिविल कंसट्रक्शन

[26] न्यूनतम वैकल्पिक कर

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर वार ब्यौरा

श्रेणी		मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़)
क.	निगम कर और आय कर	18,441	19,691
ख.	धन कर	815	33
ग.	अन्य प्रत्यक्ष कर	368	25
	जोड़	**19,624**[27]	**19,749**

टिप्पणी: उपरोक्त सभी निष्कर्ष और उसके बाद के सभी निष्कर्ष चयनित निर्धारिणों की लेखापरीक्षा पर एक मात्र रूप से आधारित हैं।

2.6.3 ₹ 19,691 करोड़ के कर प्रभाव वाले 18,441 मामलों में से, ₹ 702 करोड़ के कर प्रभाव वाले 323 मामले अधिक निर्धारण से संबंधित थे।

2.6.4 नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण के वर्ग वार ब्यौरे दर्शाती है। *परिशिष्ट-7* उप-श्रेणियों के ब्यौरे दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार ब्यौरा

श्रेणी		मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़)
क.	निर्धारणों की गुणवत्ता	5,878	3,641
ख.	कर रियायतों/छूट/कटौतियों का प्रबंधन	8,281	11,198
ग.	चूकों के कारण निर्धारण से बची हुई आय	2,332	3,269
घ.	अन्य	1,627	881
	जोड़	**18,118**	**18,989**

2.7 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.7.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखापरीक्षा सत्त्वों से प्रतिक्रिया प्राप्त की। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हमने आईटीडी को टिप्पणियों हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी की। इसके अतिरिक्त, हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए इनमें से महत्वपूर्ण और अधिक मूल्य वाले मामले मंत्रालय को जारी किए।

[27] वित्तीय वर्ष 11 के दौरान पूर्ण हुए और वित्तीय वर्ष 12 के दौरान लेखापरीक्षित संवीक्षा निर्धारणों के संबंध में पैराग्राफ 2.12 में त्रुटियों के साथ निर्धारिणों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका 2.2 में दिए गए 19,624 मामले वित्तीय वर्ष 12 के दौरान लेखापरीक्षित सभी मामलों से संबंधित है जिसमें पहले पूरे हुए निर्धारण भी शामिल हैं।

2.7.2 सीबीडीटी ने अनुदेश (2006) जारी किये कि एलएआर्ज़ के उत्तर छः सप्ताह के अंदर दिये जाने चाहिएं। निर्धारण अधिकारियों (एओज) को मांगों में त्रुटियां सही करने के लिए दो महीनों में उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित है ताकि ऐसा न हो कि वे कालबाधित हो जाएं जिसके कारण राजस्व की हानि हो।

2.8 स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया

2.8.1 नीचे दी गई तालिका 2.4 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान जारी मामलों के संबंध में प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.4: स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया

वित्तीय वर्ष	की गई अभ्युक्तियाँ	प्राप्त किये गये उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुए	स्वीकृत मामलों का %	उत्तर प्राप्त न होने का %
		स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले			
वि.व. 08	19,694	4,099	7,455	8,140	20.8	41.3
वि.व. 09	19,631	4,898	5,892	8,841	25.0	45.0
वि.व. 10	19,227	2,927	3,919	12,381	15.2	64.4
वि.व. 11	20,130	4,354	3,568	12,208	21.6	60.7
वि.व. 12	**19,624**	**3,945**[28]	**2,971**	**12,708**	**20.1**	**64.8**

2.9 उच्च मूल्य वाले मामलों के प्रति प्रतिक्रिया

2.9.1 हमने उच्च मूल्य वाले मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके समावेश से पूर्व मंत्रालय को उन पर टिप्पणियां देने के लिए छः सप्ताह दिये। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए 455 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, मंत्रालय/आईटीडी ने 311 मामले (68 *प्रतिशत*) स्वीकार किये। तालिका 2.5 में 302 मामलों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.5: की गई कार्रवाई का ब्यौरा

₹ करोड़

श्रेणी		कार्रवाई पूरी की गई और वसूली गई राशि		कार्रवाई की गई परंतु वसूली अभी बाकी है		केवल कार्रवाई प्रारम्भ की गई	
		सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई
क.	निगम कर	9	35.43	174	1295.88	28	215.89
ख.	आयकर	1	0.22	75	506.90	6	1.77
ग.	धनकर	2	0.04	6	0.11	1	0.02
जोड़		**12**	**35.69**	**255**	**1802.89**	**35**	**217.68**

[28] 1,718-स्वीकृत मामले और उपचारात्मक कार्रवाई की गई; 2,227-स्वीकृत मामले परंतु उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.9.2 इसके अतिरिक्त, मंत्रालय/आईटीडी ने 9 मामले स्वीकार किये परन्तु उन पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया। 31 मामलों में, मंत्रालय/आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। 113 मामलों में, हमें मई 2013 तक अभी भी प्रतिक्रिया प्राप्त करनी बाकी थी। अध्याय III और IV में क्रमशः निगम कर, आय कर और धन कर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

2.10 लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन

2.10.1 प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लंबन में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2012 तक ₹ 49,887 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 66,819 मामले जमा हो गए थे। नीचे दी गई तालिका 2.6 अभ्युक्तियों के लंबन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.6: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरे

₹ करोड़

समय	सीटी		आईटी		ओडीटी		जोड	
तक	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई
वि.व. 07	4,952	2,230	5,788	3,709	1,049	32.1	11,789	5,971
वि.व. 08	3,018	2,526	2,717	970	368	7.7	6,103	3,504
वि.व. 09	4,008	3,472	3,641	1,169	718	26.0	8,367	4,666
वि.व. 10	4,768	5,049	4,369	1,402	954	27.6	10,091	6,478
वि.व. 11	6,323	7,795	5,999	2,720	1,089	105.2	13,411	10,620
वि.व. 12	7,491	15,011	8,569	3,593	998	44.7	17,058	18,648
जोड़	**30,560**	**36,083**	**31,083**	**13,563**	**5,176**	**243.2**	**66,819**	**49,887**

2.11 काल बाधित उपचारात्मक कार्रवाई

2.11.1 नीचे दी गई तालिका 2.7 वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान काल बाधित मामलों का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 2.7: काल-बाधित मामलों का ब्यौरा

प्रतिवेदन का वर्ष	मामले	कर प्रभाव ₹ करोड़
वित्तीय वर्ष 08	13,833	33,851
वित्तीय वर्ष 09	16,557	5,613
वित्तीय वर्ष 10	5,644	2,869
वित्तीय वर्ष 11	7,942	5,335
वित्तीय वर्ष 12	3,907	1,083

2.11.2 वित्तीय वर्ष 12 के दौरान, ₹ 1,083 करोड़ के कर प्रभाव वाले 3,907 मामले उपचारात्मक कार्रवाई हेतु कालबाधित हो गए थे। *परिशिष्ट-8* ऐसे मामलों का ब्यौरा दर्शाता है।

2.12 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.12.1 हमने करों के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी जाँच सुरक्षित रखने के मद्देनजर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत अभिलेखों के निर्धारण की संवीक्षा की और यह जांच कर रहे हैं कि नियमावलियों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया जा रहा है। आईटीडी के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराये और सुसंगत सूचना प्रस्तुत करें।

2.12.2 आईटीडी ने वित्तीय वर्ष 12 (16.69 प्रतिशत) के दौरान माँगे गए 4,67,830 अभिलेखों में से 78,077 अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। इनमें से, पांच राज्यों से संबंधित 668 अभिलेख विगत तीन या अधिक क्रमानुगत लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। तालिका 2.8 राज्य-वार ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 2.8: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख

राज्य		उपलब्ध न कराये गये अभिलेख
क.	आंध्र प्रदेश	156
ख.	कर्नाटक	265
ग.	मध्य प्रदेश	51
घ.	महाराष्ट्र	5
ड़.	ओड़िशा	191
	जोड़	**668**

अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय I में दस वर्ष की अवधि के साथ निगमनात्मक परिप्रेक्ष्य में रिपोर्टिंग वर्ष, वित्तीय वर्ष 12 के विभिन्न वित्तीय (राजस्व) समुच्चयों का एक सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। राजस्व संग्रहण के संदर्भ में सामान्य मुद्दों से संबधित विभिन्न भागों को इसमें दर्शाया गया है और यह क्षेत्रीय संरचानाओं में निर्धारण अधिकारी(यों) द्वारा पूरे किए गए निर्धारणों की अनुपालन लेखापरीक्षा से सामने आए हैं। अध्याय III और IV में, कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट निर्धारितियों के निर्धारणों में पाई गई कमियों को बताते हुए हमने अध्याय I में चिन्हित सामान्य मुद्दों के साथ इन कुछ कमियों को जोड़ने की भी कोशिश की है।

3.1.2 अध्याय III में मंत्रालय को मई और अक्तूबर 2012 के बीच जारी ₹ 2,271.32 करोड़ (₹ 2,236.26 करोड़ के कम प्रभार के 316 मामले और ₹ 35.06 करोड़ के अतिप्रभार[29] से संबंधित नौ मामले) के कर प्रभाव के साथ निगम कर से संबंधित उच्च मूल्य के 325 मामलों पर चर्चा की गई है। तालिका 3.1 में त्रुटियों की व्यापक श्रेणियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3.1: त्रुटियों की श्रेणी और कर प्रभाव

श्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	88	486.02
ख. कर रियायत/छूट/कटौती का प्रशासन	162	1,412.72
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	66	337.52
घ. कर/ब्याज का अतिप्रभार	9	35.06
कुल	**325**	**2,271.32**

3.1.3 प्रत्येक व्यापक श्रेणी के अन्तर्गत, हम समान प्रकृति की गलतियों को उजागर करने के उद्देश्य से उप-श्रेणी दर्शाते हैं। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम का हवाला देते हुए एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है, जिसके बाद महत्वपूर्ण मामले(लों) का वर्णन किया जाता है।

[29] सही आंकड़े अपनाने में त्रुटियों, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, कर/ब्याज इत्यादि में गलत दरें लगाने के कारण अतिप्रभार लगाया गया।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.2 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.2: निर्धारणों में त्रुटियों का विवरण

उप श्रेणी		मामले	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क.	आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	42	383.85	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
ख.	ब्याज लगाने में गलतियाँ	23	46.01	असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
ग.	अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	11	31.35	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
घ.	कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	8	18.20	दिल्ली महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ड़.	अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में अशुद्धियाँ	4	6.61	महाराष्ट्र और राजस्थान
जोड़		**88**	**486.02**	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे सात मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों की और लेखों, रिकार्डों और विवरण के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के निर्धारणों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

3.2.2.1 डीआईटी-I प्रभार, दिल्ली में, अक्तूबर 2010 में ₹ 267.18 करोड़ पर संवीक्षा के बाद निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष (नि.व.) 08 के लिए **द बैंक आफ टोक्यो मितसुबिशी यूएफजे लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया किन्तु कर की गणना करते समय गलती से आय को ₹ 201.69 करोड़ ले लिया, जैसी कि फार्म आईटीएनएस-150 में गणना की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 39.70 करोड़ का कर कम

लगाया गया। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।*

3.2.2.2 सीआईटी-IV कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 35.83 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **जेनसन और निकलसन (इं) लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय "असाधारण मदों" की ओर लाभ और हानि खाते को डेबिट किए गए ₹ 89.87 करोड़ अस्वीकृत किए, किन्तु इसे ₹ 8.99 करोड़ के रूप में अपना लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.83 करोड़ की हानि की अधिक गणना की गई जिसमें ₹ 12.06 करोड़ के ब्याज और संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 32.23 करोड़ का कम कर सम्मिलित था जिससे ₹ 45.05 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

3.2.2.3 सीआईटी- IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने **हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड** के मामले में कर योग्य आय की गणना के समय दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 के लिए ₹ 35.83 करोड़ जैसाकि निर्धारिती द्वारा गणना की गई थी की आय के बजाय ₹ 38.68 करोड़ की हानि के साथ गणना प्रारंभ की और ₹ 13.77 करोड़ के अस्वीकरण किए। ₹ 35.83 करोड़ के सही आंकडें को आय के रूप में अपनाने में गलती के परिणामस्वरूप ₹ 74.51 करोड़ की हानि की अधिक गणना हुई जिसमें ₹ 25.33 करोड़ का संभावित कर कम लगाया गया था। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत इसमें सुधार किया।*

3.2.2.4 सीआईटी जामनगर प्रभार, गुजरात में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड** के मामले में कर योग्य आय की गणना करते समय जैसा कि निर्धारिती द्वारा वापिस की गई आय के बजाय गलती से ₹ 50.77 करोड़ की हानि अपना ली और उसपर ₹ 6.06 करोड़ के अस्वीकरण किए। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 56.83 करोड़ की हानि की अधिक गणना हुई जिसमें ₹ 19.13 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत कार्रवाई की।*

3.2.2.5 डीआईटी- I प्रभार, दिल्ली में यूएस डालर 1.43 करोड़ की आय पर अक्तूबर 2010 में संवीक्षा के बाद पूरे किए गए निर्धारण वर्ष 08 के लिए **एस्पेक्ट साफ्टवेयर इंक** के निर्धारण में निर्धारण अधिकारी ने यूएस डालर में आय की गणना की किन्तु आय कर गणना फार्म में आय कर के नियम 115 के अन्तर्गत लागू विनिमय दरों के अनुसार भारतीय रूपयों में परिवर्तित किए बिना कर की मांग की। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 18.97 करोड़ का कम कर लगाया गया। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।*

3.2.2.6 सीआईटी- एलटीयू प्रभार, दिल्ली में, ₹ 880.92 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 के लिए **द ओरियंटल इन्श्योरेंश कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 14ए (नियम 8डी के साथ पठित) के अन्तर्गत छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय के रूप में ₹ 36.22 करोड़ अस्वीकृत किए जिसके प्रति केवल ₹ 5.38 करोड़ ही वापिस जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2010 में धारा 154 के अन्तर्गत संशोधन के समय गलती को नही सुधारा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 30.84 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 13.94 करोड़ का कर कम लगाया गया। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मार्च 2012)।*

3.2.2.7 सीआईटी-I प्रभार, दिल्ली में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड** की आय की गणना करते समय निर्धारण वर्ष 05 से संबंधित ₹ 18.60 करोड़ की आय को निर्धारण वर्ष 07 मे अनावशोषित हानि के रूप में लिया और गलती से इसे अग्रेषित करने की अनुमति दे दी। इस गलत अग्रेषित हानि में ₹ 12.52 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।*

3.2.3 ब्याज लगाने में त्रुटियाँ

हम पांच मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैः

अधिनियम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारितियों द्वारा की गई विभिन्न चूकों के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान करता है।

3.2.3.1 सीआईटी डिबरूगढ़ प्रभार, असम में वास्तव में संवीक्षा के पश्चात् नवम्बर 2007 में पूरे किए गए निर्धारण वर्ष 06 और 07 के लिए **ऑयल इंडिया लिमिटेड** के निर्धारणों का पुनः अवलोकन करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को दो वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 96.98 करोड़ और ₹ 494.33 करोड़ का मांग ज्ञापन अप्रैल 2010 में जारी किया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 08 के लिए प्रतिदाय के प्रति जुलाई 2010 में माँगों का पूरा समायोजन किया किन्तु मई 2010 से जुलाई 2010 की अवधि के लिए कर मांग के भुगतान/समायोजन में विलंब के लिए ब्याज नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.74 करोड़ का ब्याज नहीं लगा। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार कर सुधार किया और ब्याज की राशि संग्रहित की (अगस्त 2011)।*

3.2.3.2 डीआईटी (आईटी) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल मे दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 06 के लिए **एबीएन एमरो बैंक** का निर्धारण पूर्ण होने के बाद निर्धारण अधिकारी ने ₹ 50 करोड़ का एक मांग ज्ञापन जारी किया। संशोधन पर आयकर विभाग ने जनवरी 2009 में मांग में ₹ 50.80 करोड़ तक की वृद्धि की। निर्धारण

अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 08 के लिए प्रतिदाय के प्रति फरवरी 2009 और मई 2009 में मांग का पूरी तरह समाशोधन किया किन्तु कर के भुगतान में विलम्ब[30] के लिए ब्याज नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।*

3.2.3.3 सीआईटी-V प्रभार, दिल्ली में ₹ 86.21 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद पूरे किए गए निर्धारण वर्ष 09 के लिए **आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (पहले सोलारिस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** के निर्धारण में कर मांग की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने अग्रिम कर के भुगतान मे विलम्ब के लिए ब्याज की ₹ 5.35 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 4.54 करोड़ प्रभारित किए। इसके अलावा अधिभार, शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर की क्रमशः 10 *प्रतिशत,* 2 *प्रतिशत* और 1 *प्रतिशत* की लागू दरों को भी नहीं लगाया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ का कर कम लगाया गया। *मंत्रालय ने स्वीकारा और धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (सितम्बर 2011)।*

3.2.3.4 सीआईटी-I पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में ₹ 189.87 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए निर्धारण अधिकारी ने **बजाज एलियंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया गया और अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए जिसमें निर्धारण पूरा किया गया था ₹ 4.45 करोड़ का ब्याज लगाने के बजाय, अप्रैल 2007 से अक्तूबर 2007 की अवधि के लिए जिसमें निर्धारिती ने स्व-निर्धारित कर का भुगतान किया ₹ 1.29 करोड़ का ब्याज लगाया। इस गलती के कारण ₹ 3.15 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *मंत्रालय ने इसे स्वीकारा और धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।*

3.2.3.5 सीआईटी एलटीयू प्रभार, दिल्ली में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 476.80 करोड़ की आय पर नवम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **नेसले इंडिया लिमिटेड** के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय सार प्रक्रिया के बाद मार्च 2009 में निर्धारिती को ₹ 11.49 करोड़ के अधिक प्रतिदाय पर धारा 234 डी के अन्तर्गत ब्याज नहीं लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (मार्च 2012)।*

---

[30] जनवरी 2009 से फरवरी 2009 की अवधि के लिए और अप्रैल 2009 से मई 2009 के लिए संशोधित, अतिरिक्त मांग पर

3.2.4 अत्यधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हम ऐसे दो मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

यदि प्रतिदाय की राशि नियमित निर्धारण या सार रूप में निर्धारित कर के दस प्रतिशत से कम न हो तो धारा 244ए (1) प्रतिदाय पर ब्याज का प्रावधान करती है।

3.2.4.1 सीआईटी-एलटीयू चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु, में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 439 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय दिसम्बर 2009 मे जाँच निर्धारण पूर्ण होने के तीन माह बाद ₹ 9.69 करोड़ के ब्याज सहित 12 मार्च 2009 को सार निर्धारण स्थिति पर गणना किए गए ₹ 136.44 करोड़ के प्रतिदाय के प्रति निर्धारिती को 31 मार्च 2010 को ₹ 18.94 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 170.20 करोड़ का प्रतिदाय दिया। प्रतिदाय के भुगतान में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 6.31 करोड़ के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ। *मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया।*

3.2.4.2 सीआईटी एलटीयू प्रभार, दिल्ली, में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया जिसमें ₹ 1725.10 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया और धारा 234 डी के अन्तर्गत प्रतिदाय पर ₹ 8.36 करोड़ के ब्याज की वापसी और ₹ 9.28 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 563.57 करोड़ की मांग की गई। कर मांग की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने अक्तूबर 2008 और फरवरी 2009 में किए गए प्रतिदायों पर अनुमत ब्याज पर विचार नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर अनुमत ₹ 3.97 करोड़ के ब्याज की कम वापसी प्राप्त हुई। इसके अलावा, आयकर विभाग ने धारा 234 डी के अन्तर्गत ₹ 30.89 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिदायों पर ₹ 2.13 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया।

3.2.5 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हम ऐसे दो मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सीआईटी (अपील) को अपील कर सकता है, जो अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य की शंका और आईटीएटी के कानून पर भी अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

3.2.5.1 सीआईटी सेन्ट्रल II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर ₹ 6.67 करोड़ की अस्वीकृति के बाद कि यह राशि म्हाडा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अधिकारातीत उद्देश्यों के लिए बनाए गए फर्जी किराएदारों के लिए

बिक्रीयोग्य क्षेत्र में निर्माण के लिए खर्च किए गए व्ययों का अनुपात दर्शाती है, ₹ 37.10 करोड़ की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 के लिए **लेयर एक्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड** का निर्धारण दिसम्बर 2009 में पूरा किया। अपीलीय आदेश का पालन करते समय, निर्धारण अधिकारी ने सीआईटी (ए) द्वारा अनुमत ₹ 1.11 करोड़ की रियायत के बजाय पूरे ₹ 6.67 करोड़ की अननुमत राशि की अनुमति दे दी। त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 5.56 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.33 करोड़ का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और *धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (फरवरी 2010)।*

3.2.5.2 सीआईटी-I जोधपुर प्रभार, राजस्थान में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 05 के लिए **जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** के मामले में दिसम्बर 2010 में अपीलीय आदेश का पालन करते समय, निर्धारिती द्वारा दिसम्बर 2006 मे अपनी हानि की संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करते समय दर्शायी गई ₹ 5.90 करोड़ के शुद्ध लाभ की राशि पर विचार नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.90 करोड़ तक की हानि की अधिक गणना हुई जिसमें ₹ 2.12 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारिती को कुल आय की गणना में रियायतें/छूटें/कटौतियाँ अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटें/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। इन मामलों से आयकर विभाग में कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के कर प्रशासन की कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.3 वह उप श्रेणियाँ दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के अन्तर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ

₹ करोड़ में

उप-श्रेणियाँ		संख्या	टीई	राज्य
क.	मूल्यह्रास/कारोबारी हानियाँ/पूंजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियतताएं	79	706.52	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख.	अनियमित रियायतें/कटौतियां/छूटें/ राहत	56	266.21	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
ग.	कारोबारी व्यय के गलत भत्ते	27	439.99	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
	जोड़	**162**	**1,412.72**	

3.3.2 मूल्यह्रास और कारोबारी/पूंजीगत हानियों का समंजन और अग्रेषण अनुमत करने में अनियमितताएं

हम ऐसे चार मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

जहाँ हानि प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं हुई तो संमजित न हुई हानि की सीमा तक को अनुवर्ती निर्धारण वर्ष में समंजन के लिए हानि अग्रेषित करने का प्रावधान धारा 72 में है।

3.3.2.1 सीआईटी पटियाला प्रभार, पजांब में, निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2011 में (प्रारंभ में दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद पूरे किए गए) निर्धारण वर्ष 09 के लिए **पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड** के निर्धारण का संशोधन किया जिसमें ₹ 5483.60 करोड़ के बजाय ₹ 6148.40 करोड़ की हानि का अग्रेषण अनुमत किया गया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 664.80 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 225.97 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मई 2011)।*

धारा 73 अन्य प्रत्याशित व्यवसाय के लाभ और मुनाफे के प्रति केवल किसी प्रत्याशित हानि के समंजन का प्रावधान करती है। अन्य कम्पनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार, इसे प्रत्याशित व्यवसाय इस सीमा तक कहा जा सकता है कि व्यवसाय में ऐसे शेयरों की खरीद और बिक्री होती है।

3.3.2.2 सीआईटी-IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 401.55 करोड़ की आय पर मार्च 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए मुख्य रूप से शेयर ब्रोकिंग, शेयरों के लेन-देन और व्युत्पन्नों, पब्लिक इशू की मार्केटिंग इत्यादि के व्यवसाय में लगे **कोटक सिक्यूरिटिज़ लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया जिसमें वायदे और विकल्पों से ₹ 105.95 करोड़ की गैर प्रत्याशित आय के प्रति शेयरों के लेन-देन से ₹ 39.37 करोड़ की प्रत्याशित हानि का समंजन अनुमत किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने शेयरों के लेन-देन के लिए उत्तरदायी ₹ 7.88 करोड़ का व्यय भी अनुमत किया जो सही नहीं था। गैर प्रत्याशित आय के प्रति इसके लिए उत्तरदायी व्ययों सहित प्रत्याशित हानि के समंजन को अस्वीकार करने में चूक के परिणामस्वरूप अधिभार, ब्याज इत्यादि सहित ₹ 47.25 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 34.30 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 148 के अन्तर्गत गलती में सुधार के लिए नोटिस जारी किया।*

धारा 32(2)(बी) अनुवर्ती निर्धारण वर्षों में अनावशोषित ह्रास के समंजन का प्रावधान करती है जो अनुवर्ती निर्धारण वर्ष के तुरन्त बाद के आठ निर्धारण वर्षों से अधिक न हो और जिनके लिए उपरोक्त भत्ते की गणना पहले की गई हो।

3.3.2.3 सीआईटी-I चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में निर्धारण अधिकारी ने "शून्य" आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **विसाका सीमेंट इन्डस्ट्री लिमिटेड** के निर्धारण को पूरा करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण वर्ष 01 और निर्धारण वर्ष 03 के संबंध में क्रमशः ₹ 15.07 करोड़ और ₹ 24.10 करोड़ की हानि को अग्रेषित करने के साथ ₹ 21.48 करोड़ की व्यवसायिक हानि का समंजन अनुमत किया जबकि निर्धारिती ने रिटर्न देय तिथि के बाद भरी थी। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने आठ वर्षों से अधिक पुराने निर्धारण वर्ष 2000 के लिए ₹ 16.45 करोड़ का अनवशोषित मूल्यह्रास भी अनुमत किया। चूकों के परिणामस्वरूप, गलत समंजन और ₹ 40.60 करोड़ की व्यवसायिक हानि और ₹ 36.50 करोड़ का अनवशोषित मूल्यह्रास अग्रेषित हुए जिसमें ₹ 25.95 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

धारा 32(1) (ii ए) 31 मार्च 2005 के बाद अधिग्रहित और संस्थापित नई मशीनरी या संयंत्र (जहाजों और वायुयानों के अलावा) और जो किसी वस्तु या सामान के निर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगाई गई हो की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत की निर्धारित दर पर अतिरिक्त मूल्यह्रास का प्रावधान करती है।

3.3.2.4 सीआईटी सम्बलपुर प्रभार, ओडिशा में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए कोयले के उत्खनन में लगी **महानदी कोलफील्डस लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय कर लेखापरीक्षक के दृष्टिकोण के आधार पर कि कोयला खनन एक निर्माण या उत्पादन प्रक्रिया है, नए संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 32.09 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यह्रास अनुमत किया। किन्तु खनन कार्य न्यायिक निर्णय[31] के दृष्टिगत निर्माण या उत्पादन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है। इस प्रकार, निर्धारिती अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए योग्य नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 32.09 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 14.36 करोड़ तक का कर कम लगा। *मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया किन्तु धारा 148 के अन्तर्गत गलती में सुधार के लिए नोटिस जारी किया।*

[31] सीआईटी बनाम गोमतेश ग्रेनाइटस (118 टेक्समेन 141) (मद्रास) और लक्की मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम सीआईटी 226-आईटीआर-245 (राज.)

3.3.3 अनियमित छूटें/कटौतियाँ/रियायतें/राहत

हम एक ऐसा मामला सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

अध्याय VI ए और धारा 10 में निर्धारिती की कुल आय की गणना में कुछ कटौतियों/छूटों का प्रावधान है बशर्ते उसमें दी गई कुछ शर्तों को पूरा किया जाए। धारा 80 आईए में संरचनात्मक विकास में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ या मुनाफे के संबंध में 100 *प्रतिशत* कटौती का प्रावधान है।

3.3.3.1 सीआईटी मध्य हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 78.55 करोड़ की कुल आय को नवम्बर 2008 में धारा 153 (ए) के साथ पठित संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **नवयुग इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड** के निर्धारण को पूरा किया जिसमें निर्धारिती कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी से निर्मित सड़क पुल के निर्माण के बिक्री प्रतिफल से प्राप्त ₹ 125 करोड़ की छूट अनुमत की थी। निर्धारिती कम्पनी को सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मोड में बीओटी योजना के अन्तर्गत पुल का निर्माण कार्य दिया गया था और स्वयं आंध्र प्रदेश सरकार के पास परिसम्पत्ति का स्वामित्व निहित था, इसकी सहायक कम्पनी को पुल का स्थानातरण सही नहीं था और इस प्रकार ₹ 125 करोड़ के पूरे बिक्री प्रतिफल को कर के शीर्ष "अन्य स्त्रोतों के आय" के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 125 करोड़ के गलत भत्ते की छूट में ₹ 55.45 करोड़ का कम कर लगा। *आयकर विभाग ने यह कह कर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (नवम्बर 2010) कि यह उसकी सहायक कम्पनी को टोल के संग्रहण के अधिकार" के हस्तांतरण का मामला था और इसके परिणामस्वरूप लाभ पर अधिनियम की धारा 47 (iv) के अनुसार कर* नहीं लगेगा। उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि 10.06.1999 को निर्धारिती और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच किए गए "समझौते" के पैराग्राफ 1.8 में ऐसे हस्तांतरण का प्रावधान नहीं था।

3.3.4 कारोबारी व्यय की गलत अनुमति

हम ऐसे चार मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 35 डीडीए में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए भुगतान के माध्यम से किए गए किसी व्यय के पांचवें भाग की कटौती और बकाया का अनुवर्ती पिछले वर्षों के तुरंत बाद प्रत्येक के लिए चार बराबर किश्तों का प्रावधान है।

3.3.4.1 सीआईटी-II कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निर्धारण अधिकारी ने "शून्य" आय के लिए अगस्त 2008 (प्रारंभ में दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) मे निर्धारण वर्ष 05 के लिए **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड** के निर्धारण के संशोधन के समय अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण वर्ष 03 से संबंधित वीआरएस के अन्तर्गत ₹ 84.59 करोड़ का परिशोधित व्यय अनुमत किया। तथापि, मई 2008 में सीआईटी (अपील) के आदेश के आलोक में ₹ 84.59 करोड़ के व्यय को कम करके ₹ 1.45 करोड़ (वीआरएस व्यय का

पाँचवा भाग होने के कारण ₹ 7.27 करोड़ अनुमत किया गया) कर दिया गया है, पर विचार नहीं किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 83.13 करोड़ के अधिक भत्ते का व्यय हुआ जिसमें ₹ 29.82 करोड़ का संभावित कर सम्मिलित था।

धारा 43बी में कुछ व्ययों के लिए कटौती का प्रावधान केवल तभी है जब आय का रिटर्न फाइल करने की देय तिथि पर या उससे पूर्व उसके पिछले वर्ष में वास्तव में भुगतान किया गया हो।

3.3.4.2 सीआईटी-I चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 और नवम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 और 09 के लिए क्रमशः ₹ 1445.17 करोड़ और ₹ 3306.53 करोड़ की हानि पर **तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड** का निर्धारण पूरा करते समय व्यय के रूप में ₹ 459.86 करोड़ और ₹ 462.98 करोड़ का विद्युत कर अनुमत किया जबकि निर्धारिती ने सरकार को इसका भुगतान ही नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप कुल ₹ 922.84 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति दी गई जिसमें ₹ 312.16 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (जनवरी 2012)।*

3.3.4.3 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2010 में निर्धारण वर्ष 09 के लिए **बैंक आफ इंडिया** के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, छुट्टी नगदीकरण के लिए ₹ 63.17 करोड़ का प्रावधान अनुमत किया जो अप्रदत्त रहा जबकि इसे अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था। त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 63.17 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 28.56 करोड़ का कर कम लगाया गया था। मंत्रालय *ने स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (अप्रैल 2012)।*

धारा 35 ई में किसी खनिज के खनन अथवा उत्पाद की सम्भावना सम्बन्धी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय को शून्य तक (धारा 35 ई के अन्तर्गत छूट अनुमत किए जाने से पूर्व) घटाने के लिए व्यय की पर्याप्त कुल राशि के दसवें हिस्से से कम की छूट का प्रावधान है।

3.3.4.4 सीआईटी, आसनसोल प्रभार, पश्चिम बंगाल के निर्धारण अधिकारी ने शून्य आय पर दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 06 के लिए **ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, ₹ 148.20 करोड़ (आर्थिक सहायता, जमा पर ब्याज इत्यादि सहित) की आय के प्रति धारा 35ई के अन्तर्गत ₹ 42.30 करोड़ की कटौती अनुमत की जोकि कटौती के योग्य पूर्वानुमान के लिए, या किसी खनिज की निकासी या उत्पादन से संबंधित कार्य से प्राप्त नहीं थी। कटौती की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप बराबर की राशि की हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 15.48 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 147 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (दिसम्बर 2010)।*

3.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम एक व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त, वास्तव में प्राप्त या उपार्जित या प्राप्त या उपार्जित मानी जाने वाली सभी आय में सम्मिलित करने का प्रावधान करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने कर के लिए प्रस्तावित कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया। तालिका 3.4 उन उप श्रेणियों को दर्शाती है जो आय को निर्धारण से बचाने के कारण बने।

तालिका 3.4: त्रुटियों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय के अन्तर्गत गलतियों की उप श्रेणियाँ

₹ करोड़ में

उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य
क. विशेष प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं करना	37	215.00	आंध्र प्रदेश, चण्डीगढ़ (यूटी), दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं करना	25	116.54	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत मुनाफे का गलत वर्गीकरण और गणना	4	5.98	केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
जोड़	**66**	**337.52**	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं करना/कम निर्धारण करना

हम ऐसे तीन मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 115 जेबी में दर्ज लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर एमएटी लगाने का प्रावधान है यदि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय पर देय कर ऐसे कुछ जोड़ और घटा के रूप में निर्धारित करने के बाद प्राप्त दर्ज लाभ की प्रतिशतता से कम हों। 1 अप्रैल 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (सं.2) अधिनियम 2009 द्वारा समाविष्ट धारा 115 जेबी (2) के स्पष्टीकरण 1 में दर्ज लाभ की गणना करते समय लाभ की परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के रूप में अलग की गई राशि (यों) को जोड़ने का प्रावधान है। इसी प्रकार, भारत में या विदेश में चुकाए गए आय कर को जोड़ने का भी प्रावधान है।

3.4.2.1 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2011 में (प्रारंभ में ₹ 996.97 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2004 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) निर्धारण वर्ष 03 के लिए **बैंक आफ इंडिया** के निर्धारण का पुनरीक्षण करते समय सामान्य प्रावधानों के तहत सीआईटी (ए) के आदेश को अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत प्रभावी करते समय विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता की गणना नहीं की। विभिन्न प्रावधानों को जोड़ने के बाद विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता सम्पत्ति के मूल्य में कमी की दिशा में डेबिट कर सामान्य प्रावधान के तहत लगाए जाने पर

₹ 86.55 करोड़ के बजाय ₹ 99.83 करोड़ बनता था। विशेष प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले कर में त्रुटि के परिणामस्वरूप एमएटी क्रेडिट की वापसी और धारा 244ए के तहत ब्याज सहित ₹ 46.23 करोड़ का कर कम लगाया गया।

3.4.2.2 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने नवम्बर 2009 में (प्रारंभ में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 42.54 करोड़ की कुल आय पर मार्च 2005 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) ₹ 7.97 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत हानि सहित ₹ 27.85 करोड़ की हानि पर निर्धारण वर्ष 04 के लिए **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के निर्धारण का पुनरीक्षण करते समय, धारा 254 के अन्तर्गत अपीलीय आदेश का पालन करते समय एमएटी से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया। एमएटी से संबंधित विशेष प्रावधानों को लागू करने में त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 24.99 करोड़ का कर नहीं लग सका। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 263 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।

दर्ज लाभ की गणना करते समय आय की राशि के लिए धारा 10 (निर्धारण वर्ष 06 से धारा 10(23जी) के तहत निहित प्रावधान नहीं) या 10ए या 10बी या 11 या 12 के किसी भी प्रावधान को हटाया जा सकता है, यदि ऐसी राशि को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है।

3.4.2.3 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र मे निर्धारण अधिकारी ने ₹ 18.59 करोड़ की हानि पर निर्धारण वर्ष 07 के लिए **देना बैंक लिमिटेड** के मुनाफा वसूली की गणना करते समय धारा 154 के तहत परिशोधन के समय मार्च 2010 में ₹ 2.08 करोड़ के इन्फ्रांस्टक्चर बांड पर ब्याज, ₹ 154.36 करोड़ के इन्फ्रास्ट्क्चर अवधि ऋण पर ब्याज कम किया (धारा 10(23जी) के तहत छूट) और ₹ 42.92 करोड़ की मानक परिसम्पत्तियों का प्रावधान कम किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 180.77 करोड़ की मुनाफा वसूली का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 20.09 करोड़ का कम कर सम्मिलित था। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 263/253/154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (फरवरी 2012)।

सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण न करना/कम निर्धारण करना।

3.4.3 हम ऐसे दो मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 5 में किसी भी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय जिसमें किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय को सम्मिलित किया जाता है जो कि प्राप्त की गई या प्राप्त मानी गई या जो ऐसे पिछले वर्ष के दौरान उपचित या प्राप्त हुई हो, जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर से विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त न हो।

3.4.3.1 सीआईटी- IV अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 417.68 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **वोडाफोन एस्सार (गुजरात) लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय कुल आय में पूर्व दत्त सेवाओं के लिए उसके उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 108.52 करोड़ के बिक्री

प्रतिफल को जिसे निर्धारिती कम्पनी ने तुलन विवरण में चालू परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुसूची 10 में "अग्रिम आय" (पूर्वदत्त) के रूप में दर्शाया था को सम्मिलित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 108.52 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 48.58 करोड़ का कम कर सम्मिलित था। *आयकर विभाग ने 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के तहत गलती में सुधार किया (दिसम्बर 2011)।*

धारा 2(22)(ई) के अनुसार किसी ऐसी कम्पनी जिसमें जनता की अधिक रूचि न हो द्वारा कम्पनी के मतदान में 10 *प्रतिशत* से अधिक के लाभप्रद अंशधारी को या किसी उस व्यक्ति को जिसमें वह व्यापक रूप से रूचि लेती हो को दिया गया ऋण कम्पनी द्वारा प्रदत्त उस सीमा तक लाभांश होगा जहां तक कम्पनी लाभ संग्रहित कर सकती है। ऐसा लाभांश धारा 115ओ के अधीन लाभांश वितरण कर के अध्यधीन नहीं है तथा यह कर योग्य आय है।

3.4.3.2 सीआईटी- I कोलकाता, पश्चिम बंगाल के निर्धारण अधिकारी ने ₹ 23.66 लाख की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **ज़ेनिटिस टेक्नोलेब (प्रा.) लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय ज़ेनिटिस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 28.56 करोड़ के अग्रिम शेष को निर्धारिती के पास माने गए लाभांश के रूप में नहीं लिया, जबकि ऐसे प्रतिफल हेतु परिस्थितियाँ पूरी तरह से संतोषजनक थीं। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 28.56 करोड़ की आय का निर्धारण कम हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 12.79 करोड़ का कर कम लगाया गया था। *आयकर विभाग ने धारा 144/263 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (दिसम्बर 2011)।*

3.4.4 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना

हम एक ऐसा मामला सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 74 में अनुबंध है कि किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जहाँ भी पूंजीगत लाभ शीर्ष के अन्तर्गत संगणना का शुद्ध परिणाम हानि हो, पूरी हानि को अगले निर्धारण वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और दीर्घाविधि पूंजीगत परिसम्पत्ति से संबंधित हानि में इसका दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के प्रति समंजन होगा।

3.4.4.1 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 136.22 करोड़ के दर्ज लाभ के साथ फरवरी 2008 में धारा 154 के तहत निर्धारण वर्ष 06 (प्रारंभ में ₹ 79.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) के लिए **टाटा इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड** के निर्धारण को संशोधित किया और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 46.45 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की गणना की। एलटीसीजी की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 22.82 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत हानि (एलटीसीएल) का समंजन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.82 करोड़ के एलटीसीएल का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 2.39 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (अप्रैल 2011)।*

3.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

3.5.1 हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने नौ मामलों में आय का अति निर्धारण किया जिसमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ₹ 35.06 करोड़ का कर अधिक प्रभारित हुआ। हम ऐसा एक मामला सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

3.5.1.1 सीआईटी-एलटीयू प्रभार, दिल्ली में दिसम्बर 2010 में ₹ 406.28 करोड़ की आय पर धारा 154 के तहत, निर्धारण वर्ष 09 (प्रारंभ में ₹ 880.92 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) के लिए **द ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** के निर्धारण का पुनरीक्षण करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.47 करोड़ के टीडीएस का और ₹ 65 करोड़ के अग्रिम कर का लाभ नहीं दिया और धारा 234बी के तहत ₹ 45.57 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 21.94 करोड़ का ब्याज अधि प्रभारित हुआ। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2012)।*

अध्याय IV: आय कर और धन कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

क - आयकर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 अध्याय IV में मई और अक्टूबर 2012 के बीच मंत्रालय को जारी ₹ 593.30 करोड़ (₹ 589.31 करोड़ के कमप्रभार वाले 108 मामले और ₹ 3.99 करोड़ के अधिप्रभार[32] वाले सात मामले) के कर प्रभाव वाले आय कर से संबंधित 115 उच्च मूल्य वाले मामलों की चर्चा की गई है। तालिका 4.1 गलतियों और कर प्रभाव की व्यापक श्रेणियों का ब्यौरा दर्शाती हैः

तालिका सं. 4.1: गलतियों और कर प्रभाव की श्रेणी

₹. करोड़

श्रेणी		मामले	कर प्रभाव
क.	निर्धारणों की गुणवत्ता;	40	516.47
ख.	कर रियायत/छूट/कटौती का प्रबंधन;	41	53.90
ग.	चूकों के कारण निर्धारणों से बचा हुआ कर; और	27	18.94
घ.	अन्य-कर/ब्याज का अधि-प्रभार	7	3.99
	जोड	**115**	**593.30**

4.1.2 प्रत्येक व्यापक श्रेणी के अंतर्गत, हम एक ही प्रकार की चूकों को चिन्हित करने के उद्देश्य से उन्हें उप-श्रेणी में दर्शाते हैं। प्रत्येक उप-श्रेणी महत्वपूर्ण मामले (मामलों) के स्पष्टीकरण का अनुसरण करके, अधिनियम क प्रावधानों का उल्लेख करते हुए एक प्रस्तावना के साथ आरंभ होती है।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद भी एओज़ ने निर्धारणों में चूकें की। गलत निर्धारणों के इन मामलों में आईटीडी की तरफ से आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरी को दर्शाया गया जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तालिका 4.2 गलतियों की उप श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

[32] अधिप्रभार सही आंकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज आदि की दरों को गलत लागू करने से संबंधित है।

तालिका 4.2: निर्धारण की गुणवत्ता में गलतियों का ब्यौरा

₹. करोड़

	उप-श्रेणियां	मामले	टीई	राज्य
क.	आय और कर की गणना में अंकगणितीय गलतियाँ	11	503.13	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र
ख.	कर, अधिप्रभार आदि की गलत दरों को लागू करना	10	4.89	दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश
ग.	ब्याज की उगाही में गलती	18	7.83	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ (यूटी), दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश
घ.	अधिक या अनियमित प्रतिदायो/प्रतिदायों पर ब्याज	1	0.62	महाराष्ट्र
जोड		**40**	**516.47**	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय गलतियाँ

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओज़ को सही प्रकार से आय का अवधारण और निर्धारण करना है। विभिन्न प्रकार के दावों के साथ लेखे, अभिलेखों और रिटर्न से संबंद्ध सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जांच करनी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए हैं।

4.2.2.1 आंध्र प्रदेश सीआईटी-I विशाखापट्नम प्रभार में, एओ ने निर्धारण वर्ष 09 के लिए **विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट** का निर्धारण पूरा किया और ₹ 1116.81 करोड़ की वास्तविक राशि के प्रति ₹ 98.33 करोड़ पर कुल आय का अवधारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 455.39 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 1018.48 करोड़ की आय की कम संगणना हुई। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (जनवरी 2012)।

4.2.2.2 दिल्ली डीआईटी-I प्रभार, में, एओ ने निर्धारण वर्ष 06 और 07 के लिए धारा 144 सी (1) के अंतर्गत सितम्बर 2010 में क्रमशः ₹ 17.50 करोड़ और ₹ 13.29 करोड़ की आय पर **ईएसएस डिस्ट्रीब्यूशन (मॉरीशस) एसएनसी एट कैंपेन** का निर्धारण पूरा किया। दोनों निर्धारण वर्षों में, एओ ने गलती से निर्धारित कर को निर्धारित आय के रूप में लिया और उसी प्रकार कर की गणना की। इस गलती के

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 38.03 करोड़[33] के कर का कम उद्ग्रहण् हुआ। *आईटीडी ने निर्धारण वर्ष 06 के लिए मार्च 2012 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।*

4.2.2.3 महाराष्ट्र सीआईटी-X मुंबई प्रभार में, ₹ 8.8 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 हेतु **श्री प्रभाकर टी. भंडारी** का निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने ₹ 3.51 करोड़ के बजाए ₹ 1.21 करोड़ के कर का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.2.3 कर और अधिप्रभार की गलत दरों को लागू करना

उदाहरणस्वरूप नीचे हम एक ऐसा मामला दर्शा रहे हैं:

अधिप्रभार सहित आयकर सुसंगत वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

4.2.3.1 हिमाचल प्रदेश सीआईटी शिमला प्रभार में, दिसंबर 2009 में ₹ 34.03 करोड़ की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 हेतु **तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज** के निर्धारण को पूरा करते समय, एओ ने अधिप्रभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस गलती के फलस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की कम मांग हुई।

4.2.4 ब्याज की उगाही में गलतियां

उदाहरणस्वरूप नीचे हम एक ऐसा मामला दर्शा रहे हैं:

धारा 234बी में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

4.2.4.1 दिल्ली डीआईटी-I प्रभार में, सितम्बर 2010 में ₹ 34.18 करोड़ की आय पर धारा 144सी(1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 06 हेतु **ईएसपीएन स्टार स्पोर्टस मॉरीशस एसएनसी एट कैंपेन** का निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 6.74 करोड़ के बजाए ₹ 2.87 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.87 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने मार्च 2012 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

---

[33] निर्धारण वर्ष 06 और निर्धारण वर्ष 07 के लिए क्रमशः ₹ 20.63 करोड़ और ₹ 17.40 करोड़

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय IV-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की कतिपय श्रेणियों के लिए कुल आय की संगणना में निर्धारितियों को रियायतें/छूटें/कटौतियां अनुमत करता है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने नियमित रूप से लाभार्थी को कर रियायतें/छूटें/कटौतियां प्रदान की जिसके लिए वे हकदार नहीं हैं। ये मामले आईटीडी की तरफ से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन में कमजोरी को दर्शाते हैं, जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। तालिका 4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन पर प्रभाव डालने वाली उप-श्रेणियों को दर्शाती हैं।

तालिका 4.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियां

₹ करोड़

	उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क.	व्यष्टियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/ राहत	4	1.34	गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख.	न्यासों/फर्मों/समुदायों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/ राहत	23	18.78	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग.	मूल्यह्रास/कारबार हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं	14	33.78	बिहार, दिल्ली, गुजरात,कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
जोड		**41**	**53.90**	

4.3.2 न्यासों/फर्मों/समुदायों को छूटों और कटौतियों की अनियमित अनुमति

उदाहरणस्वरूप हम नीचे ऐसे ही दो मामले दर्शा रहे हैं:

एक उपचित या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में बनाये गये प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है, जबकि अन्य प्रावधान कटौती के लिए योग्य नहीं हैं।

4.3.2.1 आंध्र प्रदेश सीआईटी-IV हैदराबाद प्रभार में, एओ ने नवम्बर 2007 में धारा 80पी के अंतर्गत ₹ 22.69 करोड़ की कटौती की अनुमति देने के बाद ₹ 4.27 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद एवाई 06 के लिए **डिस्ट्रिक्ट को-आपेरिटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। एओ ने अग्रानीत हानियों के संमजन करने से पहले ही गलती से कटौती अनुमत की। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.12 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 22.69 करोड़ की हानियों का अधिक अग्रेनयन किया गया।

मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की (नवंबर 2010)।

4.3.2.2 मध्य प्रदेश सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने दिसंबर 2008 में ₹ 12.14 करोड़ की हानि पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 हेतु **डिस्ट्रिक्ट को ओपरेटिव एग्रीकल्चर एंड डेवलपमैंट बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। एओ ने गलती से काल बाधित और दाण्डिक ब्याज के लिए ₹ 10.56 करोड़ के प्रावधान की अनुमति दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.23 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 10.56 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 263 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मार्च 2011)।

4.3.3 मूल्यह्रास/कारबार हानियों/पूंजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताएं

उदाहरणस्वरूप हम नीचे ऐसे दो मामले दर्शा रहे हैं:

धारा 72 में आगामी आठ निर्धारण वर्षों के लाभों और अभिलाभों के प्रति एक निर्धारण वर्ष की निवल हानि के अग्रेनयन और समंजन करने का प्रावधान है।

4.3.3.1 गुजरात सीआईटी-I बड़ौदा प्रभार में, एओ ने नवंबर 2008 में ₹ 13.89 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 07 के लिए **पैट्रोफिल्स को-ओपरेटिव लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, अधिनियम के उल्लंघन में निर्धारण वर्ष 96 से निर्धारण वर्ष 99 तक संबंधित ₹ 81.33 करोड़ की कारबार हानि का अग्रेनयन करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.89 करोड़ के संभाव्य कर प्रभाव का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने नवम्बर 2011 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।

4.3.3.2 महाराष्ट्र सीआईसी-I कोल्हापुर प्रभार में, एओ ने सितम्बर 2009 में ₹ 3.17 करोड़ की हानि पर संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 08 के लिए एक एओपी **सोनहीरा सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड,** का निर्धारण पूरा करते समय, ₹ 21.98 करोड़ के प्रति ₹ 33.71 करोड़ की कारबार हानि/अनवशोषित मूल्यह्रास के अग्रेनयन की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ का संभावित कर प्रभाव हुआ।

4.4 चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किसी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में; चाहे किसी भी स्त्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त हुई या उपार्जित या प्राप्त हुई या उपार्जित के लिए मानित; सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया जिसे कर को प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित था। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें हुईं थीं जिनके कारण कर नहीं लगा। तालिका 4.4 उप श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप आय निर्धारणों से बच गई।

तालिका 4.4: चूकों के कारण निर्धारणों से बची हुई आय के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियां

₹. करोड़

उप-श्रेणियां		सं.	टीई	राज्य
क.	अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट	3	0.89	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश
ख.	गलत वर्गीकरण और पूंजीगत लाभ की संगणना	5	3.79	आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
ग.	निर्धारण न की गई/कम निर्धारण की गई आय	8	1.23	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
घ.	टीडीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	11	13.03	दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
जोड़		**27**	**18.94**	

4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण

उदाहरणस्वरूप नीचे हम ऐसे तीन मामले दर्शा रहे हैं:

धारा 4 में प्रावधान है कि सभी आय आयकर के प्रभार और कुल आय की संगणना के उद्देश्य हेतु होंगी, जिसे उनमें विशिष्ट आय के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

4.4.2.1 तमिलनाडु सीआईटी-IV चेन्नै प्रभार में, एओ ने ₹ 30.75 लाख की आय पर, एक संक्षिप्त रूप में निर्धारण वर्ष 07 के लिए एक एचयूएफ **के श्रीनिवासन**, का निर्धारण प्रक्रियागत करते हुए निर्धारिती की आय को 'कारबार और वृत्ति से आय' के प्रति 'अल्प/लंबी अवधि वाले पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अंतर्गत निरूपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 89.05 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिसम्बर 2011 में गलती में सुधार किया।*

4.4.2.2 तमिलनाडु सीआईटी-IV चेन्नै प्रभार में, नवम्बर 2007 में ₹ 52.03 लाख पर एक संक्षिप्त रूप में, निर्धारण वर्ष 07 के लिए **श्रीमती विजया श्रीनिवासन** का निर्धारण प्रक्रियागत करते समय निर्धारिती की आय को 'कारबार और वृत्ति से आय' के प्रति 'अल्प/लंबी अवधि वाले पूंजीगत लाभ' शीर्ष के अंतर्गत निरूपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.07 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिसम्बर 2011 में गलती में सुधार किया गया।*

अधिनियम की धारा 2(14)(iii) के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्थानांतरण से उद्भूत हुए कोई लाभ या अभिलाभ पूंजीगत अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आय कर को प्रभार्य होंगे।

4.4.2.3 तमिलनाडु सीआईटी-IV चेन्नई प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2009 में ₹ 8.28 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए, **एम तिरूनावुक्कारसू** का निर्धारण पूरा करते समय, आवासीय भूमि (पूंजीगत परिसम्पत्ति) को कृषियोग्य भूमि के रूप में निरूपित किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 71.82 लाख के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 252.34 लाख के लम्बी अवधि वाले पूंजीगत अभिलाभ की छूट की गलत अनुमति हुई। *आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत दिसम्बर 2011 में गलती में सुधार किया।*

4.4.3 टीडीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूकें

उदाहरणस्वरूप हम नीचे ऐसा एक मामला दे रहे हैं :

धारा 40(ए) (आईए) में प्रावधान है कि जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई है वहाँ उन भुगतानों के प्रति व्यय की कटौती अनुमत नहीं होगी।

4.4.3.1 गुजरात सीआईटी-I राजकोट प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2008 में ₹ 0.39 लाख की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **धोलू केसीएलजेपीएफ ज्वाईंट वेंचर कम्पनी** का निर्धारण पूरा करते हुए, उप-ठेकेदार/कार्य संविदा जिसपर निर्धारिती ने टीडीएस की कम कटौती की थी/कम जमा किया था, को किये गये भुगतान के कारण व्यय की अनुमति दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.87 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 17.61 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय *ने स्वीकार किया और धारा 147 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (दिसम्बर 2011)।*

4.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

4.5.1 हमने दिल्ली, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ₹ 3.99 करोड़ के कर/ब्याज के अधिप्रभार सहित सात मामलों में आय का अधिक निर्धारण देखा। उदाहरणस्वरूप हम ऐसा एक मामला नीचे दर्शा रहे हैं:

4.5.1.1 पश्चिम बंगाल सीआईटी-II कोलकाता प्रभार में, एओ ने संगणना में अंकगणितीय गलती के कारण ₹ 56.81 लाख की अपेक्षा ₹ 81.69 लाख की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 08 हेतु **दिलीप कुमार खंडेलवाल** का निर्धारण पूरा किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 24.88 लाख की आय का अधिक निर्धारण हुआ जिसके कारण ₹ 19.40 लाख के कर और ब्याज का अधिप्रभार हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (मई 2011)।

ख-धनकर

4.6 इस भाग में धनकर के 15 मामलों की चर्चा की गई है जिनमें अगस्त 2012 से अक्तूबर 2012 के दौरान मंत्रालय को सूचित किये गए ₹ 35.19 लाख के कर प्रभाव शामिल हैं।

4.6.1 धन कर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण

हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटीज़ के अनुदेशों[34] का पालन नहीं किया। हम उदाहरणस्वरूप नीचे एक ऐसा मामला दर्शा रहे हैं:

4.6.1.1 छत्तीसगढ़ सीआईटी रायपुर प्रभार में, **रानी साराओगी** जिसके पास ₹ 4.69 करोड़ का रोकड़ शेष और भूमि थी निर्धारण वर्ष 10 के लिए धनकर की विवरणी दाखिल नहीं की। आईटीडी ने उसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 4.53 लाख के धनकर का अनुद्ग्रहण हुआ।

स्वरूप नन्दक्योल्यार

नई दिल्ली
दिनांकः 5 अगस्त 2013

(स्वरूप नन्दक्योल्यार)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर एवं सीआरए समन्वय)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशिकान्त शर्मा

नई दिल्ली
दिनांकः 5 अगस्त 2013

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

---

[34] सीबीडीटी के अनुदेश नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में एओज़ को जारी किये गये।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 (सन्दर्भः पैराग्राफ 1.3.1)

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत राजस्व विभाग (डीओआर)	यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित राजस्व मामलों के बारे में नियंत्रण करता है। विभाग सामाजिक क्षेत्र में निवेशों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों को मुहैया कराते हुए राष्ट्र के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए, अर्थव्यवस्था, वृहत-आर्थिक स्थिरता की निरन्तर वृद्धि के लिए और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए कर नीतियां बनाता है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)	यह भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिए अनिवार्य इनपुट्स उपलब्ध कराता है। यह उसके साथ ही आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर विधियों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।
आयकर विभाग (आईटीडी)	यह प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों को डील करता है। इसके अतिरिक्त, यह कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, करदाता सेवाओं को उपलब्ध कराने, शिकायत निवारण तन्त्र, आदि के मामलों को भी डील करता है।
प्रत्यक्ष कराधान का स्वरूप	संसद ने आय और धन पर कर लगाने के लिए आयकर अधिनियम, धनकर अधिनियम आदि, बनाए थे। इसके अतिरिक्त, सरकार ने संबंधित वर्षों के वित्तीय अधिनियमों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों, भिन्न करों की भी शुरूआत की है और/अथवा विद्यमान कर विधियों में भी संशोधन किया है।
कराधान में महत्वपूर्ण प्रकियाएं	
विवरणियों की प्राप्ति	निर्धारित सीमा से ऊपर की आय वाले सभी निर्धारितियों को वार्षिक रूप से आय कर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करनी होती है। निर्धारिती (व्यष्टि, एचयूएफ, फर्म, कोरपोरेट निकाय आदि) आयकर का भुगतान और आईटीआर दाखिल करने के लिए दायी है। सीबीडीटी ने निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आईटीआर के विभिन्न फार्म निर्धारित किए हैं और सलंग्नक रहित विवरणियों एवं आईटीआर की ऑनलाइन फाइलिंग को समर्थ करने के लिए उन्हें रीडिजाइन किया है। इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में टीडीएस विवरणियों का दाखिल करना अनिवार्य बनाया गया है।
संक्षिप्त निर्धारण	नामित निर्धारण अधिकारी अंकगणितीय यथार्थता, आन्तरिक सामंजस्य आदि के लिए आईटीआर की जाँच करता है। संक्षिप्त निर्धारण आईटीआर में उपलब्ध डॉटा सहित और निर्धारिती से अभिलेख एवं सूचना मँगाए बिना

	किया जाता है। इस प्रकार संक्षिप्त निर्धारण स्वरूप में गैर-अन्तर्वेधी हैं। प्रक्रिया करने के पश्चात्, यदि निर्धारिती से कोई माँग देय है तो इसे माँग नोटिसों के माध्यम से सूचित किया जाता है। कर के अधिक भुगतान के मामले में प्रतिदाय को हाथ से अथवा प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से भेजे जाते हैं।
संवीक्षा निर्धारण	निर्धारण अधिकारी आयकर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारिती से संबंधित सभी अभिलेख और सूचना पुनः प्राप्त करता है और अतिरिक्त रूप से अपने आप को संतुष्ट करने के लिए निर्धारिती से अभिलेख और सूचना मँगाता है कि कोई आय बेहिसाब नहीं है और कर की संगणना सही रूप से की गई है। अधिनियम में नोटिस जारी करने के लिए और निर्धारण कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारण अधिकारी निर्धारण कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देता है। अधिनियम में पुनर्निर्धारण, सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण और पूर्ण निर्धारणों के संशोधन के माध्यम से निर्धारिती की अपनी ओर से अथवा उसके अनुरोध पर निर्धारण आदेशों के आगामी आशोधन का भी प्रावधान किया गया है।
पूर्व निर्धारण संग्रहण	प्रत्येक निर्धारिती से विधिक रूप से अपनी आय कर देयताओं का निर्धारण करने और अग्रिम कर एवं स्वः निर्धारण कर के माध्यम से भुगतान करने की प्रत्याशा की जाती है। विधि में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों (टीडीएस कटौतीकर्ता) में कतिपय भुगतान करने वाले प्राधिकारियों से व्यक्तियों अथवा कारपोरेट आदि को किए गए भुगतान की कतिपय *प्रतिशतता* की कटौती करने और सरकार के खाते में इसे जमा करने की भी अपेक्षा की जाती है। कर संग्रहण करने का दूसरा तरीका नामित प्राधिकारियों जो टीसीएस प्राधिकारियों के नाम से जाना जाता है के माध्यम से है जो सार्वजनिक प्राधिकारियों से कतिपय ठेकों/पट्टा अधिकारों को प्राप्त करते हुए कतिपय व्यष्टियों/कारपोरेट से संग्रहीत करते हैं। इन चार तन्त्रों- अग्रिम कर, स्वः निर्धारण कर, टीडीएस एवं टीसीएस के माध्यम से आयकर का संग्रहण कर संग्रहणों की पूर्व निर्धारण विधि के नाम से जाना जाता है।
पश्च् निर्धारण संग्रहण	करों का संग्रहण विवरणियों के प्रक्रियागत करने और किए गए निर्धारणों के आधार पर विभाग द्वारा उद्भूत माँग पर किया जाता है। यदि करों को माँग नोटिस जारी करने से निर्धारित तारीख के अन्दर अदा नहीं किया जाता है तो निर्धारितियों को चूककर्ता माना जाता है और माँग का

	संग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुहैया कराई गई कर वसूली क्रियाविधि के माध्यम से किया जाता है।
अपील प्रक्रिया	एक असन्तुष्ट निर्धारिती एक निर्धारण अधिकारी जो अपीलीय आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगा के आदेश के प्रति आयकर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अपील में अपीलीय प्राधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के प्रति आयकर अपीलीय अधिकरण को किए जाने वाले तथ्य और विधि के प्रश्नों के लिए भी अनुमति दी जाती है। यदि किसी मामले पर अपीलीय अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाता अथवा गलती से विचार कर लिया जाता है तो धारा 260ए के अन्तर्गत अपील उच्च न्यायालय को तथा यदि उच्च न्यायालय किसी मामले को अपील के लिए उपयुक्त नहीं समझता तो धारा 261 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जा सकती है।
प्रतिदाय	जहाँ अदा किए गए कर की राशि देय कर की राशि से अधिक हो जाती है वहाँ निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय के लिए हकदार है। ऐसे प्रतिदाय की राशि पर निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देय है। प्रतिदाय अपील अथवा अन्य कार्यवाहियों में पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप भी स्वीकार्य है (ब्याज सहित)।
निपटान आयोग	निपटान आयोग अधिनियम के अध्याय XIX ए से अधिदेश व्युत्पन्न करते हुए आयकर विभाग और मुकदमेबाज कर दाता के मध्य भारतीय आयकर और धनकर विधियों के संबंध में कर विवादों का निराकरण करने के लिए अधिदेशाधीन एक वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) निकाय है। निपटान आयोग आयकर विभाग के समक्ष पहले प्रकट की गई आय के अतिरिक्त, करदाताओं को अतिरिक्त आय प्रकट करने की अनुमति प्रदान करता है। आवेदक को आवेदन-पत्र के दायर करने से पूर्व आयोग के समक्ष प्रकटित की जाने वाली अतिरिक्त आय पर कर और ब्याज की पूरी राशि का भुगतान करना होता है। स्वीकार्यता का निर्णय लेने पर आयोग दोनों पक्षकारों को अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक प्रक्रिया की तारीख से 18 माह के अन्दर निपटान के आदेश पारित करता है। 01 जून 2007 को अथवा उसके पश्चात् निपटान तन्त्र के अभिलाभ को जीवन काल में मात्र एक बार कर दाता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
कर बकाया की वसूली	निर्धारण अधिकारी से माँग की प्राप्ति पर, निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित 30 दिनों अथवा अन्य

	किसी समय सीमा के अन्दर भुगतान करना अपेक्षित है यदि वसूली माँग के उद्भूत करने के एक वर्ष के अन्दर नहीं की जाती है तो निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करते हुए कि माँग की वसूली के लिए सभी सम्भव उपाय किए गए हैं, के पश्चात् कर वसूली माँग-पत्रों (टीआरसी) के बनाने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को बकाया मामलों के ब्यौरे भेजने अपेक्षित हैं।
शास्ति और अभियोजन	अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन और उल्लंघन के लिए निवारक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में अभियोजन के प्रारम्भ और शास्ति के लगाने के लिए सुविस्तृत क्रियाविधि का प्रावधान किया गया है। कई शास्ति के प्रावधानों का उद्ग्रहण स्वरूप में विवेकाधीन है और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है।
लेखापरीक्षा	आयकर विभाग के पास एक आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र है जो निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारिणों की जाँच के लिए जिम्मेवार है।
डीओआर की भूमिका एवं जिम्मेवारियाँ	डीओआर वित्त मंत्रालय के अधीन पाँच विभागों में से एक है। डीओआर सचिव (राजस्व) के समग्र निदेश और नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। डीओआर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केन्द्रीय बोर्ड उत्पाद एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी) के नाम से जाने जाने वाले दो सांविधिक बोर्डों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कराधान मामलों में नियंत्रण करता है।
	दोनों बोर्डों के अतिरिक्त, डीओआर के पास इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 18 सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय हैं। प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के सुसंगत कुछ सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत (एफआईयू-आईएनडी), आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी), आयकर, के लिए एडवान्स रूलिंग्स प्राधिकरण (एएआर), आयकर ओम्बडसमेन आदि हैं।
	डीओआर लगभग 20 अधिनियमों का संचालन करता है जिसमें प्रत्यक्ष कर नामतः आय कर अधिनियम 1961, धनकर अधिनियम 1957, वित्त (सं. 2) अधिनियम 2004 का अध्याय VII, (प्रतिभूति लेन-देन कर के उद्ग्रहण से संबंधित) आदि से संबंधित अधिनियम शामिल हैं। प्रत्यक्ष करों के प्रभावी प्रशासन के लिए सुसंगत अन्य अधिनियम नामतः तस्कर और विदेशी मुद्रा हेर फेर (सम्पत्ति के जब्त करने) अधिनियम, 1976 {एसएएफईएम(एफओपी)ए}, विदेशी विनिमय प्रबंधन मुद्रा अधिनियम, 1999

	(एफईएमए), धनशोधन का निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए), विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्कर कार्यकलापों का निवारण अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए) आदि हैं जिनका संचालन डीओआर द्वारा भी किया जाता है।
	प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दो अधिनियम एफईएमए और पीएमएलए को लागू करता है। डीओआर के अन्तर्गत एक केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी वित्तीय आसूचना यूनिट-इण्डिया (एफआईयू-इण्डिया), संदिग्ध वित्तीय लेन-देनों से संबंधित सूचना को प्राप्त करने, प्रक्रियागत करने, विश्लेषण करने और प्रचार करने के लिए जिम्मेवार है। यह वित्तीय क्षेत्रों में विभिन्न इकाईयों से निर्धारित सूचना और उपयुक्त मामलों में सुसंगत आसूचना/विधि प्रर्वतन एजेंसियाँ जिसमें सीबीडीटी, सीबीईसी और प्रर्वतन निदेशालय आदि शामिल हैं के लिए प्रचार सूचना प्राप्त करता है।
	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) को आर्थिक आसूचना परिषद् (ईआईसी) के लिए सचिवालय का रखरखाव और आर्थिक आसूचना एवं प्रवर्तन कार्यकलापों के समन्वय करने और सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक आसूचना का संग्रह (ईसीओआईएनटी) सौंपा गया हैं।
	वित्तीय आसूचना यूनिट, इण्डिया (एफआईयू-इण्डिया) को धनशोधन के कार्यकलापों के जोखिम में डालने का विरोध करना और आपराधिक गतिविधियों के अन्तर्गत संदिग्ध अथवा असामान्य वित्तीय लेन-देनों के मध्य लिंक्स स्थापित करते हुए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी निधियन आदि पर इसका प्रभाव सौंपा गया है। एफआईयू-इण्डिया ने सीबीडीटी, केन्द्रीय जाँच-ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) किया।
	वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) धनशोधन और आंतकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए मानकों के विकास के लिए एक समर्पित अन्तरसरकारी निकाय है।
सीबीडीटी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाएं	राजस्व अधिनियम, 1963 के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सृजित सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों पर नीति और योजना के लिए प्रत्यक्षकर विधियों के प्रशासन के साथ साथ आवश्यक इनपुटस मुहैया कराने के लिए सौंपे गए उत्तरदायित्व सहित एक शीर्ष निकाय है। यह आयकर विभाग के लिए एक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है।
	सीबीडीटी को सौंपे गए उत्तरदायित्व के अतिरिक्त उनके सदस्य नीति मामलों, आईटीडी के गठन और संरचना,

	कार्य की विधि और क्रियाविधियों, निर्धारणों के निपटान के लिए उपाय, करों के संग्रहण, कर अपवंचन का पता लगाने, भर्ती, प्रशिक्षण और अन्य सेवा मामलों पर भी सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं।
	सीबीडीटी में अध्यक्ष और छः सदस्य शामिल हैं जो विशिष्ट जोनल क्षेत्रीय फोर्मेशनों के पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग और विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों (विधि निर्माण, कम्प्यूटरीकरण, राजस्व, कार्मिक एवं सतर्कता, लेखापरीक्षा, न्यायिक) के लिए जिम्मेवार हैं।
	सीबीडीटी के सात आसक्त कार्यालय हैं (डीजीज़आईटी-प्रशासन, प्रणाली सतर्कता, प्रशिक्षण, कानून और अनुसंधान, संभार तंत्र और एचआरडी)। सीबीडीटी के क्षेत्रीय गठन में चार निदेशालय (डीजीज़आईटी-अन्वेषण, छूट, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और आसूचना और अपराध अन्वेषण) शामिल है और क्षेत्र का प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर (सीसीआईटी) होता है। जोनल सीसीआईटी की विशिष्ट संगठनात्मक संरचना *परिशिष्ट 2* में है।
आईटीआर की फाइलिंग	सीबीडीटी ने निर्धारितियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आयकर रिटर्नें (आईटीआर) अधिसूचित की हैं और अनुलग्नक-रहित रिटर्नों और आयकर विभाग की ऑन लाइन फाइलिंग को समर्थ बनाने के लिए उन्हें रिडिजाइन किया है। निर्धारितियों की सभी श्रेणियों के लिए आईटीआर की फाइलिंग हेतु समयसीमा निर्धारित की गयी है। इलैक्ट्रॉनिक फार्मेट में टीडीएस रिटर्नों की फाइलिंग अनिवार्य कर दी गयी है। इसी प्रकार, कम्पनी के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य है; और इसे अन्य निर्धारितियों जिनकी आय ₹ 10 लाख से अधिक है पर भी लागू कर दी गयी है।

परिशिष्ट 2 (संदर्भः पैराग्राफ 1.3.2)

आयकर विभाग का संगठनात्मक ढ़ाँचा

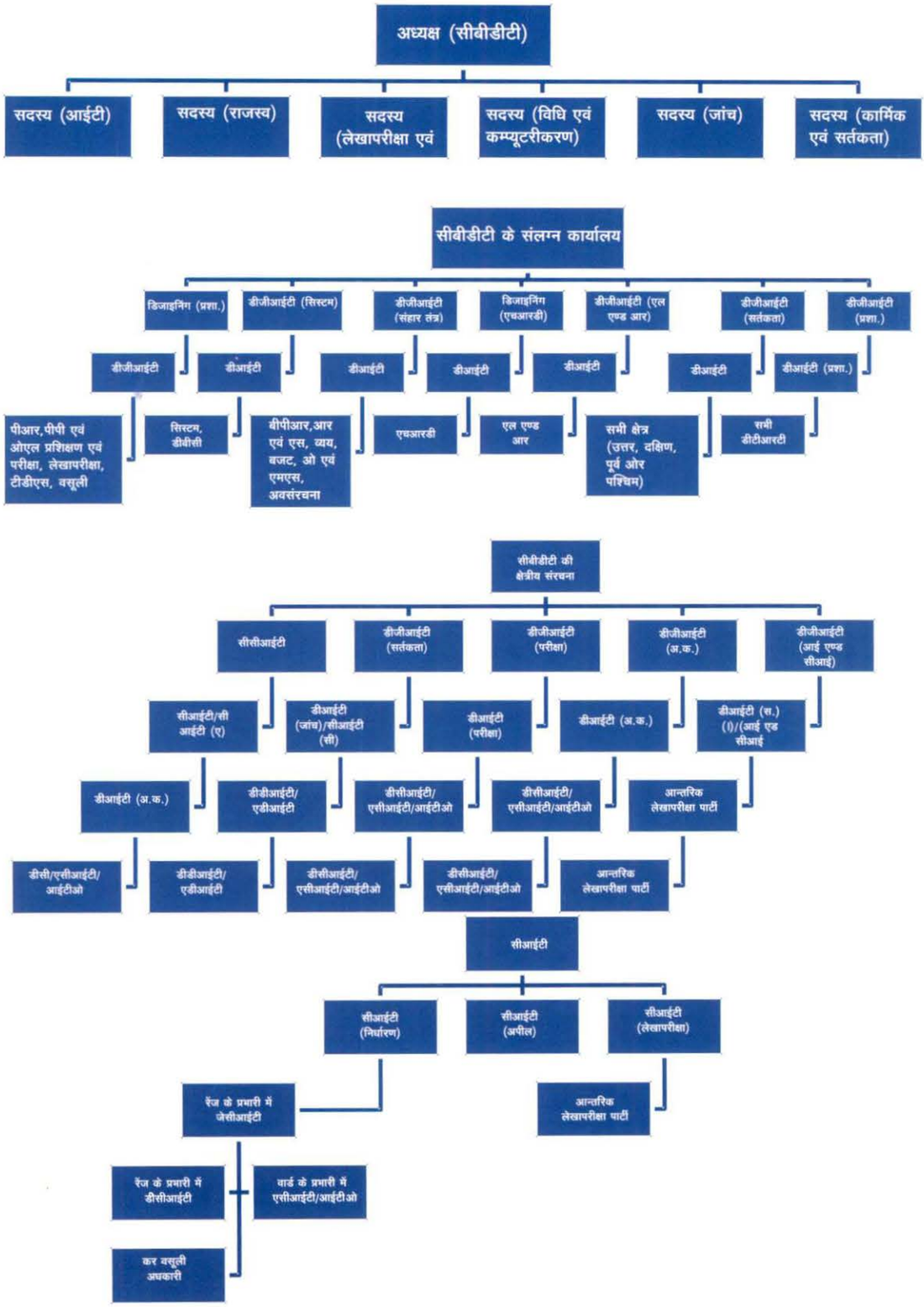

परिशिष्ट -3 (पैराग्राफ 1.4.2 देखें)

विगत दस निर्धारण वर्षों की कर दरें

ए. व्यष्टियों, एचयूएफ, एओपी एवं बीओई के लिए आयकर दरें[35]

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 03 से 06
पहले ₹ 40,000 पर	शून्य
अगले ₹ 10,000 पर	शून्य
अगले ₹ 10,000 पर	10
अगले ₹ 90,000 पर	20
₹ 1,50,000 से अधिक	30

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 07 और 08		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक	कोई अन्य
पहले ₹ 1,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगले ₹ 35,000	शून्य	शून्य	10%
अगले ₹ 15,000	10%	शून्य	10%
अगले ₹ 35,000	20%	शून्य	20%
अगले ₹ 65,000	20%	20%	20%
₹ 2,50,000 से अधिक	30%	30%	30%

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 09		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक	कोई अन्य
पहले ₹ 1,10,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगले ₹ 35000	शून्य	शून्य	10%
अगले ₹ 5,000	10%	शून्य	10%
अगले ₹ 45,000	20%	शून्य	20%
अगले ₹ 55,000	20%	20%	20%
₹ 2,50,000 से अधिक	30%	30%	30%

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 10		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[36]	कोई अन्य
पहले ₹ 1,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगले ₹ 30000	शून्य	शून्य	10%
अगले ₹ 45,000	10%	शून्य	10%
अगले ₹ 75,000	10%	10 %	10%
अगले ₹ 2,00,000	20%	20%	20%
₹ 5,00,000 से अधिक	30%	30%	30%

[35] अनिवासी भारतीयों की कतिपय आय 20 प्रतिशत की निश्चित दर पर करयोग्य है (विवरण हेतु आयकर अधिनियम का संदर्भ लें)

[36] पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर 65 वर्ष अथवा अधिक

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 11		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[37]	कोई अन्य
पहले ₹ 1,60,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगले ₹ 30000	शून्य	शून्य	10%
अगले ₹ 50,000	10%	शून्य	10%
अगले ₹ 60,000	10%	10 %	10%
अगले ₹ 2,00,000	20%	20%	20%
₹ 5,00,000 से अधिक	30%	30%	30%

करयोग्य आय	निर्धारण वर्ष 12		
	निवासी महिला	निवासी वरिष्ठ नागरिक[38]	कोई अन्य
पहले ₹ 1,60,000	शून्य	शून्य	शून्य
अगले ₹ 30000	शून्य	शून्य	10%
अगले ₹ 50,000	10%	शून्य	10%
अगले ₹ 2,60,000	10%	10 %	10%
अगले ₹ 3,00,000	20%	20%	20%
₹ 8,00,000 से अधिक	30%	30%	30%

ख. आयकर पर संघ अधिभार

क) निर्धारण वर्ष 03 के लिए: यदि करयोग्य आय ₹60,000 से अधिक है तो आयकर का 2% (अधिभार भुगतान योग्य है चाहे करदाता निवासी है अथवा अनिवासी)।

ख) निर्धारण वर्ष 04 के लिए: यदि करयोग्य आय ₹60,000 से अधिक है तो आयकर का 5% (अधिभार भुगतान योग्य है चाहे करदाता निवासी है अथवा अनिवासी) ।

ग) निर्धारण वर्ष 05 और 06 के लिए: यदि करयोग्य आय ₹8,50,000 से अधिक है तो आयकर का 10%
(अधिभार भुगतान योग्य है चाहे करदाता निवासी है अथवा अनिवासी)।

घ) निर्धारण वर्ष 07 से 10 के लिए: यदि करयोग्य आय ₹10,00,000 से अधिक है तो आयकर का 10%
(अधिभार भुगतान योग्य है चाहे करदाता निवासी है अथवा अनिवासी)।

ड.) निर्धारण वर्ष 11 और 12 के लिए: शून्य

ग. शिक्षा उपकर :

निर्धारण वर्ष 06 से 12 के लिए आयकर और अधिभार का 2%

घ. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर:

निर्धारण वर्ष 09 से 12 के लिए आयकर और अधिभार का 1%.

ड. फर्मों (पीएफएएस) के लिए आयकर दरें

[37] पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर 65 वर्ष अथवा अधिक

[38] पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पर 65 वर्ष अथवा अधिक

	निर्धारण वर्ष						
	03	**04**	**05**	**06**	**07 और 08**	**09 और 10**	**11 और 12**
आयकर	35	35	35	35	30	30	30
अधिभार (आयकर की प्रतिशतता के रूप में)	2	5	2.5	2.5	10	10[39]	शून्य
जोड़	35.7	36.75	35.875	35.875	33	33	30
शिक्षा उपकर (आयकर एवं अधिभार की प्रतिशतता के रूप में)	शून्य	शून्य	शून्य	2	2	3	0.9
कर	35.7	36.75	35.875	36.5925	33.66	33.99	30.9

च. कम्पनियों के लिए आयकर दरें

	निर्धारण वर्ष		
	03	**04 से 06**	**07 से 12**
क. घरेलू कम्पनी के मामले में	35	35	30
ख. विदेशी कम्पनी के मामले में:			
i भारतीय कम्पनी द्वारा उस के साथ 31 मार्च 1961 के पश्चात् किए गए करार के अनुसरण में भारतीय कम्पनी से प्राप्त रॉयल्टी; अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा उसके साथ 29 फरवरी 1964 के पश्चात् परन्तु 1 अप्रैल 1976 से पूर्व किए गए करार के अनुसरण में भारतीय कम्पनी से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क तथा जहाँ यह करार दोनों मामलों में अनुमोदित कर दिया गया है।	50	50	50
ii अन्य आय	48	40	40

आयकर पर संघ अधिभार :

निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए - घरेलू कम्पनी के मामले में आयकर का 2%;
निर्धारण वर्ष 2003-04 के लिए - घरेलू तथा विदेशी कम्पनियों के मामले में आयकर का 5%;
निर्धारण वर्ष (वर्षों) 2004-05 और 2005-06 के लिए: घरेलू तथा विदेशी कम्पनियों क मामले में आयकर का 2.5%
निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए: घरेलू कम्पनी के मामले में आयकर का 10% तथा विदेशी कम्पनी के मामले में आयकर का 2.5%
निर्धारण वर्ष (वर्षों) 2008-09 से 2010-11 के लिए (यदि निवल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक है) : घरेलू कम्पनी के मामले में आयकर का 10% तथा विदेशी कम्पनी के मामले में आयकर का 2.5%;
निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए (यदि निवल आय ₹1 करोड़ से अधिक है) : घरेलू कम्पनी के मामले में आयकर का 7.5% तथा विदेशी कम्पनी के मामले में आयकर का 2.5%)।

[39] निर्धारण वर्ष 09 और 10 के लिए, अधिभार तभी लागू होता है यदि निवल आय ₹1करोड़ से अधिक है।

शिक्षा उपकर : निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2011-12 के लिए आयकर एवं अधिभार का 2%
माध्यमिक एव उच्च शिक्षा उपकर : निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए आयकर और अधिभार का 1%

छ. सहकारी समितियों के लिए आयकर दरें

निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2011-12 के लिए - पहले 10,000: 10% अगले 10,000 : 20% तथा शेष 35%

आयकर पर संघ अधिभार

निर्धारण वर्ष	**अधिभार (आयकर के % के रूप में)**
2002-03	2
2003-04	5
2004-05 और 2005-06	2.5
2006-07 से 2011-12	शून्य

शिक्षा उपकर : निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2011-12 के लिए आयकर एवं अधिभार का 2%
माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर : निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए आयकर का 1%

परिशिष्ट - 4 (पैरा 2.3.2 देखें)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	मूल्यांकन वर्ष	मुख्य श्रेणियाँ	उपश्रेणियाँ	कर प्रभाव (रूपए लाखों में)	मंत्रालय की स्थिति/आईटीडी की प्रतिक्रिया
1	247-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-IV कोलकाता	जोनसन्स एवं निकोलसन इंडिया लिमिटेड	2006-07	**मूल्यांकन की गुणवत्ता**	**आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ**	3222.67	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
2	21-सीटी	गुजरात	जामनगर	सौराष्ट्र सीमेन्ट लिमिटेड	2007-08			1912.93	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
3	230-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-। दिल्ली	एस्पेक्ट सॉफ्टवेयर इंक	2007-08			1896.87	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
4	178-सीटी	दिल्ली	एलटीयू-दिल्ली	दि ऑरियन्टल इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड	2008-09			1393.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
5	76-सीटी	दिल्ली	दिल्ली-।	मै. बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	2006-07			1252.17	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
6	239-सीटी	मध्य प्रदेश	भोपाल	मै. एमपी रोड डवलेपमेंट कारपोरेशन	2007-08			440.19	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
7	191-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई X	नार्थ कर्नाटका एक्सप्रैसवे लिमिटेड	2008-09			348.88	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
8	121-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई-।	डब्ल्यू एस नार्थ अमेरिका इंक	2006-07			343	स्वीकृत
9	96-सीटी	कर्नाटक	एलटीयू बंगलौर	केनरा बैंक	2007-08			331.16	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
10	195-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता।	डब्ल्यूईबीएफआईएल लिमिटेड	2008-09			306.59	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
11	199-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई III	एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	2008-09			302.87	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

12	169-सीटी	दिल्ली	दिल्ली- IV	मै. ग्लोबल ग्रीन कम्पनी लिमिटेड	2006-07			285.73	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
13	281-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई।।।	दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड	2008-09			211	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
14	177-सीटी	दिल्ली	एलटीयू- दिल्ली	इंडियन रिन यूवेबल एनर्जी डवलैपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2008-09			205.82	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
15	136-सीटी	दिल्ली	दिल्ली IV	गोल्ड रिसोर्टस और होटल प्रा. लिमिटेड	2008-09			186.46	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
16	280-सीटी	महाराष्ट्र	औरगांबाद I	एसआरजे पिटि, स्टील प्रा. लिमिटेड	2008-09			173	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
17	110-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई V	मै. शुक्रा ज्वैलरी लिमिटेड	2007-08			134.05	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
18	27-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -I	मै. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2008-09			97.31	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
19	211-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -IV	हयूग्स कोम्निकेशन इन्डिया लिमिटेड	2008-09			96.82	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
20	165-सीटी	दिल्ली	दिल्ली IV	हैरिस स्ट्रेटक्स नेटवर्क्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			95.02	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
21	64-सीटी	तमिल नाडु	मदुरई II	मै. रैमको इंडसट्रिज लिमिटेड	1999-2000			69.06	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
22	74-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -I	मै. कारगिल टीएसएफ एशिया प्रा. लिमिटेड	2006-07			64.35	स्वीकृत
23	49-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -I	चितपूर्णी क्रेडिट एण्ड लीसिंग प्रा. लिमिटेड	2003-04			55.48	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
24	257-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता-II	एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	2007-08			51.06	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
25	15-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II कानपुर	एजेएस बिल्डर्स (प्रा.) लिमिटेड नोएडा	2008-09			31.16	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

26	326-सीटी	दिल्ली	दिल्ली V	मै. रतनागिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड	2008-09			15120	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
27	06-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- IV मुम्बई	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	2008-09			2532.62	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
28	299-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	मै. पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	2007-08			908.82	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
29	142-सीटी	तमिलनाडु	कोयम्बटूर-I	मै. चेरन होल्डिंगस (प्रा.) लिमिटेड	2005-06			176.42	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
30	77-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. सिमेन्स प्रॉडेक्ट लाईफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	2003-04			157.98	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
31	47-सीटी	दिल्ली	दिल्ली I	अरिहन्त चीनी उद्योग (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			74.29	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
32	181-सीटी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद I	मै. एक्सिस हैल्थ टैक लिमिटेड	2006-07			40.62	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
33	16-सीटी	उत्तर प्रदेश	कानपुर II	मै. डीप वाईनस एण्ड एजेंसीज (प्रा) लिमिटेड	2008-09			29.41	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
34	11-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद II	एसीई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	2007-08			26.78	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
35	176-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -I	कैंडिको (आई) लिमिटेड	2008-09			169.8	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
36	164-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -I	मै. क्यूरवैल (इंडिया) लिमिटेड	2002-03			148.57	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
37	162-सीटी	दिल्ली	सीआईटी V-दिल्ली	मै.रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2008-09			651.23	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
38	127-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -V	मै. रेंग्स टैक्नोलोजिस (इंडिया) लिमिटेड	2007-08			187.39	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
39	128-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I, दिल्ली	दि बैंक आफ टोकियो मित्सुबिशी, यूएफजे लिमिटेड	2007-08			3970.18	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

40	228-सीटी	दिल्ली	दिल्ली VI	टवन्टी फर्स्ट सेन्चुरी स्टील लिमिटेड	2002-03			128.99	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
41	103-सीटी	ओडीशा	भुवनेश्वर	मै. उडिसा फोरेसट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	2008-09			61.51	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
42	51-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई I	मै. टीएन सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2008-09			492.86	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
43	279-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	बैंक आफ इंडिया	2004-05		ब्याज में उद्ग्राह्य गलतियां	122	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
44	138-सीटी	दिल्ली	दिल्ली एलटीयू	नेस्ले इंडिया लिमिटेड	2007-08			120.64	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
45	126-सीटी	दिल्ली	डीआईटी दिल्ली।	मै.ई-फण्डस कारपोरेशन	2007-08			107.31	स्वीकृत
46	248-सीटी	पश्चिम बंगाल	डीआईटी कोलकाता	एबीएन एमरो बैंक	2005-06			101.91	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
47	137 सीटी	दिल्ली	दिल्ली-I	कूटोन्स रिटेल इन्डिया लिमिटेड	2006-07			80.23	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
48	61-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई-V	जेट एयर वेज (आई) लिमिटेड	2007-08			63.98	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
49	102-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	उड़ीसा माईनिंग कारपारेशन	2007-08			63.4	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
50	72-सीटी	दिल्ली	डीआईटी दिल्ली।	मै. ई-फण्डस कारपोरेशन	2007-08			62.13	स्वीकृत
51	73-सीटी	दिल्ली	दिल्ली-III	मै. शिवनाथ राय एच.(इ) लिमिटेड	2007-08			58.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
52	287-सीटी	महाराष्ट्र	नागपुर	मै. शेतकारी सौल्वेंट (इंडिया) लिमिटेड	2007-08			53.48	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

53	285-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VI	कन्साई नैरोलेक पैंटंस लिमिटेड	2007-08			53.23	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
54	231-सीटी	दिल्ली	एलटीयू दिल्ली	दी ओरियन्टल इन्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	2008-09			52.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
55	148-सीटी	कर्नाटक	सेन्ट्रल बेंगलौर	मै. यूनाटिड स्पिरिट्स लिमिटेड	2004-05			191	स्वीकृत और राशि वसूल ली गई
56	315-सीटी	असम	डिबरूगड़	मै. आइल इंडिया लिमिटेड	2005-06 2006-07			1773.93	स्वीकृत और राशि वसूल ली गई
57	284-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई- VIII	मै. मौनसन्टो इंडिया लिमिटेड	2007-08			442.39	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
58	160-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. सलैक्ट इन्फ्रासट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	2008-09			180.37	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
59	166-सीटी	कर्नाटक	सेन्ट्रल बंगलौर	मै. एम. एस.पी.एल. लिमिटेड	2008-09			153	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
60	14-सीटी	उत्तर प्रदेश	कानपुर II	मै.उन्नाउ डिस्टीलरीस एण्ड ब्रिवरिस लिमिटेड	2003-04			38.41	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
61	151-सीटी	उत्तर प्रदेश	कानपुर II	मै.यू.पी.एस.आई.डी.सी	2005-06			30.42	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
62	212-सीटी	दिल्ली	दिल्ली V	मै.आर एच सी होल्डिंग प्रा.लिमिटेड	2008-09			347.42	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
63	18-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद I	मै.लोक प्रकाशन लिमिटेड	2008-09			38.55	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
64	131 सीटी	दिल्ली	डी.आई.टी-दिल्ली-I	मै.मितसूई एण्ड कम्पनी लिमिटेड	2007-08			150.2	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
65	175-सीटी	महाराष्ट्र	पूणे I	बजाज एलांइस जरनल इन्शोरेन्स कम्पनी	2007-08			315.48	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

66	143-सीटी	तमिल नाडु	एल.टी.यू. चिन्नै	मै. चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08		अधिक अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	631.36	स्वीकृत
67	156-सीटी	दिल्ली	एलटीयू दिल्ली	मै. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2006-07			610.16	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
68	59-सीटी	महाराष्ट्र	डीआईटी मुम्बई	मै. अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक लिमिटेड	1993-94 1994-95			188.79	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
69	244-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई III	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	2008-09			146	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
70	313-सीटी	पंजाब	पटियाला	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2008-09			68.59	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
71	262-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	यूनिर्वसल केबल्स लिमिटेड	2007-08			55.96	अस्वीकृत
72	20-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद	मै. लौक प्रकाशन लिमिटेड	2006-07			25.78	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
73	91-सीटी	कर्नाटका	मेंगलौर	मै. दी कर्नाटका बैंक लिमिटेड	2006-07			837	स्वीकृत और वसूली की गई
74	92-सीटी	कर्नाटका	गुलबर्गा	मै. गुलबर्ग, बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड	2008-09			275	स्वीकृत और वसूली की गई
75	221-सीटी	कर्नाटका	एलटीयू बंगलौर	मै. एबीबी लिमिटेड	1996-97			233	स्वीकृत और वसूली की गई
76	07-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VII	मै. वोल्टास लिमिटेड	2008-09			63.45	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
77	283-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई IV	एसपायर मरकैन्टाईल प्रा. लिमिटेड	2007-08		कर और अधिभार की गलत दर का अनुप्रयोग	196	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
78	274-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई IV	मै.आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज लिमिटेड	2007-08			84.72	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
79	210-सीटी	दिल्ली	एलटीयू-दिल्ली	राइटस लिमिटेड	2007-08			58.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

80	32-सीटी	तमिलनाडु	कोयम्बयूटर I	मै. एन.ई.पी.सी इंडिया लिमिटेड	1994-95			114.03	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
81	294-सीटी	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल I कोलकाता	मै. इमामी लिमिटेड	2008-09			61.69	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
82	31-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. सीग्राम डिस्टीलरीज लिमिटेड	2007-08			55.9	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
83	04-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई –II	ग्रौमोर रिर्सच एण्ड एसैटस मैनेजमेंट लिमिटेड	2007-08			411	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
84	161-सीटी	दिल्ली	दिल्ली V	मै. एन आई आई टी टैक्नोलोजीज़ लिमिटेड	2007-08			837.81	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
85	180-सीटी	राजस्थान	जोधपुर I	मै. जौधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2004-05		**अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियां**	211.54	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
86	112-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	2003-04			150.68	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
87	44-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. लेयर एक्पोटस प्रा.लिमिटेड	2008-09			232.61	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
88	329-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. बैंक आफ इंडिया	2001-02			66.12	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
89	314-सीटी	पंजाब	पटियाला	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड पटियाला	2008-09	**कर रियायत/छूट/कटौती का प्रशासन**	**मूल्यह्रास/ व्यवसायिक हानियों/पूंजीगत हानियों में अनियमितताएं अनुमत करना**	22597	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
90	320-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई IV	कोटक सिक्यूरिटीज लिमिटेड	2007-08			3430.06	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
91	224-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	विसाका सिमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08			2595.28	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
92	88-सीटी	गुजरात	बडौदा II	जनरल मोटर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	2005-06			1467.65	अस्वीकृत किन्तु कार्यवाही की गई
93	35-सीटी	ओडिशा	संभलपुर	महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड	2007-08			1436	अस्वीकृत किन्तु कार्यवाही की गई

94	154-सीटी	राजस्थान	कोटा	मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड	2008-09			689.46	अस्वीकृत किन्तु कार्यवाही की गई
95	253-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता -IV	बीओसी इंडिया लिमिटेड	2006-07			670.35	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
96	171-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई एलटीयू	बजाज़ होलडिंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2008-09			612.69	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
97	227-सीटी	दिल्ली	दिल्ली I	ऐक्शन इस्पात एण्ड पावर (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			608.41	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
98	325-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई IV	रूची सोया इन्ड. लिमिटेड	2008-09			523	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
99	13-सीटी	गुजरात	बड़ौदा I	गुजरात ऐलकालिज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	2005-06 2006-07 2007-08			333.92	अस्वीकृत किन्तु कार्यवाही की गई
100	41-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	मै. कन्नको ऐन्टर प्रासिस लिमिटेड	2007-08			207.62	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
101	106-सीटी	गुजरात	बड़ौदा I	गुजरात एग्रो एक्सपोर्टस लिमिटेड	2006-07			198.43	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
102	223-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. फर्स्ट लीसिंग कम्पनी लिमिटेड	2008-09			150.2	अस्वीकृत
103	40-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	गिन्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08			149.21	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
104	292-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता III	कौठारी ग्लोबल लिमिटेड	2008-09			148.82	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
105	282-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VIII	केलिक्स केमिकल्स एण्ड फार्मायूटिकलस लिमिटेड	2007-08			145	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
106	296-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता –I	पश्चिम बंगाल फिशरिज कारपोरेशन लिमिटेड	2008-09			120.1	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
107	45-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. श्री विन्धया पेपर मिल्स लिमिटेड	1999-2000			113	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई
108	258-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता -I	बी एन के ई-सोल्यूशन्स (प्रा-) लिमिटेड	2006-07			108.44	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई

109	29-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. सुतलेज टैक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08			101.33	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
110	116-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई –VIII	मै. लीला स्कोटिश लेस लिमिटेड	2006-07			96.17	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
111	209-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -I	मै. इंडिया लीज डैवलपमैन्ट लिमिटेड	2002-03			94.29	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
112	278-सीटी	महाराष्ट्र	औरंगाबाद-I	मै. मेटा रोल्स एण्ड कामोडिटीज़ प्रा. लिमिटेड	2007-08 2008-09			89.64	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
113	75-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. एस आर एल रेनबैक्सी लिमिटेड	2006-07			85.34	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
114	217-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई एलटीयू	मै. मौबिस इंडिया लिमिटेड	2007-08			71.94	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
115	236-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	मलनपुर स्टील लिमिटेड	2007-08			63.61	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
116	158-सीटी	दिल्ली	दिल्ली IV	डाबर फार्मा लिमिटेड	2005-06			62.96	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
117	312-सीटी	पंजाब	लुधियाना-I	मै. वर्धमान टैक्सटाईल लिमिटेड	2007-08			60.86	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
118	37-सीटी	गुजरात	बडौदा –I	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन क. लिमिटेड	2007-08			59.6	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई
119	189-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई IV	कर्मा एनर्जी लिमिटेड	2008-09			59.14	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
120	203-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई I	क्लीयर चैनल मुम्बई, प्रा. लिमिटेड	2007-08			54.26	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
121	105-सीटी	गुजरात	वलसाड	गुजरात टैक्मिस बायोसिन लिमिटेड	2006-07			52.85	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
122	290-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड	2005-06			52.3	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
123	298-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता IV	मेंटल बौक्स इंडिया लिमिटेड	2007-08			51.42	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई

124	86-सीटी	गुजरात	वलसाड	रवि एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	2007-08			45.4	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
125	85-सीटी	गुजरात	बडौदा ।	डाय माइन्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	2007-08			39.71	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई
126	1- सीटी (एस)	गुजरात	अहमदाबाद ॥	कैरव कैमिकल्स लिमिटेड	2006-07 2007-08			26.42	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
127	107-सीटी	गुजरात	बडौदा ।	डायमण्ड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2007-08			25.2	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई
128	98-सीटी	तमिलनाडु	कोयम्बटूर -।	मै. सुगुना पोल्ट्री फार्म लिमिटेड	2005-06			65.18	स्वीकृत और राशि की वसूली की गई
129	54-सीटी	केरल	कोच्ची ।	मै. ऐसपिनवाल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	2007-08			29	स्वीकृत और राशि की वसूली की गई
130	272-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई ॥	मै. बैंक आफ इंडिया	2008-09			3147.91	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
131	42-सीटी	तमिलनाडु	एलटीयू चैन्नई	मै. फोर्ड इंडिया प्रा. लिमिटेड	2007-08			1312.94	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
132	48-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. एस आर ई आई इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स लिमिटेड	2008-09			1063	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
133	70-सीटी	पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल । कोलकाता	मै. ऐलाईड रेसिस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	2007-08			901.74	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
134	97-सीटी	तमिलनाडू	चैन्नई ।	मै. टी टी जी इन्डसट्रीज लिमिटेड	2005-06			785.76	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
135	62-सीटी	महाराष्ट्र	नागपुर ।	मै. वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड	2007-08			664	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
136	192-सीटी	महाराष्ट्र	पुणे III	मै. सुकुमार एसटेट्स लिमिटेड	1997-98			513	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
137	220-सीटी	कर्नाटक	बैंगलोर-III	मै. एस.के.एफ. सिंलिग सोल्यूशन्स इंडिया प्रा.लिमिटेड	2006-07			369	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

138	120-सीटी	महाराष्ट्र	सेन्ट्रल II मुम्बई	मै. प्रिसम सीमेंटस लिमिटेड	2007-08-2008-09			243	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
139	135-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. बैंक आफ इंडिया	2008-09			20944	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
140	182-सीटी	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम II	मै. पर्ल बौटलिंग प्रा. लिमिटेड	2006-07			183	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
141	69-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता III	मै. मरलिन रिर्सोसिज (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			153.53	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
142	12-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद -VI	भावनगर वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2005-06			153.18	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
143	25-सीटी	दिल्ली	दिल्ली V	मै. आर पी जी सेटेलाईट कम्यूनिकेशनस लिमिटेड	2005-06			113.19	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
144	01-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै.शिव नाथ राय हरनारायण (इंडिया) लिमिटेड	2007-08			102.88	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
145	163-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. शोटाईम ईवेन्ट्स इंडिया प्रा.लिमिटेड	2008-09			94.75	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
146	65-सीटी	तमिलनाडु	एलटीयू चैन्नई	मै.सुन्दरम फाइनेन्स लिमिटेड	2003-04			86.96	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
147	56-सीटी	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	मै. बलवन्त टैक्टाईल्स मिल्स	2007-08			80.27	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
148	95-सीटी	कर्नाटक	सेन्ट्रल बेंगलौर	मै. वी एस एल माईनिंग प्रोजेक्टस प्रा. लिमिटेड	2008-09			69.45	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
149	34-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. ई टी एल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड	2008-09			66.85	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
150	317-सीटी	हरियाणा	हिसार	मै. यूनाईटिड टैक्टाईल्स लिमिटेड	2006-07			51.2	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
151	79-सीटी	राजस्थान	अजमेर	मै. सूज़ूकी टैक्टाईल्स लिमिटेड	2008-09			46.73	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

152	19-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद II	मै. गोकुल सिरामिक्स प्रा. लिमिटेड	2008-09	b		43.15	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
153	197-सीटी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद III	मै. सुवेन फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड	2007-08			42.74	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
154	94-सीटी	कर्नाटक	बैंगलोर-III	मै. रमन श्री कम्फर्टस लिमिटेड	2007-08			32.77	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
155	233-सीटी	दिल्ली	दिल्ली II	लूना केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रा. लिमिटेड	2006-07			62.42	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
156	214-सीटी	दिल्ली	दिल्ली -I	मै. साईबरसिस इन्फोटेक लिमिटेड	2008-09			88.03	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
157	63-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै.टीवीएस कम्पनी लिमिटेड	2004-05			209.08	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
158	23-सीटी	गुजरात	राजकोट I	न्यूटैक फोर्ज प्रा. लिमिटेड	2006-07			222	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
159	185-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै ईटीए जनरल (प्रा.) लिमिटेड	2006-07			75.44	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
160	10-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. लौटे इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07			217.27	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
161	304-सीटी	झारखंड	रांची	मै. हैवी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2008-09			274	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
162	173-सीटी	महाराष्ट्र	औरंगाबाद I	भाग्यलक्ष्मी स्टील ऐलाएज प्रा. लिमिटेड	2007-08			59.75	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
163	26-सीटी	दिल्ली	दिल्ली I	मै. ऐलकोबैक्स मेटल्स लिमिटेड	2007-08			168.37	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
164	218-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई I	मै. टी टी हैल्थकेयर लिमिटेड	2007-08			146.29	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

165	03-सीटी	दिल्ली	दिल्ली II	मै. मेट्रो टायर्स लिमिटेड	2007-08			73.45	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
166	82-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	मै. कोस्टल प्रोजेक्टस प्रा. लिमिटेड	2008-09			72.51	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
167	155-सीटी	राजस्थान	अजमेर	मै. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2007-08			126.98	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की
168	243-सीटी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद सेन्ट्रल	मै. नवयुग इन्जिनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	2006-07		**अनियमित छूटें/कटौतियों/ रियायतें/राहत**	5545.13	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही शुरू
169	216-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	मै. नर्मदा इन्फ्रास्ट्रकचर कन्सट्रक्शन इन्टर-प्राइजेज लिमिटेड	2008-09			705.78	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
170	252-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद I	बी ए रिसर्च इंडिया लिमिटेड	2007-08 2008-09			670.71	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
171	145-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. तमिलनाडु अर्बन फाईनेंस एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड	2007-08			653.91	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
172	119-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	टाटा फाइनेंस लिमिटेड	2005-06			415.24	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
173	157-सीटी	दिल्ली	एलटीयू दिल्ली	मै. वर्लपूल आफ इंडिया लिमिटेड	2006-07			287.68	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
174	09-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. इन्टग्रेटिड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड	2005-06			251.72	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
175	250-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	वेस्टींग हाऊस सैक्सबाय फारमर लिमिटेड	2004-05			236.39	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
176	152-सीटी	उत्तर प्रदेश	कानपुर II	मै. यू पी एस आई डी सी कानपुर	2006-07			220	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

177	297-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता IV	मै. जे.के. शुगर लिमिटेड	2006-07			218.45	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई
178	115-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VI	मै. बल्यू स्टार इन्फोटेक लिमिटेड	2005-06			211.64	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
179	83-सीटी	गुजरात	गांधी नगर	मै. गुजरात वाटर सप्लाई एण्ड सिवरेज बोर्ड	2006-07			182.24	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
180	276-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. किंगसटन प्रोपर्टिस प्रा.लिमिटेड	2006-07 2008-09			166	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
181	242-सीटी	केरल	त्रिशूर	दी साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड	2005-06			157.46	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
182	132-सीटी	दिल्ली	दिल्ली IV	दिल्ली फाइनेंशयल कारपोरेशन	2005-06			147.94	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
183	193-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	2004-05			132.61	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
184	323-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	मै. श्री रेनूगा टैक्टाईल्स लिमिटेड	2007-08			129.71	अस्वीकृत
185	268-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई III	मै. ऐवर स्माईल प्रोपरटिज प्रा. लिमिटेड	2006-07			116	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
186	215-सीटी	तमिलनाडू	पोंडीचेरी	मै. पोंडीचेरी इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन डवलपमेंट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07			110.5	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
187	251-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	इंकन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08			97	अस्वीकृत

188	307-सीटी	बिहार	पटना I	मै. ऐपटेक बिलर्डस (प्रा.) लिमिटेड पटना	2007-08			95.22	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
189	316-सीटी	हरियाणा	पंचकुला	मै. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पंचकुला	2007-08			92.48	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
190	125-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	मै. पी सी के बुदेरस (आई) स्पेशल स्टील प्रा.लिमिटेड	2006-07			90.52	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
191	300-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता III	जीटीएफएस मल्टी सर्विस लिमिटेड	2006-07			86.45	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
192	205-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VIII	ऐमेक्स इन्फरमेशन टेक्नोलाजीस लिमिटेड	2003-04			86.14	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
193	309-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	महिन्द्रा वर्ड सिटी डेवेलपर्स लिमिटेड	2008-09			85.31	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
194	147-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. टी वी एस मोटर्स कम्पनी लिमिटेड	2006-07			84.09	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
195	267-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई III	मै. बडौदा रेयान कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07			83.64	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
196	50-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	मै. मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन चैन्ने लिमिटेड	2005-06			71.88	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
197	140-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VIII	सन-एन. सैंड होटल्स प्रा. लिमिटेड	2008-09			68.67	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
198	17-सीटी	उत्तर प्रदेश	कानपुर II	मै. यूपीएसआईडीसी कानपुर	2007-08			64.55	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

199	188-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	मै. मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन चैन्नई लिमिटेड	2005-06			62.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
200	295-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	दी इंडिया जूट एण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड	2005-06			62.14	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
201	179-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता IV	जेएचवी शुगर लिमिटेड	2006-07			61.15	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
202	265-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई –VII	विनय कार्गो मुवर्स लिमिटेड	2005-06			59.19	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
203	288-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	वेस्टिंग हाऊस सैक्स बाई फार्मर लिमिटेड	2006-07			57.21	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
204	238-सीटी	मध्य प्रदेश	इंदौर I	मै. धार आटोमोटिव्स प्रा. लिमिटेड	2008-09			48.91	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
205	327-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई III	मै. स्माल इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया	2005-06			590.9	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
206	222-सीटी	कर्नाटक	बेगंलोर I	मै. केयने इन्टरनेशनल इंडिया लिमिटेड	2007-08			547	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
207	207-सीटी	महाराष्ट्र	पुणे III	मै. सतव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	2006-07			274	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
208	08-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. देना बैंक लिमिटेड	2005-06			207	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
209	68-सीटी	कर्नाटक	एलटीयू बेंगलौर	मै. वोलवो इंडिया प्रा0 लिमिटेड	2007-08			183	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
210	201-सीटी	महाराष्ट्र	पुणे III	मै. सतव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड	2006-07			168	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

211	52-सीटी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद III	मै.सांधी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2006-07			132.61	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
212	310-सीटी	कर्नाटक	बैगंलोर III	मै. सेप इंडिया प्रा. लिमिटेड	2007-08			95.62	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
213	174-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VIII	मै. मेटल पलास्ट ऐक्सीम इंडिया लिमिटेड	2008-09			84.2	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
214	206-सीटी	महाराष्ट्र	सेन्ट्रल I पूणे	मै. बाला ऐन्टरटेनमेन्ट इन्टरनैशनल प्रा.लिमिटेड	2009-10			77.84	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
215	58-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई XI	मै. जेट स्पीड ओडियो प्रा. लिमिटेड	2005-06			65.7	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
216	109-सीटी	महाराष्ट्र	नागपुर I	मै. रोचेम सेपरेशन सिस्टम (आई) प्रा. लिमिटेड	2000-01			53.97	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
217	99-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. कौठारी इन्डस्ट्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07			168.84	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
218	183-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई I	मै. टाटा सोफ्टवेयर रिसर्च कम्पनी प्रा. लिमिटेड	2005-06			160.79	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
219	184-सीटी	तमिलनाडू	सेलम	मै. जीटीपी ग्रेनाईट्स लिमिटेड	2006-07			64.08	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
220	80-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	मै. इंडिया मैटल्स एण्ड फैरो एलायस लिमिटेड	2007-08 2008-09			7867	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई

221	100-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	मै. ग्रीड कारपोरेशन आफ ओडिशा लिमिटेड	2007-08			3603.88	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
222	241-सीटी	राजस्थान	जयपुर II	मै. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड कारपारेशन लिमिटेड	2008-09			48.66	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
223	321-सीटी	केरल	त्रिशूर	दी साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड	2006-07			312.37	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
224	301-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	2004-05		व्यापार व्यय की गलत अनुमति	2982.33	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
225	172-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	बैंक आफ इंडिया	2008-09			2856	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
226	302-सीटी	पश्चिम बंगाल	आसनसौल	मै. इस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड	2005-06			1547.88	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
227	229-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	शिवाना इन्डस्ट्रिज प्रा. लिमिटेड	2008-09			798.88	स्वीकार और कार्यवाही शुरू की गई
228	246-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	जनपथ इन्वेस्टमेंट्स एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड	1999-2000			604.8	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
229	226-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	मै. पीवीपी वेन्चर्स लिमिटेड	2008-09			213.2	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
230	153-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई III	मै. सनैको बिस्कुट्स प्रा. लिमिटेड	2005-06			206.13	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
231	114-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई –VII	यस बैंक लिमिटेड	2006-07			146.76	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
232	33-सीटी	तमिलनाडु	पांडेचेरी	मै. चैमफेब अलकलिज लिमिटेड	2004-05 2005-06			128.59	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई

233	219-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई ।	मै. यूनिक रिस्वेबल मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	2006-07			72.26	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
234	308-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई –I	मै. टेगरोस केमिकल्स इंडिया लिमिटेड	2005-06			72.19	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
235	256-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता -III	स्टार बैटरिज लिमिटेड	2005-06			66.55	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
236	289-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता -II	केसोराम इन्डस्ट्रिज लिमिटेड	2008-09			61.64	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
237	261-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता -I	जेएचवी डिस्टीलरिज एण्ड शुगर मिल्स	2006-07			54.93	अस्वीकृत परन्तु कार्यवाही की गई
238	78-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता-I	मै. वैस्ट बंगाल स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन	2007-08			54.83	स्वीकृत और राशि वसूली गई
239	198-सीटी	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद III	मै. यूनाईटेड स्टेट्स फारमेकोपिया प्रा. लिमिटेड	2006-07			66.8	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
240	168-सीटी	दिल्ली	सैन्ट्रल III दिल्ली	मै. माइक्रोवेव काम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	2006-07			65.98	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
241	46-सीटी	दिल्ली	दिल्ली ।	मै. सीसीआईएल	2008-09			52.15	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
242	67-सीटी	कर्नाटक	बैगंलौर III	दि मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड	2005-06			41.6	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
243	187-सीटी	तमिलनाडु	चैन्नई।	मै. टीएन इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड	2007-08 2008-09			31215.68	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
244	213-सीटी	दिल्ली	दिल्ली V	मै. रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड	2008-09			1033.49	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
245	196-सीटी	तमिल नाडु	चैन्नई III	यूकाल फ्यूल सिस्टम्स लिमिटेड	2006-07			195.35	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
246	225-सीटी	तमिल नाडु	चैन्नई -I	मै. वीएसएल इंडिया लिमिटेड	2007-08			64.3	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

247	81-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	मै. ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन	2006-07			813	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
248	150-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	मै. पारादीप फास्फेटस लिमिटेड	2007-08			279.57	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
249	101-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	मै. नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	2008-09			236.57	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
250	139-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VII	मै. रिलाईन्स पेट्रो मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड	2008-09			67.81	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
251	122-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. बैंक ऑफ इंडिया	2002-03	**चूकों के कारण निर्धारण से बचाव**	**विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण न होना**	4622.86	स्वीकृत
252	55-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. इन्डसइन्ड बैंक लिमिटेड	2003-04			2498.51	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
253	319-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. देना बैंक लिमिटेड	2006-07			2008.9	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
254	322-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई III	मै. पीपीएन पॉवर जेनरेटिंग का. लिमिटेड	2005-06			722.33	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
255	277-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. रेमण्ड लिमिटेड	2001-02			576	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
256	170-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई X	निस्कल्प एनर्जी लिमिटेड	2004-05			541	स्वीकृत
257	264-सीटी	महाराष्ट्र	डीआईटी मुम्बई।	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड	2006-07 2007-08			419.91	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
258	286-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VII	प्राईम सिक्योरिटिज़ लिमिटेड	2008-09			344	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
259	60-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई III	रामा न्यूज़ प्रिन्ट और पेपर लिमिटेड	2007-08			307.4	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

260	273-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VIII	मै. एनेरकोन इंडिया लिमिटेड	2006-07			207	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
261	22-सीटी	गुजरात	वडोदरा ।	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2007-08			191.59	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
262	28-सीटी	दिल्ली	दिल्ली V	मै. पीएनबी गिल्टस लिमिटेड	2006-07			178.45	अस्वीकृत
263	245-सीटी	महाराष्ट्र	पुणे ।	मै. ब्रह्मा बजाज होटल्स लिमिटेड	2007-08			140	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
264	57-सीटी	दिल्ली	दिल्ली V	मै. नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2008-09			133.8	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
265	237-सीटी	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	मै. कार्डिनल ड्रग्स लिमिटेड	2005-06			125.61	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
266	05-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई-V	मै. जेट एयरवेज़ इंडिया प्रा. लिमिटेड	2007-08			98.78	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
267	275-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई सैन्ट्रल ।	मै. जिन्दल ड्रग्स लिमिटेड	2009-10			82.04	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
268	270 सीटी	महाराष्ट्र	नागपुर IV	मै. शारदा एनर्जी और मिनरल लिमिटेड	2008-09			66.57	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
269	113-सीटी	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	मै. दुरोवाल्वस इंडिया प्रा. लिमिटेड	2007-08			64.25	स्वीकृत
270	324 सीटी	तमिलनाडु	मदुरई ।	मै. थियागराज मिल्स लिमिटेड	2008-09			63.7	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
271	43-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	टाटा एआईजी जनरल इन्शोरेन्स का. लिमिटेड	2005-06			55.02	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
272	87-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई X	वैल्सपुन मार्कन्टाईल लिमिटेड	2007-08			51.01	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
273	266-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई –VIII	मै. गरवरे पोलीस्टर लिमिटेड	2007-08			50.14	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
274	318-सीटी	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़।	मै. अमृत वनस्पति कम्पनी लिमिटेड	2008-09			50.1	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

275	311-सीटी	पंजाब	पटियाला	मै. तेग मसारादो प्रा. लिमिटेड	2007-08			48.24	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
276	208-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद IV	स्पेसिफिक सेरामिक्स प्रा. लिमिटेड	2006-07			37.22	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
277	204-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. बैंक ऑफ इंडिया	2001-02			5671	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
278	36-सीटी	गुजरात	गांधीनगर	मै. गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड	2008-09			540.05	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
279	02-सीटी	दिल्ली	दिल्ली II	मै. केने इंडिया लिमिटेड	2005-06			391.8	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
280	129-सीटी	दिल्ली	दिल्ली III	मै. सुपर रिलीगर लेबोरेट्रिज़ लिमिटेड	2008-09			253.91	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
281	149-सीटी	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद I	मै. डा. रेड्डीस लेबोरेट्रिज़ लिमिटेड	1998-99			247	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
282	117-सीटी	महाराष्ट्र	पुणे-I	मै. कल्याणी ग्लोबल इन्जीनियरिंग प्रा. लिमिटेड	2008-09			72.83	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
283	134-सीटी	महाराष्ट्र	ठाणे-II	जोन्सन मेथ्थी कैमिकल्स (इ) लिमिटेड	2008-09			56.11	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
284	66-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई एलटीयू	मै. रॉयल सुन्दरम एलाइन्स इन्श्योरेन्स का.	2003-04			151.14	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
285	194 सीटी	राजस्थान	अलवर	जिलेट इंडिया लिमिटेड	2003-04			234.98	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
286	141-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VII	मै. वॉल्टाज लिमिटेड	2007-08			166	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
287	263-सीटी	कर्नाटक	बंगलौर III	मै. एमजी लाईफस्टाईल प्रा. लिमिटेड	2007-08			30.75	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई

288	108-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद IV	वोडाफोन एस्सार (गुजरात) लिमिटेड	2006-07		**सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण न होना**	4858	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
289	260-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	जेनेटिज़ टेक्नोलैब (प्रा.) लिमिटेड	2007-08			1278.63	स्वीकृत
290	202-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई -VIII	सोनु सिन्थेटिक्स लिमिटेड	2006-07			717.14	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
291	306-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता IV	जेएचवी शुगर लिमिटेड	2006-07			603.72	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
292	255-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	ईस्ट एन्ड सिल्क प्रा. लिमिटेड	2006-07			470.92	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
293	269-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई -X	मै. सिन्केम केमिकल्स (इ) लिमिटेड	2007-08			387	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
294	89-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई III	मै. पोलारिज़ सॉफ्टवेयर लैब लिमिटेड	2005-06			274.44	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
295	159-सीटी	दिल्ली	दिल्ली IV	डाबर फार्म लिमिटेड	2005-06			140.99	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
296	291-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	सेलिब्रेशन सिटी प्रोजेक्टस (प्रा) लिमिटेड	2007-08			99.3	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
297	84-सीटी	गुजरात	बडोदा।	डायमण्ड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2007-08			94.95	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
298	144-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई III	मै. एमआरएम प्लान्टाटेशन लिमिटेड	2004-05 से 2007-08			94.12	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
299	254-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता I	नेशनल जूट मेन्युफैक्चरिंग का. लिमिटेड	2008-09			83.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
300	240 सीटी	मध्य प्रदेश	इन्दौर I	मै. मोयरा स्टील लिमिटेड इन्दौर	2005-06			78.12	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
301	293-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता सैन्ट्रल।	आनन्द सिल्वर प्रा. लिमिटेड	2005-06			72.97	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

302	38-सीटी	गुजरात	अहमदाबाद III	पीजी फायल्स लिमिटेड	2008-09			41.42	अस्वीकृत किन्तु कार्यवाही की गई
303	271-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई VI	मै. ब्ल्यू स्टार इन्फोटेक लिमिटेड	2006-07			83.93	स्वीकृत और राशि वसूली गई
304	93-सीटी	कर्नाटक	मंगलौर	मै. कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड	2008-09			228	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
305	200-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई III	मै. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्रा. लिमिटेड	2006-07			50.08	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
306	123-सीटी	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद III	मै. सैन्थिनी सेरामीका प्रा. लिमिटेड	2007-08			77.17	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
307	24-सीटी	दिल्ली	दिल्ली-I	मै. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	2006-07			302.85	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
308	146-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई I	मै. इन्टीग्रेटिड फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड	2005-06			898.52	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
309	90-सीटी	तमिलनाडु	कोयम्बटूर I	मै. एनईपीसी लिमिटेड	2005-06			58.55	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
310	124-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई I	मै. हवाशिन आटोमोटिव इंडिया प्रा. लिमिटेड	2006-07			74.68	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
311	186-सीटी	तमिलनाडु	चेन्नई I	मै. कोठारी इन्स्ट्रीयल का. लिमिटेड	2006-07			123.47	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
312	104-सीटी	ओडिशा	भुवनेश्वर	मै. रोहित कुमार दास कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	2008-09			462	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
313	234-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई II	मै. टाटा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2005-06		पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	239	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
314	111-सीटी	महाराष्ट्र	मुम्बई-VI	मै. ई-बे इंडिया प्रा. लिमिटेड	2005-06			100.71	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
315	259-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता III	मै. स्वर्णरेखा प्रोपर्टीज (प्रा.) लिमिटेड	2006-07			77.13	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
316	53-सीटी	केरल	कोच्ची I	मै. अस्पीनवॉल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	2008-09			181	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

317	232-सीटी	दिल्ली	एलटीयू दिल्ली	दि ऑरियन्टल इन्शोयूरेंस कम्पनी लिमिटेड	2008-09	**कर/ब्याज का अतिप्रभार**	**कर/ब्याज का अतिप्रभार**	2193.57	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
318	133-सीटी	दिल्ली	दिल्ली I	सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन	2008-09			139.8	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
319	130-सीटी	दिल्ली	दिल्ली IV	मै. जिलेट ग्रुप इंडिया (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			107.41	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
320	249-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता II	रूंगटा माईन्स लिमिटेड	2005-06			105	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
321	303-सीटी	पंजाब	पटियाला	मै. पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड	2008-09			87.75	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
322	71-सीटी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता III	मै. बोलेवार्ड सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड	2008-09			102.38	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
323	328-सीटी	हरियाणा	गुड़गांव	मै. लिबर्टी हेल्थकेयर (प्रा) लिमिटेड	2005-06			91.41	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
324	39-सीटी	मध्य प्रदेश	भोपाल	मै. आप्टेल टेलीकॉम्यूनिकेशन लिमिटेड	1994-95			636	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
325	305-सीटी	झारखण्ड	जमशेदपुर	मै. टिमकेन इंडिया लिमिटेड	2006-07			42.53	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
326	1- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, कोल्हापुर	मै. विश्वास राव नायक सक्खर सहकारी कारखाना लिमिटेड	2007-08	**निर्धारणों की गुणवत्ता**	**आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां**	347.96	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
327	23-आईटी	गुजरात	सीआईटी सैन्ट्रल-I, अहमदाबाद	हिरेन बी परमर	2005-06			6.70	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
328	37आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, कोल्हापुर	मै. इंदिरा गांधी भारतीय महिला विकास एसएसके लिमिटेड	2007-08			230.38	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
329	43-आईटी	दिल्ली	सीआईटी XIII, दिल्ली	मै. बीएससी सी एंड सी जेवी	2006-07			110.19	स्वीकृत और कार्रवाई की गई

330	45-आईटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी-I, विशाखापट्टनम	मै. विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट	2008-09			45539.00	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
331	47-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-ठाणे	मै. सिद्धी रियल इस्टेट डेवलेपर्स लिमिटेड	2009-10			12.73	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
332	48-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी-सैन्ट्रल, बंगलौर	मै.चामुण्डी गोल्ड हिल इस्टेट	2008-09			21.61	स्वीकृत और राशि वसूली गई
333	66आईटी	दिल्ली	सीआईटी VIII, दिल्ली	मै. तुरकिन्ज-1	2008-09			10.79	स्वीकृत और कार्रवाई की गई
334	73-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -X, मुम्बई	प्रभारकर टी भंडारी	2008-09			230.50	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
335	83आईटी	दिल्ली	डीआईटी I, दिल्ली	ईएसएस डिस्ट्रिब्यूशन (मारिशियस) एसएनसी ईटी कोम्पैजीन लिमिटेड	2005-06			2063.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
336	167-आईटी	दिल्ली	डीआईटी I, दिल्ली	मै. ईएसएस डिस्ट्रिब्यूशन (मारिशियस) एसएनसी ईटी कोम्पैजीन लिमिटेड	2006-07			1740.11	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
337	10 आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी, नोएडा	प्रिज़मा इलेक्ट्रोनिक्स नोएडा	2008-09		**कर अधिभार इत्यादि की गलत दर का अनुप्रयोग**	68.90	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
338	12-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी, इलाहाबाद	गजराज केमिकल्स इलाहाबाद	2008-09			8.90	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
339	13-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी -I, आगरा	मैट्रो एण्ड मैट्रो, आगरा	2008-09			28.76	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
340	15आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी, मेरठ	श्री पुनीत जैन	2008-09			101.78	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
341	20आईटी	गुजरात	सीआईटी -IV, अहमदाबाद	पोपटभाई पीताम्बर भाई डाभी (सतवार)	2008-09			6.15	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
342	56-आईटी	पंजाब	सीआईटी सैन्ट्रल, लुधियाना	रवि कुमार बंसल	2008-09			8.45	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
343	67-आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सैन्ट्रल -I, दिल्ली	देवेन्द्र पाल सिंह कोहली	2009-10			56.54	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

344	76-आईटी	महाराष्ट्र	डीसीआईटी-सैन्ट्रल सर्कल-I, ठाणे	वृशाली संजय शिंदे	2008-09			12.77	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
345	87-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी - I, इन्दौर	श्री पुष्कर लाल अग्रवाल	2008-09			58.84	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
346	99-आईटी	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी शिमला	मै. तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज़	2007-08			138.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
347	6-आईटी	गुजरात	सीआईटी सैन्ट्रल-II अहमदाबाद	मुकेश बी गुप्ता	2007-08		**इ-ब्याज लगाने में गलतियां**	6.91	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
348	14-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी -I लखनऊ	यूपी कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2007-08			27.30	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
349	18-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, सूरत	श्री कीरीत मोहनभाई पटेल	2000-01, 2002-03 और 2004-05			10.51	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
350	50आईटी	गुजरात	सीआईटी सैन्ट्रल - इलाहाबाद	हिरेन बी परमार	2002-03 से 2006-07			14.37	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
351	59-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी इलाहाबाद	श्री जयेन्द्र नागर	2008-09			9.23	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
352	60-आईटी	गुजरात	सीआईटी सैन्ट्रल - I इलाहाबाद	पटेल एवन्यू हाऊसिंग कॉपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड	2002-03 और 2004-05			7.30	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
353	71-आईटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी -III, हैदराबाद	श्री बरली विजय कुमार	2007-08			32.65	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
354	82-आईटी	दिल्ली	डीआईटी-I दिल्ली	ईएसपीएन स्टॉर स्पोर्टस मारीशयस एस एनसी ईटी कोम्पैजीन	2005-06			387.28	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
355	85-आईटी	दिल्ली	सैन्ट्रल -I, दिल्ली	गुरमीत सिंह साहनी	2009-10			15.91	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

356	89आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी - भोपाल	श्री मुकेश शर्मा	2008-09 और 2009-10			46.28	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
357	102आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सैन्ट्रल नागपुर	बुल्डाना अरबन कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड	2009-10			81.82	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
358	105-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सैन्ट्रल नागपुर	नारायण दास टी राठी लिगल हेयर श्री अशोक कुमार राठी	2004-05			25.53	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
359	112-आईटी	चंडीगढ़ (यूटी)	सीआईटी -II, चण्डीगढ़	श्री गगन प्रीत सिंह	2006-07			7.08	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
360	113-आईटी	झारखंड	सीआईटी, पटना	श्री अरूण अग्रवाल	2002-03 से 2008-09			18.10	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
361	115-आईटी	चंडीगढ़ (यूटी)	सीआईटी II चंडीगढ़	श्रीमती सुरजीत कौर	2007-08			16.76	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
362	116-आईटी	दिल्ली	डीआईटी, दिल्ली	मै. वर्ल्डस्पैन एल पीयूएसए	2006-07			58.17	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
363	117-आईटी	पंजाब	सीआईटी -II, चंडीगढ	श्री बलवंत सिंह	2007-08			8.99	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
364	118-आईटी	हिमाचल प्रदेश	सीआईटी, शिमला	श्री प्रीतम चन्द्र	1989-90 से 1998-99			8.76	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
365	103-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -II, पुणे	मै. श्री सत्व कन्सट्रैक्शन प्रा. लिमिटेड	2004-2005 एवं 2005-2006		**अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज**	61.94	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
366	16-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -XIII कोलकाता	श्रीमती मंजू चौधरी	2007-08	**रियायतों/कर छूटों/कटौतियों का कर प्रशासन**	**व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहतें**	29.15	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
367	19-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, राजकोट	जयेश कुमार आर शाह	2007-08			5.71	अस्वीकृत किन्तु कार्यवाही की गई
368	62आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी -I कोयम्बटूर	श्री एस मार्टीन	2007-08			90.84	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

369	64आईटी	राजस्थान	सीआईटी -II, जयपुर	शैलेन्द्र गर्ग	2005-06			8.33	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
370	2-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी II, पुणे	मै. पुणे केन्टोंमैन्ट सहकारी बैंक लिमिटेड	2007-08		ट्रस्टों/फर्मों/ सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहतें	59.94	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
371	5-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -II, ठाणे	मै. रायगढ डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2007-08			67.49	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
372	28-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी। त्रिची	मै. अरविन्द ए ट्रेडर्स	2007-08			84.00	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
373	29-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी, ग्वालियर	मै. डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट बैंक	2006-07			322.86	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
374	32-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -(सी)-III, कोलकाता	ठाकर्स सेल्स कॉरपोरेशन	2007-08			15.41	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
375	34आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी II, नासिक	मै. पावर पाटकर कन्सट्रैक्शन्स	2006-07			72.68	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
376	36-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी I,कोल्हापुर	मै. राजारामबाबू पाटील दुध संघ लिमिटेड	2007-08			21.06	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
377	38-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -I, कोल्हापुर	मै. वसन्तढाडा शेतकरी सहकारी बैंक लिमिटेड संगली	2007-08			44.22	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
378	39-आईटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी -IV, हैदराबाद	मै. डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड	2005-06			711.72	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
379	53-आईटी	बिहार	सीआईटी, भागलपुर	मै. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट कमेटी	2007-08			5.72	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
380	54-आईटी	बिहार	सीआईटी-। पटना	मै. मारूती इन्टरप्राईजेस	2007-08			8.22	स्वीकृत और कार्यवाही प्रारंभ की गई
381	57-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी-IV चेन्नई	मै. डेलोटी हसकिन्स एण्ड सेल्स	2008-09			110.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

382	61-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी II, तिरछे	मै. प्रवीन केम इन्डस्ट्री	2007-08			19.41	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
383	69-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी- दुर्गापुर	बंक्कुरा डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक	2007-08			32.80	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
384	70-आईटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी-विजयवाडा	मै. कृष्णा डिस्ट्रीक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स म्यूच्ली एडीड कॉपरेटिव यूनियन लिमिटेड	2008-09			60.41	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
385	74-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-औरंगाबाद	औरंगाबाद डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड	2007-08			78.90	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
386	75-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II नागपुर	मै. अमरावती डिस्ट्रीक्ट कॉपरेटिव बैंक	2007-08			50.22	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
387	92-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी- XIV, कोलकाता	सुन्दर लाल मोहन लाल सारदा एण्ड अदर्स	2006-2007			16.76	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
388	94-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी XV मुम्बई।	मै. प्राईम कन्सल्टेन्स इंडिया	2005-06			11.51	स्वीकृत परंतु कार्यवाही शुरू की गई
389	95-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -II, नागपुर	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड	2006-07			33.66	स्वीकृत परंतु कार्यवाही शुरू की गई
390	96-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -I, कोल्हापुर	मै. तमरापर्नी नगरी सहकारी पर संस्था मर्यादित	2006-07			12.80	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
391	100-आईटी	हरियाणा	सीआईटी फरीदाबाद	पलवल कॉपरेटिव शूगर मिल लिमिटेड	2005-06			15.80	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

392	119-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, राजकोट	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2007-2008			22.75	स्वीकृत परंतु कार्यवाही शुरू की गई
393	4-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी, I पुणे	संत तुकाराम सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड	2005-06		**मूल्यह्रास/कारोबारी हानियां/पूंजीगत हानियां अनुमत करने मे अनियमितताएं**	27.51	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
394	8-आईटी	गुजरात	सीआईटी -III, राजकोट	श्री महेश भूराभाई परसाना	2008-09			17.96	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
395	9-आईटी	गुजरात	सीआईटी -VI, अहमदाबाद	कीरीत केमिकल्स वकर्स	2006-07			11.79	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
396	24-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, वडोदरा	अमीन ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कम्पनी	2006-07 2007-08			6.04	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
397	30-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, सूरत	प्रियंका पोलीस्टर	2005-06			8.83	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
398	44आईटी	गुजरात	सीआईटी -I वडोदरा चार्ज	पेट्रोफिल्स कॉपरेटिव लिमिटेड	2006-07			2489.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
399	46आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी I, कोल्हापुर	सोनहीरा सहकारी सखर करखाना लिमिटेड	2007-08			359.00	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
400	52-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी I, कोल्हापुर	मै. क्रांति सहकारी सखर करखाना लिमिटेड	2007-08			68.94	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
401	84-आईटी	दिल्ली	सैन्ट्रल -I दिल्ली	आदित्य खन्ना	2008-09			11.27	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
402	86-आईटी	कर्नाटक	मैसूर	दि मन्दया डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड	2006-07			40.08	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
403	90-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -III, कोलकाता	श्री हर्षवर्धन हिमतसिंगका	2006-2007			94.04	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

404	104-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी - औरगाबाद	दि प्रभानी पीपल्स कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रभानी	2005-06			85.39	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
405	106-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी - औरगाबाद	मै. जय भवानी सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड	2008-09			151.06	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
406	111-आईटी	बिहार	सीआईटी -I पटना	मै.ओरो डेन्टल हैल्थ केयर सैन्टर	2004-05, 2005-06, 2006-07 2007-08			6.60	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
407	17-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -(सी)-III, कोलकाता	उत्तम कुमार शाह	2006-07	**चूकों के कारण कर से बचे निर्धारण**	**अवर्णित निवेशों/नगद क्रेडिट इत्यादि**	16.13	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
408	51-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी - वाराणसी	मै. नरेन्द्र एजूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, वाराणसी	2005-06			45.25	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
409	97-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सी, पुणे	मै. अमन बचत मंडल	2000-01 से 2005-06			27.06	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
410	27-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी II, चेन्नई	श्रीमती ए ए प्रवीन	2008-09		**पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना**	86.22	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
411	58आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी - IV, चेन्नई	श्री एम थिरूनावूक्करासू	2007-08			71.82	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
412	80आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी - IV, चेन्नई	श्रीमती विजया श्रीनिवासन	2006-07			87.07	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
413	81-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी - IV, चेन्नई	मै. के श्रीनिवासन	2006-07			89.05	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
414	93-आईटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी - सैन्ट्रल हैदराबाद	श्री सैय्यद हुसनूद्दीन	2008-09			45.32	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
415	7-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, सूरत	मुरली फेब्रिक्स	2005-06		**आय का निर्धारण नही करना/कम करना**	6.97	अस्वीकृत किन्तु कार्यवाही की गई
416	31-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी सैन्ट्रल - III कोलकाता	श्री सुब्रता बनिक	2005-06			17.83	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

417	41आईटी	राजस्थान	सीआईटी -II, जोधपुर	श्री लाल चन्द	2008-09			11.69	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
418	72-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी -III, चेन्नई	श्री उत्तम कुमार पी जैन	2008-09			13.21	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
419	79-आईटी	दिल्ली	सीआईटी -XIII	एचसीआईएल-कालिंदी -एआरएसएसपीएल (जेवी)	2006-07			26.07	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
420	91-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -(सी)-I, कोलकाता	मनीष कुमार मिमानी	2007-08			12.86	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
421	98आईटी	पंजाब	सीआईटी - पटियाला	श्रीमती मंजीन्दर कौर धनोआ	2008-09			6.64	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
422	114-आईटी	हरियाणा	सीआईटी करनाल	कैथल कॉपरेटिव शूगर मिल लिमिटेड कैथल	2007-08			27.65	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
423	3-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी, I, पुणे	संत तुकाराम सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड	2005-06		**टीडीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियां**	163.40	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
424	21-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, राजकोट	धोलू केसीएलआईपीई ज्वांइट वेंचर कं.	2006-07			787.45	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
425	22-आईटी	गुजरात	सीआईटी-गांधीनगर	बाबूजी लक्ष्मी धाबही	2006-07			38.65	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
426	25-आईटी	दिल्ली	सीआईटी - XIII, दिल्ली	एचसीआईएल-एआरएसएसएसपीएल-त्रिवेणी (जेवी)	2006-07			153.53	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
427	35-आईटी	गुजरात	सीआईटी -VI, अहमदाबाद	कैलाश चन्द्र मुरलीधर छेचानी	2007-08			17.00	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
428	42-आईटी	दिल्ली	सीआईटी XII, दिल्ली	हरजीत शर्मा	2006-07			18.17	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
429	63आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -XIII, कोलकाता	श्री प्रेम चौधरी	2007-08			14.00	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
430	77-आईटी	गुजरात	सीआईटी -I, सूरत	के डी मेन्यूफैक्चरिंग	2005-06			46.55	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

431	107-आईटी	झारखण्ड	सीआईटी, रांची	सुरेन्द्र कुमार सिंह	2005-06			20.38	अस्वीकृत लेकिन कार्यवाही की गई
432	109-आईटी	झारखण्ड	सीआईटी, धनबाद	मै. विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट	2008-09			12.31	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
433	110आईटी	झारखण्ड	सीआईटी, रांची	पुरूषोत्तम बगरिया	2005-06			31.43	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
434	26आईटी	दिल्ली	सीआईटी - सैन्ट्रल दिल्ली	राजीव चौरसिया	2006-07	**अन्य-कर/ब्याज का अतिप्रभार**	**कर का अतिप्रभार**	89.27	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
435	33 आईटी	राजस्थान	सीआईटी-अजमेर	महिन्द्रा सिंह असोलिया	2007-08			24.27	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
436	40आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी सेन्ट्रल-III कोलकाता	नरूला एजूकेशनल ट्रस्ट	2008-09			209.23	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
437	65आईटी	राजस्थान	सीआईटी -III, जयपुर	सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	2008-09			11.96	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
438	68-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -II, कोलकाता	दिलीप कुमार खण्डेलवाल	2007-08			19.40	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
439	78-आईटी	गुजरात	सीआईटी -II, सूरत	बिहारी लाल टी पटेल	2002-03			10.58	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
440	108-आईटी	झारखंड	सीआईटी, रांची	मै. झारखंड ग्रामीण बैंक	2007-08		**ब्याज का अतिप्रभार**	34.17	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
441	1-डब्ल्यूटी	दिल्ली	सीआईटी -I, दिल्ली	मै. एकोन टेक्नोलोजिस प्रा. लिमिटेड	2007-08	**धन का निर्धारण नहीं करना**	**धन का निर्धारण नहीं करना**	1.64	स्वीकृत और राशि वसूल की गई
442	2-डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी -II, मदुरई	मै. श्री रामालिंगा मिल्स लिमिटेड	2008-09			1.3	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
443	3-डब्ल्यूटी	गुजरात	सीआईटी -III, अहमदाबाद	प्रीशिचन टेक्नोफेब एण्ड इंजीनियरिंग पी लिमिटेड	2005-06			2.88	अस्वीकृत परंतु कार्यवाही की गई
444	5-डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -III, नागपुर	श्री श्रीकान्त मधुकर भिंडे	2007-08			1.74	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
445	6-डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी I, कोयम्बटूर	मै. शिवा टैक्स यार्न लिमिटेड	2004-05 और 2005-06			2.23	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

446	7-डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी II मदुरई	मै. वीटीएम लिमिटेड	2008-09			4.39	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
447	8-डब्ल्यूटी	बिहार	सीआईटी - भागलपुर	सौरभ झुनझुनवाला	2007-08			2.25	स्वीकृत और कार्यवाही शुरू की गई
448	9-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी -सी -I कोलकाता	मै. सुभाष प्रोजेक्टस एण्ड मार्कटिंग लिमिटेड	2008-09			2.26	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
449	10-डब्ल्यूटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी टी-रायपुर	रानी सरोगी	2009-10			4.53	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
450	11-डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी I, चेन्नई	मै. चेन्नई होटल्स (इंडिया) लिमिटेड	2001-02 से 2006-07			1.98	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
451	12-डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -II, मुम्बई	मै. तलमा केमिकल्स इन्ड्रस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	2006-07 एवं 2007-08			3.1	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
452	13-डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी गुलबर्गा	श्रीमती नादिरा इकबाल	2006-07			2.72	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
453	14-डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी मैसूर	श्री एल विवेकनन्दा	2007-08			2.12	स्वीकृत और राशि की वसूली हुई
454	15-डब्ल्यूटी	आन्ध्र प्रदेश	सीआईटी -I, हैदराबाद	मै. अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडेक्ट्स लिमिटेड	2006-07			0.95	स्वीकृत और कार्यवाही की गई
455	4-डब्ल्यूटी	तमिलनाडु	सीआईटी -I, चेन्नई	मै. डोरकस मार्किट मेकर्स प्रा. लिमिटेड	2004-05	**धन की गलत गणना**	**धन की गलत गणना**	1.1	स्वीकृत और कार्यवाही की गई

परिशिष्ट 5- (पैराग्राफ 2.3.2 देखें)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में आपत्तियों का श्रेणी-वार विवरण

उप श्रेणी		मामले	कर प्रभाव (₹ लाख में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता		**128**	**100248.75**
क.	आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	53	88698.41
ख.	कर, अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	18	2308.61
ग.	रिटर्नों की प्रस्तुति, कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	41	5383.75
घ.	अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	12	3197.03
ड.	अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारणों में त्रुटियां	4	660.95
ख. रियायतों/छूटों/कटौतियों का कर प्रशासन		**203**	**146569.11**
क.	निगमों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	56	26621.49
ख.	ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	23	1785.52
ग.	व्यक्तियों को दी गई अनिमयित छूटें/कटौतियाँ /राहत	4	134.03
घ.	कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	27	43999.27
ड.	मूल्यह्रास/कारोबारी हानियां/पूंजीगत हानियां अनुमत करने में अनियमितताएं	93	74028.80
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय		**108**	**35773.79**
क.	एमएटी/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	37	21500.00
ख.	अवर्णित निवेश/नकद क्रेडिट इत्यादि	3	88.44
ग.	पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	9	977.32
घ.	आय की गलत गणना	33	11777.14
ड.	टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियां	11	1395.70
च.	सम्पत्ति कर नहीं/कम लगाना	15	35.19
घ. अन्य		**16**	**3905.00**
	कर/ब्याज का अतिप्रभार	16	3905.00
	कुल	**455**	**286496.65**

परिशिष्ट- 6 (पैराग्राफ 2.6.1 देखें)

राज्य	वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण	वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण	निर्धारणों में त्रुटियों	संवीक्षा निर्धारणों में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़)	निर्धारणों में त्रुटियों की प्रतिशतता (कॉ.4/कॉ 3 x 100)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	20166	16455	1375	1023.04	8
असम	1085	1007	81	104.84	8
बिहार	1698	1500	180	21.02	12
छत्तीसगढ़	3340	3340	202	11.45	6
गोवा	602	572	59	59.61	10
गुजरात	43977	41543	1902	1128.90	5
हरियाणा	6743	6246	666	71.77	11
हिमाचल प्रदेश	1339	1194	457	10.49	38
जम्मू एवं कश्मीर	185	59	5	0.09	8
झारखण्ड	3661	3495	262	25.95	7
कर्नाटक	243581	23126	752	1106.50	3
केरल	7819	7183	910	852.08	13
मध्य प्रदेश	9149	8799	430	247.23	5
ओडिशा	2888	2428	452	1141.52	19
पंजाब	16942	12177	706	267.13	6
यूटी चंडीगढ़	2325	1710	138	27.05	8
राजस्थान	17222	13480	663	141.46	5
तमिलनाडु	28546	26473	2491	3946.24	9
उत्तर प्रदेश	16676	15874	1020	312.03	6
उत्तरांचल	926	916	74	11.40	8
दिल्ली	43376	33451	906	2003.42	3
महाराष्ट्र	54090	51780	1744	2181.45	3
पश्चिम बंगाल	23682	22751	2597	4830.00	11
जोड़	**550018**	**295559**	**18072**	**19524.67**	**6.1**

परिशिष्ट- 7 (पैराग्राफ 2.6.4 देखें)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए आय कर और निगम कर से संबंधित अवनिर्धारणों का श्रेणीवार विवरण

उप श्रेणी		मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता		**5878**	**3641.19**
क.	आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	2268	2453.21
ख.	कर, अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	739	302.01
ग.	रिटर्नों की प्रस्तुती, कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	2458	756.54
घ.	अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	328	87.60
ड.	अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियां	85	41.84
ख. रियायतों/छूटों/कटौतियों का कर प्रशासन		**8281**	**11198.14**
क.	निगमों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	630	2234.25
ख.	ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	592	155.10
ग.	व्यक्तियों को दी गई अनिमयित छूटें/कटौतियों/राहत	1293	1423.31
घ.	कारोबारी व्यय का गलत भत्ता	4177	5043.96
ड.	मूल्यह्रास/कारोबारी हानियां/पूंजीगत हानियां अनुमत करने में अनियमितताएं	1584	2335.30
च.	डीटीएटी राहत का गलत भत्ता	5	6.22
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय		**2332**	**3268.72**
क.	एमएटी/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	131	125.77
ख.	अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट इत्यादि	429	2300.19
ग.	पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	534	148.41
घ.	आर्म लैन्थ मूल्य का गलत आंकलन	95	8.75
ड.	पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे की आय को मिलाने में चूक	21	2.20
च.	गृह सम्पत्ति से आय की गलत गणना	195	11.46
छ.	वेतन आय की अशुद्ध गणना	124	42.25
ज.	टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियाँ	803	629.69
घ. अन्य		**1627**	**880.78**
	जोड़	**18118**	**18988.85**

परिशिष्ट- 8 (पैराग्राफ 2.11.2 देखें)

मामले जिन पर उपचारात्मक कार्रवाई वित्त वर्ष 12 में समयबाधित हो गई

राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणियां जहां उपचारात्मक कार्रवाई समयबाधित हो गई	
	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़)
आन्ध्र प्रदेश	60	10.82
असम	16	7.37
बिहार	108	1.6
छत्तीसगढ़	19	0.94
गोवा	0	0
गुजरात	254	49.89
हरियाणा	81	3.07
हिमाचल प्रदेश	63	4.48
जम्मू एवं कश्मीर	71	1.59
झारखण्ड	20	0.65
कर्नाटक	1	0.01
केरल	6	0.04
मध्य प्रदेश	59	10.29
ओडिशा	17	24.04
पंजाब	2	0
यूटी चंडीगढ़	7	0.02
राजस्थान	158	13.64
तमिलनाडु	1477	699.24
उत्तर प्रदेश	201	22.16
उत्तरांचल	20	14.09
दिल्ली	0	0
महाराष्ट्र	376	87.58
पश्चिम बंगाल	891	131.33
जोड़	**3907**	**1082.85**